इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 जनवरी 2022—पौष 17, शक 1943

## विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

# भाग १

## राज्य शासन के आदेश

### सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 दिसम्बर 2021

क्र. एफ 5-22-2021-एक (1).—माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर का ओ.एस.डी.-कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक ए-4210 (दो-1-8/2019), दिनांक 11 नवम्बर 2021 में उल्लेखित अनुक्रम में दिनांक 25 से 26 अक्टूबर 2021 तक, दो दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. 1553-1369-2021-एक (1).—माननीय न्यायाधिपति श्री अरूण कुमार शर्मा, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर का ओ.एस.डी.-कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय,मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक ए-4212 (दो-1-46/2002), दिनांक 11 नवम्बर 2021 में उल्लेखित अनुक्रम में दिनांक 2 सितम्बर 2021 का दिनांक 20 सितम्बर 2021, दिनांक 21 सितम्बर 2021 का, दिनांक 29 सितम्बर 2021 का, दिनांक 30 सितम्बर 2021 का एवं 4 अक्टूबर 2021 का कुल छः दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है प्राप्त प्रस्ताव अनुसार उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**रंजना पाटने,** अवर सचिव.



नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2022.

## गृह विभाग

### मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2021

क्र. एफ 1(ए)12-2021-ब-2-दो.—राज्य शासन विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 30 सितम्बर 2021 को निरस्त करते हुए उसके स्थान पर श्री अतुल सिंह, भापुसे. तत्का. पुलिस अधीक्षक, जिला-सागर वर्तमान में सहायक पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 02 से 10 अक्टूबर 2021 तक, नौ दिवस लघुकृत/परिवर्तित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है.

2. आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत्.

क्र.-एफ 1(ए)158-1993-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री जी. अखेतो सेमा, भापुसे. अति. पुलिस महानिदेशक, राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल, पु. मु., भोपाल को दिनांक 26 अप्रैल से 18 जून 2021 तक, चौवन दिवस लघुकृत/परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 108 दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री जी. अखेतो सेमा. भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. अखेतो सेमा. भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 2021

क्र.-एफ 1(ए)58-2015-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री हितेश चौधरी, भापुसे-2013 पुलिस अधीक्षक, रेल भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्ड वर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 16 से 30 दिसम्बर 2021 तक, पंद्रह दिवस अर्जित अवकाश अवधि में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ दमन और दीव की भ्रमण यात्रा पर जाने हेतु अवकाश यात्रा की अनुमति एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है:—

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री हितेश चौधरी, | — | स्वयं |
| 2. | श्रीमती अंजुलता चौधरी, | — | पत्नी |
| 3. | श्री नील चौधरी, | — | पुत्र |
| 4. | श्री कैलाश चौधरी, | — | पिता |

(2) श्री हितेश चौधरी, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्रीमती प्रतिमा एस. मैथ्यू, अति. पुलिस अधीक्षक, रेल भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री हितेश चौधरी भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, रेल भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री हितेश चौधरी, भापुसे के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री हितेश चौधरी भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसीप्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हितेश चौधरी, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1(ए)58-2012-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 27 मार्च 2021 द्वारा डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, रेल मध्यप्रदेश, भोपाल को भारत सरकार वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 12(2)-2020 EII(A), दिनांक 12 अक्टूबर 2020 के अनुसार खण्ड वर्ष 2018-21 के अंतर्गत अकेले अवकाश यात्रा सुविधा (LTC) के एवज में विशेष नगद पैकेज का लाभ (ज्ञापन में उल्लेखित शर्तों के अधीन) एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति परिवार के सदस्यों के साथ स्वीकृति प्रदान की गई थी.

(2) डॉ. महेन्द्र सिंह, सिकरवार, भापुसे, द्वारा अपरिहार्य कारणों से उक्त सुविधा का लाभ न ले पाने के कारण निरस्त किया जाता है.

क्र. एफ 1(ए)167-1989-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री अन्वेष मंगलम, भापुसे, महानिदेशक/संचालक लोक अभियोजन, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 03 से 22 नवम्बर 2021 तक, सोलह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 19-21 नवम्बर 2021 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) श्री अन्वेष मंगलम, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्यभार श्री डी. श्रीनिवास वर्मा, भापुसे, सचिव, गृह(पी) विभाग, मंत्रालय द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अन्वेष मंगलम, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न महानिदेशक/संचालक, लोक अभियोजन, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अन्वेष मंगलम, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अन्वेष मंगलम, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अन्वेष मंगलम, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अन्नू भलावी,** अवर सचिव.

## औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

### मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2021

क्र. एफ 16-63-2021-ए-ग्यारह.—बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, मेसर्स मध्यप्रदेश गेल (इंडिया) विजयपुर, जिला-गुना को वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/4987 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के प्रवर्तन से दिनांक 04 दिसम्बर 2021 से 03 फरवरी 2022 तक की अवधि हेतु छूट प्रदान करता है:—

1. संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18(1)की अपेक्षानुसार तत्काल संचालक बॉयलर मध्यप्रदेश भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार संचालक बॉयलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
3. संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.
4. नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से तलछूट निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
5. भारतीय बॉयलर विनियम, 1950 के विनियम 385-क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.
6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.
7. आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन-पत्र एवं संचालक, वाष्पयंत्र द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर छूट अवधि में किसी भी तरह की दुर्घटना का दायित्व आवेदक फर्म/इकाई का होगा.

उक्त आदेश को ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में प्रकाशित किया जाये.

क्र. 2066-792-2021-ए-ग्यारह.—बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, मेसर्स मध्यप्रदेश नेशनल फर्टिलाईजर्स लिमिटेड, विजयपुर, जिला-गुना को वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/4462 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के प्रवर्तन से दिनांक 16 दिसम्बर 2021 से 15 जून 2022 तक की अवधि हेतु छूट प्रदान करता है:—

1. संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18(1)की अपेक्षानुसार तत्काल संचालक बॉयलर मध्यप्रदेश भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार संचालक बॉयलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
3. संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.
4. नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से तलछूट निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
5. भारतीय बॉयलर विनियम, 1950 के विनियम 385-क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.
6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.
7. आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन-पत्र एवं संचालक वाष्पयंत्र द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर छूट अवधि में किसी भी तरह की दुर्घटना का दायित्व आवेदक फर्म/इकाई का होगा.

उक्त आदेश को ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में प्रकाशित किया जाये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**व्ही. के. बरोनिया**, अपर सचिव.

---

## वन विभाग

### मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2021

क्र. एफ 15-44-2005-दस-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा यथा संशोधित वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 4(1)(bb)द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, श्री पुष्पेन्द्रनाथ द्विवेदी, एडवोकेट निवासी उमरिया को जिला उमरिया एवं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, उमरिया हेतु जिला मानसेवी वन्यजीव अभिरक्षक के रूप में अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से दो वर्ष के लिये नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**पदमाप्रिया बालाकृष्णन**, सचिव.

## विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
### मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2021

क्र. एफ 3-3-2015-इकतालीस-2.—विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 फरवरी 2019 द्वारा जारी ''मध्यप्रदेश में दूरसंचार सेवा प्रदाता/इंटरनेट सेवा प्रदाता/अवसंरचना प्रदाय कंपनियों द्वारा वायर लाइन या वायरलेस आधारित वाइस या डाटा पहुंच सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अवसंरचना की स्थापना हेतु दिशा-निर्देश 2019'' की कंडिका 12(क) (सात) में निम्नानुसार प्रावधान है:—

''नगरीय क्षेत्र में भूमि की कमी तथा स्कूलों में भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शैक्षणिक संस्थाओं के परिसरों/शासकीय चिकित्सालयों/सार्वजनिक उद्यानों/खेल मैदानों में अवसंरचना स्थापित करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं की जाएगी.''.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा ''मध्यप्रदेश में दूरसंचार सेवा प्रदाता/इंटरनेट सेवा प्रदाता/अवसंरचना प्रदाय कंपनियों द्वारा वायर लाइन या वायरलेस आधारित वाइस या डाटा पहुंच सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अवसंरचना की स्थापना हेतु दिशा-निर्देश-2019'' की उक्त कंडिका 12 (क) (सात) को विलोपित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अंजू पवन भदौरिया,** उपसचिव.

## नगरीय विकास एवं आवास विभाग
### मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2021

क्र. एफ 07-42-2021-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री जयपाल चावड़ा को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आगामी आदेश तक, अध्यक्ष, इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर नियुक्त किया जाता है.

क्र. 1580-1296-2021-अठारह-6.—मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल अधिनियम, 1972 (क्र. 3 सन् 1972) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री आशुतोष तिवारी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आगामी आदेश तक, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल के पद पर नियुक्त करता है.

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2021

### सूचना

क्र. एफ-3-121-2021-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 ''क'' की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल की सूचना क्रमांक-4160-टी सी-24-देवास-उपा./नग्रानि-2021-उपा-नग्रानि, भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2021 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित देवास विकास योजना 2031 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

### अनुसूची

| क्र. | ग्राम | खसरा क्रमांक | क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) | विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग | उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | देवास जूनियर | 110/2 में से | 4500.00 वर्गमीटर | आवासीय, सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक वाणिज्यिक तथा मार्ग (कलेक्टर परिसर) | वाणिज्यिक एवं मार्ग (पुनर्धनत्वीकरण योजना) |
| 2 | देवास जूनियर | 415/2 में से | 413.87 वर्गमीटर | आवासीय, सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक तथा मार्ग (सिविल लाईन रोड) | वाणिज्यिक एवं मार्ग (पुनर्धनत्वीकरण योजना) |
| 3 | देवास जूनियर | 440/1/2 में से | 4546.13 वर्गमीटर | आवासीय एवं मार्ग (सिविल लाईन रोड) | वाणिज्यिक एवं मार्ग (पुनर्धनत्वीकरण योजना) |
| | | योग . . | 9460.00 | | |

उपरोक्त उपांतरण देवास विकास योजना 2031 का एकीकृत भाग होगा.

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2021

## सूचना

क्र. एफ-3-90-2021-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 18 (3) सहपठित धारा 23 (1) के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत पुनर्विलोकित होशंगाबाद विकास योजना, 2035 (प्रारुप) के रंगीन मानचित्र एवं पुस्तिका में नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट उपांतरण प्रस्तावित करती है. उपांतरणों का विस्तृत विवरण वेबसाईट **www.mptownplan.gov.in** पर उपलब्ध है तथा उनका निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन छोड़कर सूचना प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस तक की कालावधि में निरीक्षण भी किया जा सकेगा:—

1. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग कक्ष क्रमांक ए 227, वी. बी. 2, द्वितीय तल, मंत्रालय भोपाल.
2. आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश
3. कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश.
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, होशंगाबाद.
5. उप-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, 1/39, गिन्नी कम्पाउण्ड, मिनाक्षी चौराहा के पास, होशंगाबाद.

## अनुसूची

### II. होशंगाबाद विकास योजना 2035 (प्रारुप) के प्रस्तावित भूमि उपयोग मानचित्र (क्रमांक 4.2) में प्रस्तावित उपांतरण

| सरल क्रमांक | ग्राम | स्थल | प्रस्तावित विकास योजना में उपयोग | प्रस्तावित भूमि उपयोग |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | रायपुर | होशंगाबाद से पिपरिया मार्ग के उत्तर की ओर वर्तमान निर्मित नहर से वर्तमान निर्मित बायपास मार्ग क्रमांक 1 तक. | आमोद-प्रमोद के अंतर्गत हरित क्षेत्र, यातायात नगर एवं मार्ग. | सम्मुख मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई के दो-गुना गहराई तक मिश्रित उपयोग शेष उपयोग एवं मार्ग यथावत. |
| 2 | रायपुर | प्रस्तावित 60.00 मीटर चौड़े बायपास मार्ग क्रमांक-2 के पूर्व एवं उत्तर दिशा की ओर पिपरिया मार्ग तक. | आमोद-प्रमोद के अंतर्गत यातायात नगर एवं मार्ग. | सम्मुख मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई के दो-गुना गहराई तक मिश्रित उपयोग, कृषि एवं मार्ग. |
| 3 | फेफरताल | ग्राम फेफरताल के खसरा क्रमांक 456 लगकर उत्तर में: प्रस्तावित सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक पश्चिम में: प्रस्तावित वाणिज्यिक तथा दक्षिण एवं पूर्व में: प्रस्तावित 24.00 मीटर मार्ग के मध्य में स्थित भूमि आमोद-प्रमोद के अंतर्गत हरित क्षेत्र. | आमोद प्रमोद के अंतर्गत हरित क्षेत्र. | प्रस्तावित आवासीय. |

### II. होशंगाबाद विकास योजना 2035 (प्रारुप) पुस्तिका में उपांतरण संबंधी प्रस्ताव

1. अध्याय-3 की सारणी 3-सा-2 मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई के सरल क्रमांक 34 के पश्चात निम्नानुसार नवीन क्रमांक 35 अत: स्थापित किया जाना प्रस्तावित:—

| क्र. | मार्ग का नाम | वर्तमान चौड़ाई (मीटर में) | प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में) |
|---|---|---|---|
| 35 | निर्मल होम्स से आदमगढ़ अंडर पास तक | 8.00 | 12.00 |

2. अध्याय-4 विकास योजना प्रस्ताव 2035

अध्याय 4 विकास योजना प्रस्ताव 2035 की सारणी क्रमांक 4-सा-1 प्रस्तावित भूमि उपयोग, 2035 के स्थान पर निम्नानुसार सारणी प्रतिस्थापित की जाना प्रस्तावित है.

सारणी 4-सा-1 प्रस्तावित भूमि उपयोग 2035

| क्र | भूमि उपयोग वर्गीकरण | प्रस्तावित क्षेत्र 2031 (हेक्टेयर में) | विकसित क्षेत्र 2019 (हे. में) | | | उच्चावचन/ निम्नावन (+)/(-) | प्रस्तावित क्षेत्र 2035 (हेक्टेयर में) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | क्षेत्रफल | प्रतिशत | उपयोगिता दर | | क्षेत्रफल | प्रतिशत | उपयोगिता दर |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | आवासीय | 1973.62 | 685.81 | 41.76 | 4.03 | 1287.81 | 2003.04 | 48.03 | 8.01 |
| 2 | मिश्रित | - | 36.58 | 2.23 | 0.22 | - | 142.50 | 3.42 | 0.57 |
| 3 | वाणिज्यिक | 148.09 | 27.21 | 1.66 | 0.16 | 128.88 | 148.09 | 3.55 | 0.59 |
| 4 | औद्योगिक | 162.70 | 120.49 | 7.34 | 0.71 | 42.21 | 165.52 | 3.97 | 0.66 |
| 5 | सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक | 286.31 | 230.69 | 14.05 | 1.36 | 55.62 | 298.89 | 7.17 | 1.20 |
| 6 | सार्वजनिक उपयोगिता एवं सेवा-सुविधाएं. | 14.36 | 9.72 | 0.59 | 0.06 | 4.64 | 22.55 | 0.54 | 0.09 |
| 7 | आमोद-प्रमोद | 706.67 | 214.18 | 13.04 | 1.26 | 492.49 | 854.58 | 20.49 | 3.42 |
| 8 | यातायात एवं परिवहन | 419.09 | 317.45 | 19.33 | 1.87 | 101.64 | 535.09 | 12.83 | 2.14 |
| | योग . . | 3710.84 | 1642.40 | 100.00 | 9.66 | - | 4170.26 | 100.00 | 16.68 |

अध्याय-4 विकास योजना प्रस्ताव 2035 की कंडिका 4.2.1 की पहली पंक्ति में 1983.39 के स्थान पर 2003.04 प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है.

अध्याय-4 विकास योजना प्रस्ताव 2035 की कंडिका 4.2.1 की तीसरी पंक्ति में 47.40 के स्थान पर 48.03 एवं 7.93 के स्थान पर 8.012 प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है.

अध्याय-4 विकास योजना प्रस्ताव 2035 की कंडिका 4.2.2 की तीसरी पंक्ति में 36.63 के स्थान पर 36.58 प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है.

अध्याय-4 विकास योजना प्रस्ताव 2035 की कंडिका 4.2.2 की पांवची पंक्ति में 134.10 के स्थान पर 142.50 प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है.

अध्याय-4 विकास योजना प्रस्ताव 2035 की कंडिका 4.2.2 की छठवी पंक्ति में 3.20 के स्थान पर 3.42 प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है.

अध्याय-4 विकास योजना प्रस्ताव 2035 की कंडिका 4.2.3 की पहली पंक्ति में 26.98 के स्थान पर 27.21 प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है.

अध्याय-4 विकास योजना प्रस्ताव 2035 की कंडिका 4.2.4 की पांचवी पंक्ति में 3.96 के स्थान पर 3.97 प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है.

अध्याय-4 विकास योजना प्रस्ताव 2035 की कंडिका 4.2.5 की चौथी पंक्ति में 7.14 के स्थान पर 7.17 प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है.

अध्याय-4 विकास योजना प्रस्ताव 2035 की कंडिका 4.2.7 की तीसरी पंक्ति में 879.00 के स्थान पर 854.58 प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है.

अध्याय-4 विकास योजना प्रस्ताव 2035 की कंडिका 4.2.7 की सातवीं पंक्ति में 879.00 के स्थान पर 854.58 प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है.

अध्याय-4 विकास योजना प्रस्ताव 2035 की कंडिका 4.2.7 की आठवीं पंक्ति में 21.02 के स्थान पर 20.49 प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है.

3. अध्याय-5 विकास नियमन की कंडिका 5.22 उपयोग परिसर में स्वीकृत/स्वीकार्य गतिविधियां की सारणी के नोट क्रमांक 5 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाना एवं तत्पश्चात बिन्दु 6 अन्तःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है:—

6. कृषि भूमि उपयोग में विकसित राजस्व ग्रामीण आबादी से 250 मीटर परिधि में ग्रामीण-विकास संबंधी गतिविधि, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक गतिविधि, सार्वजनिक सेवा सुविधायें, साप्ताहिक बाजार, खाद, संग्रहण केन्द्र, शासकीय अर्द्ध शासकीय/पंजीकृत संस्था द्वारा प्रायोजित विशिष्ट स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक संस्थान, गौशाला स्वयं के उपयोग हेतु आवास स्वीकार्य होंगे.

7. यातायात नगर/मैकनिक नगर/लाजिस्टिक हब, बस स्थानक:—इस उपयोग हेतु आवश्यकता अनुसार कृषि भूमि के अंतर्गत स्थल का चयन किया जा सकेगा, जिसमें निम्नलिखित गतिविधियाँ स्वीकार्य होंगी, ट्रक टर्मिनल, मोटर गैरेज, वर्कशाप, स्पेयर पार्टस एवं सुधार दुकान, रात्रि विश्राम गृह, बोर्डिंग/लॉजिंग, बैंक, बैंक एटीएम, पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट बुकिंग आफिस, लॉजिस्टिक गतिविधियां, वेयर हाऊस एवं अनुशांगिक गतिविधियां.

प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो वह अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, भोपाल के कार्यालय में लिखित रूप से मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 30 दिवस की कालावधि के भीतर प्रस्तुत किये जा सकते हैं. ऐसी आपत्तियां/सुझाव जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जायेगा.

## सूचना

क्र. एफ-3-104-2021-अठारह-5.—एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (3) के अधीन आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, द्वारा प्रस्तुत ग्वालियर-मुरैना विशेष क्षेत्र के लिये प्रारुप विकास योजना 2035 में राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार उपांतरण करने का निर्णय लिया गया है. अतः मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा 2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रस्तावित उपांतरण का विवरण सूचना के माध्यम से प्रकाशित किया जा रहा है. उपांतरणों का विस्तृत विवरण वेबसाईट www.mptownplan.gov.in पर उपलब्ध है तथा उनका निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय में अवकाश के दिनों को छोड़कर सूचना प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस तक की कालावधि में निरीक्षण भी किया जा सकेगा:—

1. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग कक्ष क्रमांक ए 227, वी. बी. 2 द्वितीय तल, मंत्रालय भोपाल.
2. आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना
3. कलेक्टर, जिला मुरैना
4. आयुक्त, नगर पालिक निगम, मुरैना
5. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, भिण्ड.

## उपांतरण का विवरण

| क्रमांक | तहसील एवं जिला | गांव का नाम एवं सर्वे क्रमांक | प्रारूप योजना 2035 प्रस्तावित भूमि उपयोग | धारा 19 (2) में प्रस्तावित उपांतरण के पश्चात भूमि उपयोग |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | मुरैना | ग्राम छौंदा के सर्वे क्रमांक— 795, 796, 797, 798, 799, 800, 810, 811, 812, 815, 816, 817, 818, 819, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 854, 861, 862, 816/1268, 860/2<br>ग्राम भौन्डेरी के सर्वे क्रमांक— 438, 439, 454, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 496, 497, 498, 499. | मेला मैदान के लिये प्रस्तावित हरित क्षेत्र. | बायपास से 120 मीटर तक मिश्रित उपयोग तथा शेष भाग प्रस्तावित आवासीय उपयोग. |

प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो वह अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, भोपाल के कार्यालय में लिखित रूप से मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 30 दिवस की कालावधि के भीतर प्रस्तुत किये जा सकते हैं. ऐसी आपत्तियां/सुझाव जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जायेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**तरूण राठी,** उपसचिव.

---

## संस्कृति विभाग

### मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2021

क्र. एफ-11-13-2021-तीस.—राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने, विरूपित किये जाने, हटाये जाने, तितर-बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है.

2. अतएव मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष नियम, 1964 की धारा 3 एवं 16 द्वारा शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है.

3. किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा :—

अनुसूची

| राज्य | जिला | तहसील | स्थानीय क्षेत्र का नाम | स्मारक का नाम | राजस्व का क्षेत्र जो संरक्षण के अधीन है | क्षेत्रफल (हे. में.) | स्वामित्व | धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| म. प्र. | अशोक नगर | मुंगावली | मुंगावली | मल्हारगढ़ किला मल्हारगढ़ | ग्राम मल्हारगढ़ मुंगावली, जिला अशोकनगर | 1863.240<br>1872.769<br>1831.568<br>1840.021<br>1850.010 | शासकीय | नहीं. |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**वंदना पाण्डेय,** अवर सचिव.

---

# विभाग प्रमुखों के आदेश

## मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम

### खण्ड-2 चतुर्थ तल, पर्यावास भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2022

क्र. 438-मविविनि-स्था.-2022.—मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 8-1/2021/पचास-1, दिनांक 24 दिसम्बर 2021 के तारतम्य में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा आज दिनांक 3 जनवरी 2022 को मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण किया गया है.

**अमिता चपरा,** अध्यक्ष.

# राज्य शासन के आदेश

## राजस्व विभाग

### कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 6 दिसम्बर 2021

क्र. 650-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण :—

(क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—चुरहट
(ग) ग्राम—बड़खरा 740
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नंबर—बड़खरा
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.188 हेक्टेयर.

| क्र. | खसरा नम्बर | अर्जित रकबा (हे. में.) | धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | 636/1/1 | 0.188 | उपमुख्य अभियंता (निर्माण), पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर. | ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु. |
| 2 | 636/1/2 | | | |
| | निजी भूमि का योग . . | 0.188 | | |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, चुरहट/रामपुरनैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 652-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का विवरण:—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—रामपुरनैकिन

(ग) ग्राम—झलवार

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नंबर—झलवार

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.231 हेक्टेयर.

| क्र. | खसरा नम्बर | अर्जित रकवा (हे. में.) | धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | 195 | 0.015 | उपमुख्य अभियंता (निर्माण), पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर. | ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु. |
| 2 | 211 | 0.001 | | |
| 3 | 218 | 0.004 | | |
| 4 | 300/1/1 | 0.096 | | |
| 5 | 300/2 | 0.004 | | |
| 6 | 300/3 | 0.004 | | |
| 7 | 300/4 | 0.004 | | |
| 8 | 300/5 | 0.004 | | |
| 9 | 300/6 | 0.004 | | |
| 10 | 300/7 | 0.004 | | |
| 11 | 300/8 | 0.004 | | |
| 12 | 300/9 | 0.004 | | |
| 13 | 300/10 | 0.004 | | |
| 14 | 300/11 | 0.004 | | |
| 15 | 300/12 | 0.004 | | |
| 16 | 300/13 | 0.004 | | |
| 17 | 300/14 | 0.004 | | |
| 18 | 300/15 | 0.004 | | |
| 19 | 300/16 | 0.004 | | |
| 20 | 300/17 | 0.004 | | |
| 21 | 313 | 0.017 | | |
| 22 | 321 | 0.002 | | |
| 23 | 454 | 0.006 | | |
| 24 | 527/1 | 0.006 | | |
| 25 | 637 | 0.02 | | |
| | निजी भूमि का योग . . | 0.231 | | |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, चुरहट/रामपुरनैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 654-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का विवरण:—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—रामपुरनैकिन

(ग) ग्राम—पड़खुरी पवाई

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नंबर—पड़खुरी नम्बर 02

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.061 हेक्टेयर.

| क्र. | खसरा नम्बर | अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.) | धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | 1285/1 | 0.001 | उपमुख्य अभियंता (निर्माण), पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर. | ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु. |
| 2 | 1285/2 | | | |
| 3 | 1292/1 | 0.001 | | |
| 4 | 1293/1 | 0.012 | | |
| 5 | 1293/2 | 0.006 | | |
| 6 | 1313/1 | 0.007 | | |
| 7 | 1313/2 | | | |
| 8 | 1317/2 | 0.009 | | |
| 9 | 1364 | 0.001 | | |
| 10 | 1409/2 | 0.002 | | |
| 11 | 1414/1 | 0.02 | | |
| 12 | 1414/2/2 | | | |
| 13 | 1417/1 | 0.001 | | |
| 14 | 1453 | 0.001 | | |
| | निजी भूमि का योग . . | 0.061 | | |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, चुरहट/रामपुरनैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 656-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का विवरणः—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—चुरहट

(ग) ग्राम—भेलकी पवाई 821

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नंबर—भेलकी

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.582 हेक्टेयर.

| स. क्र. | खसरा नम्बर | अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.) | धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | 19 | 0.015 | उपमुख्य अभियंता (निर्माण), पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर. | ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु. |
| 2 | 20 | 0.056 | | |
| 3 | 21 | 0.05 | | |
| 4 | 23 | 0.003 | | |
| 5 | 25 | 0.002 | | |
| 6 | 26 | 0.13 | | |
| 7 | 27 | 0.02 | | |
| 8 | 28 | 0.052 | | |
| 9 | 29/1/1 | | | |
| 10 | 29/1/2 | | | |
| 11 | 29/1/3 | | | |
| 12 | 29/1/4 | | | |
| 13 | 29/1/5 | 0.014 | | |
| 14 | 29/1/6 | | | |
| 15 | 29/1/7 | | | |
| 16 | 29/1/8 | | | |
| 17 | 29/1/9 | | | |
| 18 | 29/2 | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 30 | 0.096 | उपमुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर. | ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु. |
| 20 | 32 | 0.042 | | |
| 21 | 33 | 0.012 | | |
| | निजी भूमि का योग . . | 0.582 | | |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 658-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—रामपुरनैकिन

(ग) ग्राम—गोड़हाटोला

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नंबर—बघवार

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.252 हेक्टेयर.

| क्र. | खसरा नम्बर | अर्जन रकवा (हे. में.) | धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | 137/1 | 0.252 | उपमुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर. | ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु. |
| | निजी भूमि का योग . . | 0.252 | | |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी, चुरहट/रामपुरनैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**मुजीबुर्रहमान खान,** कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 15 दिसम्बर 2021

क्र. 306-भू-अर्जन-प्रकाशन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

चूंकि बाणसागर जलाशय के डूब क्षेत्र में ग्राम की अधिकांश भूमि का अर्जन इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 11 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | अर्जित क्षेत्रफल (हे. में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सतना | रामनगर | अमझोरी कोलहाई | 28.211 | कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोद. | बाणसागर जलाशय के डूब क्षेत्र में आने के कारण. |

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 308-प्रशा.-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची में अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हे. में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रीवा | नईगढ़ी | भदावल | 0.500 | कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाब सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.). | बुस्टर एवं पहुँच मार्ग निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत). |

प्र. क्र. 310-प्रशा.-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची में अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची में खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हे. में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रीवा | नईगढ़ी | जोरोट | 0.500 | कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाब सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.). | बुस्टर एवं पहुँच मार्ग निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत). |

प्र. क्र. 312-प्रशा.-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची में अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची में खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हे. में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रीवा | मनगवां | पहुआ | 0.500 | कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाब सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.). | पी. एच. 2 पहुँच मार्ग निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत). |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**छोटे सिंह,** प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

---

## कार्यालय, कलेक्टर, एवं समुचित सरकार, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 21 दिसम्बर 2021

**[ अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) ]**

क्र. 6737-भू-अर्जन-2021-22.—जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजनार्थ ''मण्डलावदा रोकबांध सह पुलिया के लिए सुरक्षा दीवार के निर्माण'' के अन्तर्गत प्रभावित निजी भूमि ग्राम कुमारिया तहसील देवास जिला देवास में कुल 0.505 हैक्टेयर भूमि

अपेक्षित है, अर्थात् इसलिए घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन 0.505 हैक्टेयर भूमि है, जो ग्राम कुमारिया तहसील देवास में है जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:—

| क्र. सं. | सर्वेक्षण संख्या | स्वामित्व का प्रकार | भूमि का प्रकार | अर्जन के अधीन क्षेत्र (हे. में.) | हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता | सीमाएं उ. द. पू. प. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | 525 | निजी भूमि | सिंचित | 0.021 | कुंताबाई वि. उमरावसिंह जाति खाती | |
| 2. | 533/1 | निजी भूमि | सिंचित | 0.011 | कमल पिता घनश्याम नि. डकाच्या | |
| 3. | 533/2 | निजी भूमि | सिंचित | 0.002 | राहुल पिता घनश्याम नि. डकाच्या | |
| 4. | 534 | निजी भूमि | सिंचित | 0.012 | मनीष पिता संतोष, गोपाल, भारत, पिता राधेश्याम जाति खाती नि. ग्राम कुमारिया | |
| 5. | 535/1/1 | निजी भूमि | सिंचित | 0.003 | राधेश्याम पिता नारायण जाति खाती नि. कुमारिया | |
| 6. | 535/1/2 | निजी भूमि | सिंचित | 0.002 | मदनलाल पिता नारायण जाति खाती नि. कुमारिया | |
| 7. | 535/1/3 | निजी भूमि | सिंचित | 0.002 | घनश्याम पिता नारायण जाति खाती नि. कुमारिया | |
| 8. | 535/1/4 | निजी भूमि | सिंचित | 0.003 | रामगोपाल, भारत, कलाबाई पिता राधेश्याम, शांताबाई विधवा राधेश्याम जाति खाती. | |
| 9. | 548/1 | निजी भूमि | सिंचित | 0.011 | कमल पिता घनश्याम जाति खाती नि. कुमारिया | |
| 10. | 548/2 | निजी भूमि | सिंचित | 0.012 | चतुर्भुज पिता हजारीलाल जाति खाती नि. कुमारिया | |
| 11. | 548/3 | निजी भूमि | सिंचित | 0.013 | मानसिंह पिता हजारीलाल जाति खाती नि. कुमारिया | |
| 12. | 549 | निजी भूमि | सिंचित | 0.020 | घनश्याम, अर्जुन पिता बाबूलाल, सोदराबाई विधवा बाबूलाल, जाति खाती नि. कुमारिया. | |
| 13. | 550 | निजी भूमि | सिंचित | 0.021 | सुभाष, मोहनलाल पिता मोतीराम, आनंदीबाई विधवा मोतीराम, जाति खाती नि. कुमारिया. | |
| 14. | 554/1 | निजी भूमि | सिंचित | 0.030 | नीरज पिता विक्रम जाति खाती नि. डकाच्या | |
| 15. | 554/2 | निजी भूमि | सिंचित | 0.010 | नेहा पटेल पिता विक्रम पटेल जाति खाती | |
| | | | **कुल योग** | 0.173 | | |

| वृक्ष | | संरचना | |
|---|---|---|---|
| किस्म | संख्या | प्रकार | कुर्सी एरिया |
| निरंक | निरंक | — | — |

यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है. भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित कुटुम्ब की संख्या 15 है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:—

ग्राम कुमारिया तहसील देवास जिला देवास क्षेत्र 0.173 (हेक्टेयर में).

उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने हैं, खान और खनिज के ऐसे भागों में जिन्हें उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान के खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं हैं.

जिला भूमि अर्जन अधिकारी देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, देवास के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है.

**चन्द्रमौली शुक्ला,** कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

## कार्यालय, कलेक्टर, एवं समुचित सरकार, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 27 सितम्बर 2021

भू-अर्जन प्र. क्र. 15-अ-82-20-21.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनयम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खंडवा

(ख) तहसील—पुनासा

(ग) ग्राम—बंजारी

(घ) अर्जित रकबा—0.30 हेक्टेयर.

| खसरा क्रमांक | अर्जित रकबा (हैक्टर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 70/2 | 0.30 |
| | योग . . 0.30 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर बांध के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जल स्तर से ग्राम बंजारी, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा की निजी कृषि भूमि डूब में आने से भूमि का अधिग्रहण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खंडवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अनय द्विवेदी,** कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

## कार्यालय कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र–क्यू –20–21–भू–अर्जन–2021 विदिशा दिनांक 09 दिसम्बर 2021

अंतर्गत धारा–19 भू–अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 3 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कोठा बैराज परियोजना तहसील–गंजबासौदा जिला विदिशा के ग्राम **खरथरी** के लिए बैराज डूब में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक वार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवास एव पुनर्व्यस्थापना उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 3 सन् 2013) धारा–19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित सूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

### अनुसूची

**कोठा बैराज परियोजना के निर्माण हेतु ग्राम– खरथरी**

तहसील–गंजबासौदा जिला –विदिशा

| क्र. | नाम कृषक/पिता का नाम/जाति/ग्राम | सर्वे नंबर | भूमि का कुल रकवा (हे.में) | कुल अर्जित रकवा (हे.में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | पूरन पुत्र नाथूलाल जाति चमार पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी अहस्तातंरणीय भू–राजस्व 5.00 | 56/2 | 1.073 | 0.450 |
| 2 | भूपतसिंह पुत्र खूबसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी यह खाता पंजाब नेशनल बैंक शाखा मसूदपुर में बंधक है। भू–राजस्व 7.44 | 57 | 1.464 | 0.100 |
| 3 | कमलाबाईउर्मिलाबाईपुत्रियांगुलाबसिंह शीलाबाई बेवा गुलाबसिंह जाति रघूवन्शी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 7.44 | 58 | 1.464 | 0.290 |
| 4 | भूपतसिंह पुत्र खूबसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी यह खाता पंजाब नेशनल बैंक शाखा मसूदपुर में बंधक है। भू–राजस्व 0.75 | 59/1 | 0.529 | 0.030 |
| 5 | भूपतसिंहअजयसिंहविजयसिंह पुत्र खूबसिंह जाति रघुवन्शी पता विदिशा मध्य प्रदेश 3000/4000 भाग भूमि स्वामी मुकेशसिंहभगतसिंहपुत्रगणगुमानसिंह शीलाबाई बेवा गुमानसिंह जाति रघुवन्शी पता विदिशा मध्य प्रदेश 1000/4000 भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.75 | 59/2 | 1.000 | 0.090 |
| 6 | तोरनसिंहरघुनाथसिंहराजेन्द्रसिंहवीरेन्द्रसिंह पुत्रगणइमरतसिंहकृष्णाबाई पुत्री इमरतसिंह जाति रघुवन्शी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 20.77 | 60/1 | 3.185 | 0.530 |
| 7 | मुकेशसिंह पुत्र गुमानसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी यह खाता पंजाब नैशनल बैंक शाखा मसूदपुर में वन्धक है भू–राजस्व 4.50 | 61/1/1 | 0.591 | 0.050 |
| 8 | भगतसिंह पुत्र गुमानसिंह जाति रघुवंशी विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 4.50 | 61/1/2 | 0.591 | 0.050 |

| क्र. | नाम कृषक/पिता का नाम/जाति/ग्राम | सर्वे नंबर | भूमि का कुल रकवा (हे.में) | कुल अर्जित रकवा (हे.में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | भूपतसिंहअजयसिंहविजयसिंह पुत्र खूबसिंह जाति रघुवन्शी पता विदिशा मध्य प्रदेश 3000/4000 भाग भूमि स्वामी मुकेशसिंहभगतसिंहपुत्रगणगुमानसिंह शीलाबाई बेवा गुमानसिंह जाति रघुवन्शी पता विदिशा मध्य प्रदेश 1000/4000 भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 3.55 | 61/2 | 1.000 | 0.110 |
| 10 | अजयसिंह पुत्र खूबसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 9.10 | 61/3 | 1.994 | 0.135 |
| 11 | भूपतसिंहअजयसिंहविजयसिंह पुत्र खूबसिंह जाति रघुवन्शी पता विदिशा मध्य प्रदेश 3000/4000 भाग भूमि स्वामी मुकेशसिंहभगतसिंहपुत्रगणगुमानसिंह शीलाबाई बेवा गुमानसिंह जाति रघुवन्शी पता विदिशा मध्य प्रदेश 1000/4000 भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा 59/2 | 61/4 | 1.000 | 0.060 |
| 12 | शिवराजसिंह पुत्र विजयसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.28 | 61/5 | 0.103 | 0.005 |
| 13 | रूपसिंह पुत्र प्यारेलाल जाति भोई पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी अअअयह खाता पंजाब नैशनल बैंक शाखा मसूदपुर में वन्धक है भू–राजस्व 0.50 | 95/3 | 0.042 | 0.042 |
| 14 | पहलादसिंहदेवेन्द्रपुत्रनवलसिंहसंदीपपुत्रईश्वरसिंह सचिनसिंह पुत्र कैलाशसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा बिलमुक्ता 23.00 | 97/1 | 0.273 | 0.130 |
| 15 | भानुप्रतापसिंह पुत्र वीरसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा बिलमुक्ता 19.00 | 97/2 | 4.065 | 1.000 |
| 16 | भानुप्रतापसिंह पुत्र वीरसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा 97/2 | 98 | 5.258 | 0.300 |
| 17 | सुदामाबाई पुत्र बद्रीप्रसाद जाति ब्राम्हण पता खरथरी बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.51 | 166/1 | 0.154 | 0.010 |
| 18 | बबलू पुत्र जगन्नाथप्रसाद जाति ब्राम्हण पता खरथरी बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.51 | 166/2 | 0.155 | 0.030 |
| 19 | मथरा प्रसाद पुत्र किस्सूलाल जाति ब्राहमण पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी यह खाता विदिशा भोपाल क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा गंज में बंधक है भू–राजस्व 0.51 | 166/3 | 0.154 | 0.010 |
| 20 | द्वारकाप्रसाद पुत्र किस्सूलाल जाति ब्राहमण पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.51 | 166/4 | 0.154 | 0.025 |
| 21 | सुदामाबाई पुत्र बद्रीप्रसाद जाति ब्राम्हण पता खरथरी बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.04 | 178/1 | 0.126 | 0.090 |
| 22 | मोहनलाल पुत्र गनेशराम जाति रैकवार पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.08 | 179/1/1 | 0.327 | 0.040 |

| क्र. | नाम कृषक/पिता का नाम/जाति/ग्राम | सर्वे नंबर | भूमि का कुल रकवा (हे.में) | कुल अर्जित रकवा (हे.में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23 | गीताबाई पत्नी चिरोंजीलाल जाति रैकबार पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 1.62 | 179/3 | 0.491 | 0.020 |
| 24 | बद्रीप्रसाद पुत्र किस्सूलाल जाति ब्राम्हण पता खरथरी बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 5.00 | 212/1/1 | 0.865 | 0.120 |
| 25 | नीलेश पुत्र बद्रीप्रसाद जाति ब्राम्हण पता खरथरी बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 5.00 | 212/1/2 | 0.865 | 0.090 |
| 26 | संजीव पुत्र जगन्नाथप्रसाद जाति ब्राहम्ण पता खरथरी बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 5.00 | 212/2/1 | 1.000 | 0.130 |
| 27 | बबलू पुत्र जगन्नाथप्रसाद जाति ब्राम्हण पता खरथरी बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 3.00 | 212/2/2 | 0.213 | 0.020 |
| 28 | मथराप्रसाद पुत्र किस्सूलाल जाति ब्राहमण पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी यह खाता विदिशा भोपाल क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा गंज में बंधक है | 212/3 | 1.750 | 0.530 |
| 29 | द्वारकाप्रसाद पुत्र किस्सूलाल जाति ब्राहमण पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी | 212/4 | 1.212 | 0.170 |
| 30 | प्रकाश पुत्र लालाराम जाति भोई पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. 189/1 | 211/2/4 | 0.545 | 0.030 |
| 31 | प्रहलादसिंहपुत्रबावूलालगिरजाबाई बेवा बावूलाल जाति रघुवंशी पता खरथरी बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी | 214/2 | 0.460 | 0.040 |
| 32 | लालाराम पुत्र लुख्खु जाति भोई पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी यह खाता पंजाब नेशनल बैंक शाखा गंजबासौदा में वंधक है भू–राजस्व 2.90 | 216 | 1.453 | 0.260 |
| 33 | रईसखाँ पुत्र कालेखाँ जाति मुसलमान पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी | 217/1 | 0.724 | 0.250 |
| 34 | रईसखाँ पुत्र कालेखाँ जाति मुसलमान पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा 217/1 | 217/2 | 0.724 | 0.310 |
| 35 | श्रीमतीसुनीता पत्नी विजय जाति अरोरा पता खरथरी बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी | 217/3 | 0.724 | 0.440 |
| 36 | श्रीमतीसुनीता पत्नी विजय जाति अरोरा पता खरथरी बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी | 217/4 | 0.724 | 0.700 |
| 37 | आसिफखाशाहरूखखाफारूखखाअजहरखा मजहरखा पुत्र आजादखा जाति मुस्लिम पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 8.50 | 206/1/1 | 1.913 | 0.600 |
| 38 | श्रीमतीसुनीता पत्नी विजय जाति अरोरा पता खरथरी बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 8.50 | 206/1/2 | 1.914 | 0.670 |

| क्र. | नाम कृषक/पिता का नाम/जाति/ग्राम | सर्वे नंबर | भूमि का कुल रकवा (हे.में) | कुल अर्जित रकवा (हे.में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 39 | ममतामनीषावारानीनावापुत्रीयाखुशालसिंहसरपरस्त मा कृष्णाबाईवेवाखुशालसिंहदेवेन्द्ररनजीतसुरजीत पुत्र खुशालसिंह जाति राजपूत पता खरथरी बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा 82 | 206/2 | 1.035 | 0.100 |
| 40 | कमलसिंह पुत्र भमरलाल जाति राजपूत पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. 82/2 | 205/2 | 1.192 | 0.130 |
| 41 | ममतामनीषावारानीनावापुत्रीयाखुशालसिंहसरपरस्त मा कृष्णाबाईवेवाखुशालसिंहदेवेन्द्ररनजीतसुरजीत पुत्र खुशालसिंह जाति राजपूत पता खरथरी बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा 82/1 | 204/1 | 0.690 | 0.280 |
| 42 | कमलसिंह पुत्र भमरलाल जाति राजपूत पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा 82/2 | 204/2 | 1.683 | 0.150 |
| 43 | बावूलाल पुत्र भमरलाल जाति राजपूत पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 4.44 | 203 | 2.456 | 0.010 |
| 44 | देवीसिंह पुत्र सरदारसिंह जाति राजपूत पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी यह खाता बैंक ऑफ इंडिया शाखा बासोदा में बंधक है भू–राजस्व 8.21 | 198/1 | 2.902 | 0.260 |
| 45 | कल्लूउर्फकन्हैयालाल पुत्र बलवंतसिंह जाति भौई पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.59 | 218/1 | 0.048 | 0.048 |
| 46 | लल्लू पुत्र बलवंतसिंह जाति भौई पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.59 | 218/2 | 0.049 | 0.049 |
| 47 | राजाराम पुत्र अजबसिंह जाति भौई पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.58 | 218/3 | 0.049 | 0.049 |
| 48 | अजबसिंह नाबा पुत्र बलवंतसिंहसरपरस्तभाईकल्लू जाति भौई पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.58 | 218/4 | 0.049 | 0.049 |
| 49 | गुलाबबाई बेवा बलवंतसिंह जाति भोई पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.58 | 218/5 | 0.049 | 0.049 |
| 50 | राजबाई बेवा बलवंतसिंह जाति भौई पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.58 | 218/6 | 0.049 | 0.049 |
| 51 | केशवसिंह पुत्र विजयसिंह जाति रघुवन्शी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू रा.शा 43 | 62/1/2/1 | 1.019 | 0.080 |
| 52 | शिवराजसिंह पुत्र विजयसिंह जाति रघुवंशी पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू रा.शा 38 | 62/1/2/2 | 0.917 | 0.010 |
| 53 | सुदामाबाई पुत्र बद्रीप्रसाद जाति ब्राम्हण पता खरथरी बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.राजस्व 0.63 | 167/1 | 0.245 | 0.010 |
| | योग | | 52.711 | 9.280 |

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का प्रकाशन कियां जाना आवश्यक नहीं है।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गंजबासौदा जिला विदिशा एवं परियोजना प्रशासक कोठा बैराज परियोजना कियान्वयन इकाई जल संसाधन विभाग गंजबासौदा जिला विदिशा के कार्यालय में किया जा सकता है।

अंतर्गत धारा–19 भू–अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 3 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कोठा बैराज परियोजना तहसील–कुरवाई जिला विदिशा के ग्राम पीकलोन के लिए बैराज डूब में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक वार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवास एवं पुनर्व्यस्थापना उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 3 सन् 2013) धारा–19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित सूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

**अनुसूची**

कोठा बैराज परियोजना के निर्माण हेतु ग्राम–**पीकलोन**

जिला –विदिशा

तहसील–कुरवाई

| क्र. | नाम कृषक/पिता का नाम/जाति/ग्राम | सर्वे नंबर | भूमि का कुल रकवा (हे.में) | कुल अर्जित रकवा (हे.में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | मेहराजखां पुत्र तुरावखां पता नि.ग्राम वीलाढाना 0.511/5.457 भाग भूमि स्वामी शाकिरखां पुत्र सरदारखांभाग 0.316/5.457 नि. ग्राम बकवारा रहीसउद्दीन पुत्र नूरमोहम्मद भूमि स्वामी दभाग 0.317/5.457 नि. ग्राम देवली जाकिरखां नावा पुत्र वशीरखां भूमि स्वामी सरफराजखां नावा. पुत्र साविरखां सर.वशीरखां पुत्र सरदारखां पता नि.ग्राम बकवारा भूमि स्वामी सलामउद्दीन,निजामुद्दीनपुत्र नूरमोहम्मद भाग 3.801/5.457 समान पता नि.ग्राम देवली भूमि स्वामी नूर मोहम्मद पुत्र मोती खां 0.512/5.457 जाति मुसलमान नि. ग्राम भूमि स्वामी | 1413/2/1 | 5.457 | 4.105 |
| 2 | शरीफखां पुत्र चुन्नुखां जाति मुसलमान पता निवासी ग्राम गुदावल कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 30.00 | 1423/1 | 5.743 | 4.343 |
| 3 | चित्तरसिंह पुत्र सोमतसिंह भाग 0.108/0.839 इस्लामउद्दीन पुत्र नूरउद्दीन भाग 0.558/0.839 गोपीबाई बेवा सोमतसिंह 0.146/0.839 भाग भूमि स्वामी कृष्णाबाई भाग 0.027/0.839 पुत्रियां सोमतसिंह जाति दांगी नि ग्राम भूमिस्वामी | 1423/2/3 | 0.839 | 0.839 |
| 4 | रामवतीबाई रामाबाई 146/3470 पुत्रीया सोमतसिंह भूमि स्वामी श्रीबाई पत्नि सोमतसिंहभाग 244/3470 महाराजसिंह पुत्र बुदसिंह भाग 0244/3470 भूमि स्वामी जयसिंह पुत्र नत्थूसिंहभाग 0136/3470 ओमकारसिंह पुत्र नत्थूसिंह भाग 136/3470 भूमि स्वामी सीताराम पुत्र उधमसिंह भाग 136/3470 जाति दांगी भूमि स्वामी नारायणसिंह पुत्र सरदारसिंह भाग 136/3470 भीकमसिंह पुत्र दलीपसिंहभाग 136/3470 भूमि स्वामी घासीराम पुत्र गोरेलाल भाग 136/3470 रामबाई बेवा हल्कूसिंह सुशीलाबाई पुत्री हल्कूसिंह 406/3470 संभाग भूमि स्वामी राजरानीबाई बेवा नत्थूसिंह कुन्दनलाल पुत्र जगन्नाथ प्रसाद कालूराम पुत्र चिरोंजीलाल जमनाप्रसाद पुत्र गुलाबचंद जाति कायस्थ पता नि. ग्राम भाग 406/3470 अतिरिक्त पुत्र रकवा पता पीकलोन कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी भाग 1208/3470 | 1423/2/2 | 1.035 | 0.209 |
| 5 | मुस्ताक खां असफाक खां जाविद खां पुत्रगण तुराव खां जाति मुसलमान नि वीलाडाना(पाही) | 1423/2/1 | 2.216 | 1.973 |

| क्र. | नाम कृषक/पिता का नाम/जाति/ग्राम | सर्वे नंबर | भूमि का कुल रकवा (हे.में) | कुल अर्जित रकवा (हे.में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | सलीमउद्दीन पुत्र नूरमोहम्मद जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी निजामुद्दीन पुत्र नूरमोहम्मद जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/2भाग भूमिस्वामी भू राजस्व 1420/1/1/2 | 1421/1/1/1 | 0.154 | 0.154 |
| 7 | मिठ्ठूसिंह पुत्र खिलानसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी | 1421/1/2/1 | 0.390 | 0.390 |
| 8 | रहीशउद्दीन पुत्र नूरमोहम्मद जाति मुसलमान पता देवली पाही कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी | 1421/1/2/2 | 0.391 | 0.391 |
| 9 | आशाबाई पति जितेन्द्रसिंह जाति राजपूत पता पिकलोन कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी भू राजस्व भमि स्वामी 5.00 | 1421/2 | 1.082 | 1.082 |
| 10 | सुरेन्द्रसिंह पुत्र रणजीत सिंह जाति राजपूत पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/2 भाग भूमिस्वामी भू राजस्व वीरेन्द्रसिंह | 1420/1/1/1 | 0.927 | 0.860 |
| 11 | सलीमउद्दीन पुत्र नूरमोहम्मद जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी निजामुद्दीन पुत्र नूरमोहम्मद जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/2भाग भूमिस्वामी भू राजस्व 4.00 | 1420/1/1/2 | 0.773 | 0.260 |
| 12 | मिठ्ठूसिंह पुत्र खिलानसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 15.75 | 1420/1/2/1 | 0.538 | 0.458 |
| 13 | रहीसउद्दीन पुत्र नूरमोहम्मद जाति मुसलमान पता देवली पाही कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व बिलमुक्ता 15.75 | 1420/1/2/2 | 0.534 | 0.534 |
| 14 | प्रेमबाई पति रंजीतसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी भू राजस्व 8.00 | 1420/2 | 0.772 | 0.652 |
| 15 | ज्ञानबाई पति शिवराजसिंह जाति दांगी पता पीकलोन कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 246 | 1418/1 | 1.25 | 0.120 |
| 16 | अमरसिंह पुत्र शिवराजसिंह जाति दांगी पता पीकलोन कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 380 | 1418/2 | 0.174 | 0.064 |
| 17 | रामसिंह पुत्र शिवराजसिंह जाति दांगी पता पिकलोन कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 294/1 | 1418/3 | 4.000 | 0.260 |
| 18 | अभिषेक पुत्र अजयसिंह जाति दांगी पता पिकलोन कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 5.90 | 1418/4/1 | 1.990 | 0.680 |
| 19 | विमलाबाई पत्नी अजयसिंह जाति दांगी पता पिकलोन कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 5.90 | 1418/4/2 | 1.990 | 0.750 |
| 20 | अजयसिंह पुत्र शिवराजसिंह जाति दांगी पता पिकलोन कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी | 1418/4/3 | 0.420 | 0.080 |
| 21 | अमरसिंह पुत्र शिवराजसिंह जाति दांगी पता पीकलोन कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 280 | 1414 | 3.836 | 2.130 |
| 22 | रामकुवंरबाई पुत्री नारायण सिंह जाति सेन पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 6.80 | 1417/5/2 | 1.135 | 0.320 |

| क्र. | नाम कृषक/पिता का नाम/जाति/ग्राम | सर्वे नंबर | भूमि का कुल रकवा (हे.में) | कुल अर्जित रकवा (हे.में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23 | अजबसिंह पुत्र बाबूलाल जाति नाई पता कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 1417/2/1 | 1417/6/1 | 0.261 | 0.220 |
| 24 | राजराम पुत्र बाबूलाल जाति सेन पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 1404/2 | 1417/6/2 | 0.260 | 0.180 |
| 25 | काशीराम पुत्र बाबूलाल जाति सेन पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी गोपाल पुत्र बाबूलाल जाति सेन पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी नब्बोबाई पुत्री बाबूलाल पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी फूलाबाई पुत्री बाबूलाल जाति सेन पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 1404/3 | 1417/6/3 | 0.260 | 0.030 |
| 26 | नारायण सिंह पुत्र प्यारेलाल भाग 1.841 बब्लू नावा.पुत्र नारायण भाग 0.470 पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी हरप्रसाद लीलाबाई पूनाबाई पावर्तीबाई पुत्र पुत्रियां कालूराम भाग 0.110 समान भाग प्रहलाद नावा पुत्र कालूराम बेनीबाई बेवा कालूराम भाग 0.265 समान भाग जाति बीढर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी खिलानसिंह पुत्र दौला भाग 0.512 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी बालकिशन पुत्र खुमान भाग 1.359 जाति साहू पर्वतसिंह पुत्र भैयालाल भाग 0.331 जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 597/3 | 1374 | 0.042 | 0.042 |
| 27 | नारायण सिंह पुत्र प्यारा भाग 1.841 बब्लू नावा.पुत्र नारायण भाग 0.470 पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी हरप्रसाद लीलाबाई पूनाबाई पावर्तीबाई पुत्र पुत्रियां कालूराम भाग 0.110 समान भाग प्रहलाद नावा पुत्र कालूराम बेनीबाई बेवा कालूराम भाग 0.265 समान भाग जाति बीढर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी खिलानसिंह पुत्र दौला भाग 0.512 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी बालकिशन पुत्र खुमान भाग 1.359 जाति साहू पर्वतसिंह पुत्र भैयालाल भाग 0.331 जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 597/3 | 1375 | 0.031 | 0.031 |
| 28 | अनिलदेव पुत्र श्रीधररावदेव जाति ब्रहाम्ण पता पिकलोन कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 3.05 | 1377/1 | 0.899 | 0.830 |
| 29 | साधनादेव पत्नी अनिलदेव जाति ब्रहाम्ण पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 3.95 | 1377/2 | 1.158 | 0.460 |
| 30 | विकमसिंह पुत्र श्रीराम उर्फ मुन्ना सिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भूराजस्व 5.70 | 1377/6 | 1.672 | 0.150 |
| 31 | साधनादेव पति अनिलकुमारदेव जाति ब्रहाम्ण पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 0.70 | 1377/8 | 0.209 | 0.050 |
| 32 | नारायण पुत्र प्यारा भाग 1.841 बब्लू नावा.पुत्र नारायण भाग 0.470 पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी हरप्रसाद लीलाबाई पूनाबाई पावर्तीबाई पुत्र पुत्रियां कालूराम भाग 0.110 समान भाग प्रहलाद नावा. पुत्र कालूराम बेनीबाई बेवा कालूराम भाग 0.265 समान भाग जाति बीढर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी खिलानसिंह पुत्र दौला भाग 0.512 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी बालकिशन पुत्र खुमान भाग 1.359 जाति साहू पर्वतसिंह पुत्र भैयालाल भाग 0.331 जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 597/3 | 1377/9 | 4.146 | 0.060 |
| | योग | | 44.584 | 22.707 |

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरवाई जिला विदिशा एवं परियोजना प्रशासक कोठा बैराज परियोजना कियान्वयन इकाई जल संसाधन विभाग गंजबासौदा जिला विदिशा के कार्यालय में किया जा सकता है।

अंतर्गत धारा–19 भू–अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 3 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कोठा बैराज परियोजना तहसील–कुरवाई जिला विदिशा के ग्राम **सिरनोटा** के लिए बैराज डूब में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक वार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवास एवं पुनर्व्यस्थापना उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 3 सन् 2013) धारा–19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित सूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

**अनुसूची**

कोठा बैराज परियोजना के निर्माण हेतु ग्राम–**सिरनोटा**

जिला –विदिशा

तहसील–कुरवाई

| क्र. | नाम कृषक/पिता का नाम/जाति/ग्राम | सर्वे नंबर | भूमि का कुल रकवा (हे.में) | कुल अर्जित रकवा (हे.में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | देवल पत्नी गौतम शर्मा जाति ब्राहम्ण पता सिरनोटा कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 28.76 | 3/1/1 | 5.610 | 0.700 |
| 2 | श्रष्टी पुत्री गोतम शर्मा जाति ब्राहम्ण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 28.75 | 3/1/2 | 5.609 | 0.770 |
| 3 | इंद्रादेवी पत्नी केदारनाथ जाति ब्राहम्ण पता सिरनोटा कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 3.21 | 3/1/3 | 0.627 | 0.030 |
| 4 | मनु पुत्र सुरेन्द्र कुमार जाति ब्राहम्ण पता सिरनोटा कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 13.72 | 3/2/1 | 2.882 | 0.240 |
| 5 | विधु पुत्री सुरेन्द्र कुमार जाति ब्राहम्ण पता सिरनोटा कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 12.72 | 3/2/2 | 2.883 | 0.500 |
| 6 | साधनाबाई बेवा सुरेन्द्रकुमार जाति ब्राहम्ण पता सिरनोटा कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा. बिलमुक्ता 4.00 | 3/2/3, 3/3 | 0.835 | 0.165 |
| 7 | गुलशेरखां पुत्र बाजखां जाति मुसलमान पता नि.ग्रा उमरछा 0.051/0.460 भाग भूमि स्वामी ईशाक खॉ अश्फाक खॉ अस्ताक खॉ,शहीद खॉ,सगीर खॉ,पुत्रगण छोटे खॉ, भूमि स्वामी ईशाकखां,अस्फाकखॉ,अस्ताक खॉ शहीदखॉ, सगीरखॉ,पुत्रगण छोटेखॉ, जाति मुसलमान पता नि. ग्राम भूमि स्वामी हलीमनबी बेवा छोटेखॉ, जाति मुसलमान ,पता नि.ग्रा. उमरछा 0.052/0.460 भाग भूमिस्वामी मिस्तर खां , अजीज खॉ वकील खॉ, पुत्रगण सरदार खॉ जाति मुसलमान पता नि.ग्राम उमरछा भूमि स्वामी मिस्तर खां , अजीज खॉ वकील खॉ, पुत्रगण सरदार खॉ जाति मुसलमान पता नि.ग्राम उमरछा आमनाबी वेबा सरदार खॉ जाति मुसलमान पता नि.ग्राम उमरछा 0.051/0.460 भाग भूमि स्वामी सियानीबाई पत्नी कमरूद्दीन जाति मुसलमान पता नि.ग्राम उमरछा 0.154/0.460 भाग भूमि स्वामी मोती बाई पत्नी जाफरअली जाति मुसलमान पता नि.ग्राम उमरछा 0.153/0.460 भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 2.75 | 16/248 | 0.460 | 0.190 |

| क्र. | नाम कृषक/पिता का नाम/जाति/ग्राम | सर्वे नंबर | भूमि का कुल रकवा (हे.में) | कुल अर्जित रकवा (हे.में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | हरकिशोर पुत्र ईशवरी प्रसाद जाति ब्राहम्ण पता सिरनोटा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 47.12 | 20/1 | 9.437 | 3.100 |
| 9 | कस्तुरीबाई पुत्री ईश्वरी प्रसाद जाति ब्राहम्ण पता सिरनोटा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व 42.05 | 20/2 | 2.926 | 0.040 |
| 10 | सुनीताबाई पुत्री कृष्णस्वरूप जाति ब्राहम्ण पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू–राजस्व शामिल बिलमुक्ता 24.00 | 98/1 | 2.038 | 0.060 |
| 11 | अक्षय कुमार पुत्र रमेशकुमार जाति ब्राम्हण पता नि.ग्राम सिरनोटा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू– राजस्व 5.62 | 98/3 | 0.836 | 0.200 |
| 12 | घूमनसिंह पुत्र प्यारेलाल जाति दांगी पता नि. ग्राम सिरनोटा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू– राजस्व 0.10 | 97/1 | 0.063 | 0.010 |
| 13 | बलराम शेरसिंह पुत्रगण इमरत सिंह चिरोंजीबाई वेबा प्यारेलाल घुमनसिंह पुत्र प्यारेलाल मुन्नीबाई बसंती बाई लक्ष्मीबाई पुत्रिया प्यारेलाल भाग 2.734/3.125 देवेन्द्र गजेन्द्र पुत्र भारत सिंह भाग 0.391/3.125 समान भाग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.65 | 97/2 | 0.554 | 0.225 |
| 14 | हुकुमसिंह उर्फ रविशंकर पुत्र चरणसिंह नि. ग्राम दागी भूमि स्वामी भू–राजस्व 0.75 | 97/3 | 0.616 | 0.015 |
| 15 | कल्ला पुत्र नथुबा जाति चमार पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय भू राजस्व 3.95 | 115 | 0.502 | 0.030 |
| 16 | कल्ला पुत्र नत्थू जाति चमार पता नि. ग्राम विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 1.00 | 116/1/1 | 0.200 | 0.020 |
| 17 | गंगाबाई वेबा कल्ला राधे हुकम रतनबाई पुत्र पुत्री कल्ला पता सिरनोटा कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश भाग 1796/2693 सुलेमान पुत्र मेहबूब खान जाति मुसलमान भाग 897/2693 पता उमरछा कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | 126/1, 160/1 | 1.766 | 0.930 |
| 18 | अमर सिंह ,पुत्र माधोसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी मलखान सिंह पुत्र माधौसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी राजबाई बेवा माधोसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी | 126/2, 160/2 | 1.672 | 0.050 |
| 19 | कन्छेदी पुत्र दगला जाति चमार पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 0.36 | 167/1 | 0.097 | 0.020 |
| 20 | मीराबाई वेबा फूल्ला जाति चमार पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 0.70 | 167/2 | 0.233 | 0.023 |
| 21 | धनीराम पुत्र मुल्ला जाति चमार पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भूमि स्वामी भू.रा.शा. 113/2/2 | 167/3 | 0.057 | 0.057 |

| क्र. | नाम कृषक/पिता का नाम/जाति/ग्राम | सर्वे नंबर | भूमि का कुल रकवा (हे.में) | कुल आजत रकवा (हे.में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22 | ज्योति शर्मा वेबा संजीव शर्मा जाति ब्राहम्ण पता सिरनोटा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी संस्कार शर्मा पुत्र संजीव शर्मा जाति ब्राहम्ण पता सिरनोटा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/3 भाग अंकिता शर्मा पुत्री संजीव शर्मा जाति ब्राहम्ण पता सिरनोटा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी | 22 | 0.387 | 0.120 |
| 23 | ज्योति शर्मा वेबा संजीव शर्मा जाति ब्राहम्ण पता सिरनोटा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी संस्कार शर्मा पुत्र संजीव शर्मा जाति ब्राहम्ण पता सिरनोटा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/3 भाग अंकिता शर्मा पुत्री संजीव शर्मा जाति ब्राहम्ण पता सिरनोटा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी | 24 | 0.888 | 0.300 |
| 24 | ब्रजेन्द्र कुमार देवेन्द्र संजीव गोतम व इंद्रादेवी उर्मिला देवी सरोजबाई पम्मीबाई उर्फ मधुलिका बाई पुत्र पुत्रीगण रामस्वरूप उमा बाई वेबा रामस्वरूप भाग 9/10 समान कंता शर्मा वेबा राजेन्द्र कुमार शर्मा तृप्ति श्रद्धा मोनिका पुत्रियां राजेन्द्र कुमार शर्मा भाग 1/10 समान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व 7.62 | 25 | 1.254 | 0.265 |
| 25 | साधना बाई वेबा सुरेन्द्र कुमार जाति ब्राहम्ण पता सिरनोटा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 10.62 | 14/1/1 | 2.048 | 0.492 |
| 26 | देवेन्द्र कुमार पुत्र रामस्वरूप जाति ब्राहम्ण पता सिरनोटा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 8.63 | 14/1/2 | 1.777 | 0.460 |
| 27 | रामकलीबाई पत्नी उमाशंकर जाति ब्राहम्ण पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 6.00 | 15/1 | 0.872 | 0.245 |
| 28 | रामकलीबाई पत्नी उमाशंकर जाति ब्राहम्ण पता विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 4.92 | 15/2 | 0.852 | 0.555 |
| 29 | विकाश कुमार पुत्र वीरेन्द्र कुमार जाति ब्राहम्ण पता सिरनोटा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 15.00 | 6/1 | 2.372 | 0.230 |
| 30 | युवराज नाबा. पुत्र गोरव इंद्रा शर्मा वेबा गोरव सर.मा. स्वंय जाति ब्राहम्ण पता सिरनोटा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी भू. राजस्व 15.50 | 6/2 | 2.300 | 0.090 |
| | योग | | 52.653 | 10.132 |

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरवाई जिला विदिशा एवं परियोजना प्रशासक कोठा बैराज परियोजना कियान्वयन इकाई जल संसाधन विभाग गंजबासौदा जिला विदिशा के कार्यालय में किया जा सकता है।

उमाशंकर भार्गव,
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन दिनांक 15 दिसम्बर 2021

प्रकरण क्रमांक /0003/ अ–82/21–22– चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न सूची 01 से 06 में वर्णित भूमि के खाने 08 में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू–अर्जन की पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों की इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (07) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा –11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :–

(1) भूमि का विवरण ।

(क) जिला रायसेन ।

(ख) तहसील / तालुका गैरतगंज ।

(ग) ग्राम हरदौट

अनुसूची –

भूमि का विवरण

| जिला | तहसील | ग्राम का नाम | खसरा क्रमांक | कुल रकवा हेक्टेयर में | अर्जित रकवा हेक्टेयर में | धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| रायसेन | गैरतगंज | हरदौट | 284/1/1 | 0.219 | 0.049 | परियोजना प्रशासक बेतवा परियोजना क्रियान्वयन इकाई (बीपीआईयू–2) क्रमांक 2 गैरतगंज, जिला सागर (म.प्र.) | मोना सिंचाई परियोजना के अंतर्गत मड़िया बांध से डूब प्रभावित हेतु |
| | | | 284/2 | 0.438 | | | |
| | | | 284/2/1 | 0.218 | | | |
| | | | 285 | 0.543 | 0.032 | | |
| | | | 286 | 0.462 | 0.036 | | |
| | | | 287 | 0.676 | 0.041 | | |
| | | | 288 | 0.704 | 0.041 | | |
| | | | 289 | 0.589 | 0.049 | | |
| | | | 310 | 2.432 | 0.045 | | |
| | | | 319 | 0.344 | 0.032 | | |
| | | | 333/1,337/2, 342,344,345,346 | 3.230 | 0.041 | | |
| | | | 333/2 | 2.023 | | | |
| | | | 333/3, 337/1 | 2.023 | | | |
| | | | 334 | 0.991 | 0.049 | | |
| | | | 799/1/1 | 0.016 | 0.009 | | |
| | | | 799/1/2 | 0.525 | 0.008 | | |
| | | | 799/1/3 | 0.527 | 0.004 | | |
| | | | 799/2 | 1.064 | 0.020 | | |
| | | | 798/1/1 | 1.489 | 0.015 | | |
| | | | 798/1/2 | 0.485 | 0.009 | | |
| | | | 798/1/3 | 0.821 | 0.045 | | |

| जिला | तहसील | ग्राम का नाम | खसरा क्रमांक | कुल रकबा हेक्टेयर में | अर्जित रकबा हेक्टेयर में | धारा -11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 808/1 | 0.088 | 0.088 | | |
| | | | 808/2 | 0.058 | 0.058 | | |
| | | | 825/1/1/1 | 0.231 | 0.032 | | |
| | | | 825/1/1/2 | 0.101 | | | |
| | | | 825/1/2/1 | 0.170 | | | |
| | | | 825/1/2/2 | 0.101 | | | |
| | | | 825/2/1 | 0.101 | | | |
| | | | 825/2/2 | 0.101 | | | |
| | | | 826/1/1 | 0.239 | 0.032 | | |
| | | | 826/1/1/2 826/2 | 0.202 | | | |
| | | | 826/1/2 | 0.477 | | | |
| | | | 826/2 | 0.239 | | | |
| | | | 828/1/1 | 0.531 | 0.035 | | |
| | | | 828/1/2 | 0.190 | 0.034 | | |
| | | | 848 | 0.202 | 0.032 | | |
| | | | 850 | 1.153 | 0.121 | | |
| | | | 858/1 | 0.413 | 0.012 | | |
| | | | 858/2 | 0.513 | 0.024 | | |
| | | | 859 | 1.330 | 0.032 | | |
| | | | 946/1 | 0.498 | 0.041 | | |
| | | | 946/2 | 0.437 | | | |
| | | | 946/3 | 0.437 | | | |
| | | | 946/4 | 0.579 | | | |
| | | | 947/1 | 0.271 | 0.010 | | |
| | | | 947/2 | 0.272 | 0.010 | | |
| | | | 957/1 | 0.405 | 0.032 | | |
| | | | 957/2 | 0.784 | 0.041 | | |
| | | | 958/1 | 0.118 | 0.015 | | |
| | | | 958/2 | 0.121 | 0.017 | | |
| | | | 959 | 1.424 | 0.024 | | |
| | | | 1132/1 | 0.907 | 0.081 | | |
| | | | 1132/2 | 0.906 | | | |
| | | | 1132/3 | 0.906 | | | |
| | | | 1133/1 | 0.560 | 0.024 | | |
| | | | 1133/2 | 0.607 | | | |
| | | | 1134 | 0.907 | 0.024 | | |
| | | | 1135 | 0.526 | 0.012 | | |
| | | | 1137/1 | 0.489 | 0.005 | | |

| जिला | तहसील | ग्राम का नाम | खसरा क्रमांक | कुल रकबा हेक्टेयर में | अर्जित रकबा हेक्टेयर में | धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 1137/2 | 0.489 | 0.015 | | |
| | | | 1138/1 | 0.303 | 0.008 | | |
| | | | 1138/2 | 0.303 | 0.008 | | |
| | | | 1138/4 | 0.692 | 0.012 | | |
| | | | 1140 | 0.636 | 0.012 | | |
| | | | 1102/1<br>1102/2/2 | 0.975 | 0.065 | | |
| | | | 1102/2/1/1 | 0.081 | 0.020 | | |
| | | | 1102/2/1/2 | 0.405 | | | |
| | | | 1101/1 | 0.845 | 0.035 | | |
| | | | 1101/2<br>1103 | 1.995 | 0.033 | | |
| | | | 1100 | 1.449 | 0.024 | | |
| | | | 1099/1/1 | 0.708 | 0.036 | | |
| | | | 1099/1/2 | 0.182 | | | |
| | | | 1099/3 | 0.874 | 0.012 | | |
| | | | 1153/321/1 | 1.214 | 0.045 | | |
| | | | 1153/321/2 | 1.214 | | | |
| | | | 1154/333 | 3.885 | 0.150 | | |
| | | कुल | | **53.663** | **1.836** | | |

नोट – भूमि का नकशा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय गैरतगंज में देखा जा सकता है।

प्रकरण क्रमांक / 18 / अ–82/21–22– चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न सूची 01 से 06 में वर्णित भूमि के खाने 08 में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू–अर्जन की पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों की इसके द्वारा इस आशय की सूचना दि जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (07) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा –11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :–

(1) – भूमि का विवरण ।

(क) – जिला रायसेन ।

(ख) – तहसील / तालुका बेगमगंज ।

(ग) – ग्राम ककरूआ बरामद गढ़ी

–::अनुसूची::–

::–भूमि का विवरण::–

| जिला | तहलील | ग्राम का नाम | खसरा क्रमांक | कुल रकवा हेक्टेयर में | अर्जित रकवा हेक्टेयर में | धारा –11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| रायसेन | बेगमगंज | ककरूआ बरामद गढ़ी | 2/1 | 1.983 | 1.983 | कार्यपालन यंत्री बीना परियोयना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर | बीना सिचाई परियोचना के अंतर्गत मंडिया बॉध से डूब प्रभावित हेतू |
| | | | 2/2 | 4.266 | 4.266 | | |
| | | | 2/3/1 | 0.060 | 0.060 | | |
| | | | 2/3/2 | 0.260 | 0.260 | | |
| | | | 3 | 1.011 | 1.011 | | |
| | | | 4 | 1.983 | 1.983 | | |
| | | | 5 | 0.947 | 0.947 | | |
| | | | 6/1 | 1.202 | 1.202 | | |
| | | | 6/2 | 0.976 | 0.976 | | |
| | | | 7/1 | 2.298 | 2.298 | | |
| | | | 7/2 | 2.298 | 0.862 | | |
| | | | 10 | 3.415 | 3.415 | | |
| | | | 11 | 0.251 | 0.251 | | |
| | | | 12/1 | 3.404 | 3.404 | | |
| | | | 12/2 | 2.022 | 2.022 | | |
| | | | 13 | 1.243 | 1.243 | | |
| | | | 14/1/1/1/1 | 0.420 | 0.420 | | |
| | | | 14/1/1/1/2 | 0.417 | 0.417 | | |
| | | | 14/1/1/2 | 0.607 | 0.607 | | |
| | | | 14/1/1/3 | 0.397 | 0.397 | | |
| | | | 14/1/2 | 0.611 | 0.611 | | |
| | | | 14/2/1 | 0.409 | 0.409 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 14/2/2 | 0.408 | 0.408 | | |
| | | | 15/1 | 1.460 | 1.833 | | |
| | | | 15/2 | 0.731 | | | |
| | | | 15/3 | 0.731 | | | |
| | | | 15/4 | 0.731 | | | |
| | | | 16 | 4.189 | 3.339 | | |
| | | | 17/1 | 1.820 | 1.820 | | |
| | | | 17/2 | 1.820 | 1.820 | | |
| | | | 17/3 | 0.995 | 0.995 | | |
| | | | 17/4/1 | 0.506 | 0.506 | | |
| | | | 17/4/2 | 0.506 | 0.506 | | |
| | | | 18/1/1 | 1.011 | 1.011 | | |
| | | | 18/1/2 | 1.445 | 1.445 | | |
| | | | 18/2 | 0.405 | 0.405 | | |
| | | | 19/1/1/1 | 0.627 | 0.627 | | |
| | | | 19/1/1/2 | 0.809 | 0.809 | | |
| | | | 19/1/2 | 0.809 | 0.809 | | |
| | | | 19/1/3/1/1 | 0.809 | 0.809 | | |
| | | | 19/1/3/1/2 | 0.809 | 0.809 | | |
| | | | 19/1/3/2/1 | 0.809 | 0.809 | | |
| | | | 19/1/3/2/2 | 0.627 | 0.627 | | |
| | | | 19/2 | 0.809 | 0.809 | | |
| | | | 20/1 | 0.647 | 0.647 | | |
| | | | 20/2 | 0.502 | 0.502 | | |
| | | | 21/1 | 0.194 | 0.194 | | |
| | | | 21/2 | 0.365 | 0.365 | | |
| | | | 21/3 | 0.170 | 0.170 | | |
| | | | 22/1/1 | 0.975 | 0.975 | | |
| | | | 22/1/2 | 0.892 | 0.892 | | |
| | | | 22/2 | 0.586 | 0.586 | | |
| | | | 23/1 | 1.040 | 1.040 | | |
| | | | 23/2/1 | 0.526 | 0.526 | | |
| | | | 23/2/2 | 0.526 | 0.526 | | |
| | | | 24 | 0.769 | 0.769 | | |
| | | | 25 | 1.448 | 1.448 | | |
| | | | 26/1 | 0.809 | 0.809 | | |
| | | | 26/2 | 1.476 | 1.476 | | |
| | | | 26/3/1 | 0.405 | 0.405 | | |
| | | | 26/3/2 | 0.267 | 0.267 | | |
| | | | 27/1 | 0.316 | 0.316 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27/2 | 0.320 | 0.320 | | |
| | | 28/1 | 2.023 | 2.023 | | |
| | | 30/1/1 | 1.214 | 0.380 | | |
| | | 30/1/2 | 1.942 | 0.020 | | |
| | | 31/1 | 0.506 | 0.101 | | |
| | | 31/2/1 | 1.473 | 0.547 | | |
| | | 31/2/2 | 0.563 | 0.182 | | |
| | | 35/1/2 | 0.731 | 0.376 | | |
| | | 35/1/3 | 0.731 | 0.097 | | |
| | | 35/2 | 1.659 | 0.235 | | |
| | | 36/1 | 1.615 | 0.847 | | |
| | | 36/2/1 | 1.055 | 1.014 | | |
| | | 36/2/2 | 0.280 | 0.280 | | |
| | | 36/2/3 | 0.280 | 0.280 | | |
| | | 37 | 0.798 | 0.798 | | |
| | | 38 | 0.954 | 0.954 | | |
| | | 39/1 | 0.413 | 0.413 | | |
| | | 39/2 | 0.036 | 0.036 | | |
| | | 40<br>शा.न. 41 | 1.731 | 1.731 | | |
| | | 42 | 0.360 | 0.360 | | |
| | | 43 | 1.318 | 1.318 | | |
| | | 44/2/1 | 2.023 | 2.023 | | |
| | | 44/2/2 | 0.567 | 0.567 | | |
| | | 44/2/3 | 1.295 | 1.295 | | |
| | | 44/2/4 | 0.809 | 0.809 | | |
| | | 46 | 0.575 | 0.575 | | |
| | | 47 | 1.430 | 1.430 | | |
| | | 48 | 1.335 | 1.335 | | |
| | | 49 | 0.490 | 0.490 | | |
| | | 50 | 0.543 | 0.543 | | |
| | | 51 | 0.729 | 0.729 | | |
| | | 52 | 0.918 | 0.918 | | |
| | | 53/1 | 0.445 | 0.445 | | |
| | | 53/2 | 0.284 | 0.284 | | |
| | | 54/1 | 0.607 | 0.607 | | |
| | | 54/2 | 0.117 | 0.117 | | |
| | | 56/1 | 0.121 | 0.121 | | |
| | | 56/2 | 0.405 | 0.405 | | |
| | | 57 | 0.570 | 0.570 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 59/3 | 0.809 | 0.795 |
| 60 | 0.093 | 0.093 |
| 61 | 0.332 | 0.308 |
| 62 | 0.174 | 0.057 |
| 63 | 0.138 | 0.097 |
| 64 | 0.069 | 0.069 |
| 65 | 0.109 | 0.077 |
| 68 | 0.332 | 0.332 |
| 69/1/1 | 1.668 | 1.668 |
| 69/1/2 | 1.668 | 1.668 |
| 69/1/3 | 1.668 | 1.668 |
| 70/1/1 72 ,73 | 0.291 | 0.291 |
| 70/1/2 72 73 | 0.242 | 0.242 |
| 70/2/1/1 72 73 | 0.174 | 0.174 |
| 70/2/1/2 72 73 | 0.149 | 0.149 |
| 70/2/2/1 शा न 72 73 | 1.169 | 1.169 |
| 70/2/2/2/1 72 73 | 0.627 | 0.627 |
| 70/2/2/2/2 72 73 | 0.348 | 0.348 |
| 74/1 | 0.178 | 0.178 |
| 74/2 | 0.149 | 0.149 |
| 76/1 ,77, | 0.765 | 0.765 |
| 76/2/1 ,77 | 0.089 | 0.089 |
| 76/2/2/1,77 | 0.041 | 0.041 |
| 76/2/2/2,77 | 0.036 | 0.036 |
| 78/1 | 1.764 | 1.764 |
| 78/2 | 1.473 | 1.473 |
| 80/1 | 0.507 | 0.507 |
| 80/2/1/1 | 0.809 | 0.809 |
| 80/2/1/2 | 0.809 | 0.809 |
| 80/2/1/3 | 0.899 | 0.899 |
| 80/2/1/4 | 0.809 | 0.809 |
| 80/2/2/1 | 0.405 | 0.405 |
| 80/2/2/2 | 0.809 | 0.809 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 82 | 0.486 | 0.486 | | | |
| | | | 83 | 1.113 | 1.113 | | | |
| | | | 84/1 | 0.387 | 0.387 | | | |
| | | | 84/2 | 0.628 | 0.628 | | | |
| | | | 86/1 | 0.882 | 0.882 | | | |
| | | | 86/2 | 0.235 | 0.235 | | | |
| | | | 88/1 | 0.675 | 0.675 | | | |
| | | | 88/2 | 0.470 | 0.470 | | | |
| | | | 89 | 1.664 | 1.664 | | | |
| | | | 90/1 | 0.241 | 0.241 | | | |
| | | | 90/2 | 1.134 | 1.134 | | | |
| | | | 91/1 | 0.746 | 0.746 | | | |
| | | | 91/2 | 1.417 | 1.417 | | | |
| | | | 92/1/1 | 0.925 | 0.925 | | | |
| | | | 92/1/2 | 0.141 | 0.141 | | | |
| | | | 92/2/1 | 0.801 | 0.801 | | | |
| | | | 92/2/2 | 0.196 | 0.196 | | | |
| | | | 93/1 | 0.766 | 0.766 | | | |
| | | | 93/2 | 0.983 | 0.983 | | | |
| | | | 95 | 0.802 | 0.802 | | | |
| | | | 96 | 1.825 | 1.825 | | | |
| | | | 97 | 2.096 | 2.096 | | | |
| | | | 98 | 1.659 | 1.659 | | | |
| | | | 99/1 | 1.416 | 1.416 | | | |
| | | | 99/2/1 | 0.544 | 0.544 | | | |
| | | | 99/2/2 | 0.876 | 0.876 | | | |
| | | | 101/39 | 0.559 | 0.559 | | | |
| | | | 103/26/1/1 | 0.566 | 0.566 | | | |
| | | | 103/26/1/2 | 0.029 | 0.029 | | | |
| | | | 103/26/2/1 | 0.518 | 0.518 | | | |
| | | | 103/26/2/2 | 0.081 | 0.081 | | | |
| | | | 105/64 | 0.036 | 0.036 | | | |
| | | | 107/69/1 | 1.668 | 1.668 | | | |
| | | | 107/69/2 | 0.419 | 0.419 | | | |
| | | | 108/22 | 0.263 | 0.263 | | | |
| | | | 109/84 | 0.283 | 0.283 | | | |

नोट – भूमि का नकशा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है।

प्रकरण क्रमांक / 45 / अ–82/21–22– चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न सूची 01 से 06 में वर्णित भूमि के खाने 08 में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू–अर्जन की पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों की इसके द्वारा इस आशय की सूचना दि जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (07) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा –11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :–

(1) – भूमि का विवरण ।

(क) – जिला रायसेन ।

(ख) – तहसील / तालुका बेगमगंज ।

(ग) – ग्राम खजुरिया बरामद गढ़ी

–::अनुसूची::–

::–भूमि का विवरण::–

| जिला | तहसील | ग्राम का नाम | खसरा क्रमांक | कुल रकवा हेक्टेयर में | अर्जित रकवा हेक्टेयर में | धारा –11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| रायसेन | बेगमगंज | खजुरिया बरामद गढ़ी | 6/2 | 1.647 | 0.142 | कार्यपालन यंत्री बीना परियोयना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर | बीना सिचाई परियोचना के अंतर्गत मंडिया बॉध से डूब प्रभावित हेतू |
| | | | 7 | 0.174 | 0.032 | | |
| | | | 9 | 2.012 | 0.275 | | |
| | | | 20/1 | 0.660 | 0.344 | | |
| | | | 21 | 0.125 | 0.053 | | |
| | | | 22/1 | 0.610 | 0.610 | | |
| | | | 22/2 | 0.610 | 0.610 | | |
| | | | 22/3 | 0.610 | 0.610 | | |
| | | | 22/4 | 0.610 | 0.610 | | |
| | | | 23/1/1 | 0.291 | 0.291 | | |
| | | | 23/1/2 | 0.275 | 0.275 | | |
| | | | 23/1/3 | 0.190 | 0.190 | | |
| | | | 23/2 | 0.567 | 0.567 | | |
| | | | 24 | 0.045 | 0.045 | | |
| | | | 25/1 | 0.162 | 0.162 | | |
| | | | 25/2 | 0.162 | 0.162 | | |
| | | | 26 | 0.206 | 0.206 | | |
| | | | 27/1 | 0.139 | 0.139 | | |
| | | | 27/2 | 0.130 | 0.130 | | |
| | | | 28/1 | 0.024 | 0.024 | | |
| | | | 28/2 | 0.101 | 0.101 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 29/1 | 0.809 | 0.182 | | |
| | | | 29/2/1 | 0.154 | 0.154 | | |
| | | | 29/2/2 | 0.975 | 0.562 | | |
| | | | 30 | 3.455 | 1.214 | | |
| | | | 31 | 0.165 | 0.165 | | |
| | | | 33 | 0.045 | 0.045 | | |
| | | | 35 | 0.040 | 0.040 | | |
| | | | 36 | 0.202 | 0.202 | | |
| | | | 37/1 | 0.101 | 0.101 | | |
| | | | 37/2 | 0.069 | 0.069 | | |
| | | | 38 | 0.121 | 0.121 | | |
| | | | 39 | 0.113 | 0.113 | | |
| | | | 40/1 | 0.069 | 0.069 | | |
| | | | 40/2 | 0.069 | 0.069 | | |
| | | | 41/1 | 0.061 | 0.061 | | |
| | | | 41/2 | 0.064 | 0.064 | | |
| | | | 42 | 0.255 | 0.255 | | |
| | | | 43 | 0.206 | 0.206 | | |
| | | | 44 शा. न. 45 | 0.150 | 0.150 | | |
| | | | 46 | 0.065 | 0.065 | | |
| | | | 47 | 0.065 | 0.065 | | |
| | | | 48 | 0.020 | 0.020 | | |
| | | | 49 | 0.138 | 0.138 | | |
| | | | 50 | 0.162 | 0.162 | | |
| | | | 51 | 0.105 | 0.105 | | |
| | | | 52 | 0.170 | 0.170 | | |
| | | | 53 | 0.113 | 0.113 | | |
| | | | 54 | 0.240 | 0.240 | | |
| | | | 55 | 0.113 | 0.113 | | |
| | | | 56 | 0.142 | 0.142 | | |
| | | | 57 | 0.109 | 0.109 | | |
| | | | 58 | 0.166 | 0.166 | | |
| | | | 59/1 | 0.081 | 0.081 | | |
| | | | 59/2 | 0.085 | 0.085 | | |
| | | | 60 | 0.206 | 0.206 | | |
| | | | 63 | 0.069 | 0.069 | | |
| | | | 64 | 0.069 | 0.069 | | |
| | | | 66 | 0.113 | 0.113 | | |
| | | | 67 | 0.121 | 0.121 | | |
| | | | 68 | 0.429 | 0.429 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 69 | 0.093 | 0.093 | | |
| | | | 70/1 | 0.069 | 0.069 | | |
| | | | 70/2 | 0.162 | 0.162 | | |
| | | | 71/1 | 0.125 | 0.125 | | |
| | | | 71/2 | 0.134 | 0.134 | | |
| | | | 72 | 0.251 | 0.251 | | |
| | | | 73/1 | 0.497 | 0.497 | | |
| | | | 73/2/1 | 0.121 | 0.121 | | |
| | | | 73/2/2 | 0.126 | 0.126 | | |
| | | | 74 | 0.821 | 0.821 | | |
| | | | 75 | 1.088 | 1.088 | | |
| | | | 77/1 | 1.214 | 1.214 | | |
| | | | 77/2/1 | 0.202 | 0.202 | | |
| | | | 77/2/2 | 0.425 | 0.425 | | |
| | | | 78/1 | 1.094 | 1.094 | | |
| | | | 78/2/1 | 0.809 | 0.809 | | |
| | | | 78/2/2 | 0.809 | 0.809 | | |
| | | | 78/3/1 | 0.809 | 0.809 | | |
| | | | 78/3/2 | 0.809 | 0.809 | | |
| | | | 79/1 | 1.283 | 1.283 | | |
| | | | 79/2/1 | 0.641 | 0.641 | | |
| | | | 79/2/2/1 | 0.239 | 0.239 | | |
| | | | 79/2/2/2 | 0.405 | 0.405 | | |
| | | | 80 | 0.316 | 0.316 | | |
| | | | 81/1 | 0.352 | 0.352 | | |
| | | | 81/2 | 1.092 | 1.092 | | |
| | | | 81/3/1 | 0.722 | 0.722 | | |
| | | | 81/3/2 | 0.723 | 0.723 | | |
| | | | 82/1 | 0.912 | 0.367 | | |
| | | | 82/2 | 0.898 | 0.008 | | |
| | | | 83/1 | 0.773 | 0.041 | | |
| | | | 83/2 | 0.805 | 0.097 | | |
| | | | 84/1 | 0.825 | 0.032 | | |
| | | | 84/2/2 | 0.352 | 0.170 | | |
| | | | 85 | 0.352 | 0.352 | | |
| | | | 86 | 0.065 | 0.065 | | |
| | | | 89 | 1.259 | 1.105 | | |
| | | | 90/1 ,91 | 0.566 | 0.083 | | |
| | | | 90/2/1 | 0.643 | 0.643 | | |
| | | | 90/2/2 | 0.744 | 0.744 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 90/2/3 | 0.809 | 0.704 | | | |
| | | | 90/3 , 91 | 1.011 | 1.011 | | | |
| | | | 92/1 | 0.283 | 0.283 | | | |
| | | | 92/2 | 0.315 | 0.315 | | | |
| | | | 92/3 | 0.315 | 0.315 | | | |
| | | | 92/4 | 0.649 | 0.649 | | | |
| | | | 93/1/1 | 0.494 | 0.494 | | | |
| | | | 93/1/2 | 2.355 | 2.355 | | | |
| | | | 93/2/1 | 0.607 | 0.607 | | | |
| | | | 93/2/2 | 0.607 | 0.607 | | | |
| | | | 94/1 | 0.114 | 0.114 | | | |
| | | | 94/2 | 0.069 | 0.069 | | | |
| | | | 95/1 | 1.214 | 1.214 | | | |
| | | | 95/2 | 1.946 | 1.946 | | | |
| | | | 96 | 0.048 | 0.048 | | | |
| | | | 97/1 | 1.235 | 1.235 | | | |
| | | | 97/2 | 0.510 | 0.510 | | | |
| | | | 97/3 | 0.530 | 0.530 | | | |
| | | | 97/4 | 0.331 | 0.331 | | | |
| | | | 97/5 | 0.758 | 0.758 | | | |
| | | | 98 | 0.170 | 0.170 | | | |
| | | | 100/1/1 | 0.119 | 0.119 | | | |
| | | | 100/1/2 | 0.330 | 0.330 | | | |
| | | | 100/2 | 1.225 | 0.296 | | | |
| | | | 103/1/2/1 | 1.214 | 0.242 | | | |
| | | | 103/1/2/2 | 1.214 | 1.134 | | | |
| | | | 103/1/2/3 | 0.809 | 0.809 | | | |
| | | | 103/1/2/4/1 | 0.405 | 0.405 | | | |
| | | | 103/1/2/4/2 | 0.384 | 0.384 | | | |
| | | | 103/1/2/4/3 | 0.020 | 0.020 | | | |
| | | | 103/1/2/5/1 | 0.521 | 0.521 | | | |
| | | | 103/1/2/5/2 | 2.586 | 2.586 | | | |
| | | | 103/2/1/1 | 0.202 | 0.202 | | | |
| | | | 103/2/1/2 | 1.012 | 1.012 | | | |
| | | | 103/2/2 | 1.214 | 1.214 | | | |
| | | | 103/2/3 | 0.526 | 0.526 | | | |
| | | | 104 | 0.490 | 0.417 | | | |
| | | | 105/1/1 | 1.012 | 0.324 | | | |
| | | | 105/2/2 | 1.214 | 0.668 | | | |
| | | | 106 | 0.388 | 0.388 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 107 | 0.259 | 0.259 | | |
| | | | 108 | 0.129 | 0.129 | | |
| | | | 109 | 1.665 | 1.665 | | |
| | | | 110/1/1 | 1.012 | 1.590 | | |
| | | | 110/1/2 | 1.012 | | | |
| | | | 110/1/3 | 1.013 | | | |
| | | | 110/3 | 0.320 | 0.320 | | |
| | | | 111 | 1.846 | 1.846 | | |
| | | | 112 | 0.619 | 0.619 | | |
| | | | 114/1/1/1 | 2.023 | 1.052 | | |
| | | | 114/1/1/2<br>शा. न. 114/1/1/3 | 2.023 | | | |
| | | | 114/1/1/4 | 2.023 | | | |
| | | | 114/1/1/5 | 0.809 | | | |
| | | | 114/1/1/6 | 2.023 | | | |
| | | | 114/1/1/7 | 2.023 | | | |
| | | | 114/1/1/8 | 2.023 | | | |
| | | | 114/1/1/9 | 0.809 | | | |
| | | | 114/1/1/10 | 2.023 | | | |
| | | | 114/1/1/11 | 1.544 | | | |
| | | | 114/1/1/12/1 | 0.101 | | | |
| | | | 114/1/1/12/2 | 0.101 | | | |
| | | | 114/1/1/12/3 | 0.101 | | | |
| | | | 114/1/1/12/4/1 | 0.405 | | | |
| | | | 114/1/1/12/4/2 | 0.101 | | | |
| | | | 114/1/1/13 | 0.809 | | | |
| | | | 114/1/1/14 | 0.809 | | | |
| | | | 114/1/1/15 | 2.023 | | | |
| | | | 114/1/1/16 | 2.023 | | | |
| | | | 114/1/2/1/1 | 0.709 | | | |
| | | | 114/1/2/2/2 | 1.182 | | | |
| | | | 114/1/2/2/2/1 | 0.675 | | | |
| | | | 114/1/2/3 | 1.182 | | | |
| | | | 114/1/2/4/1 | 0.607 | | | |
| | | | 114/1/2/4/2 | 0.607 | | | |
| | | | 114/1/2/5 | 0.607 | | | |
| | | | 114/1/2/6 | 0.809 | | | |
| | | | 114/2 | 4.852 | | | |
| | | | 114/3/1 | 0.809 | | | |
| | | | 114/3/2/1/1 | 0.201 | | | |
| | | | 114/3/2/1/2 | 0.405 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 114/3/2/2 | 0.606 | | | | |
| | | | 114/3/2/3 | 0.606 | | | | |
| | | | 114/3/2/4 | 0.607 | | | | |
| | | | 114/4 | 2.438 | | | | |
| | | | 114/5/1/1 | 1.751 | | | | |
| | | | 114/5/1/2 | 0.372 | | | | |
| | | | 114/5/2 | 2.023 | | | | |
| | | | 116 | 1.101 | 0.757 | | | |
| | | | 117/1 | 0.628 | 0.161 | | | |
| | | | 117/2 | 0.628 | 0.041 | | | |
| | | | 118 | 0.267 | 0.081 | | | |
| | | | 119/1 | 0.433 | 0.433 | | | |
| | | | 119/2 | 0.437 | 0.437 | | | |
| | | | 120/1/1 | 0.912 | 0.912 | | | |
| | | | 120/1/2 | 0.912 | 0.912 | | | |
| | | | 120/2 | 1.824 | 1.824 | | | |
| | | | 120/3 | 1.812 | 1.812 | | | |
| | | | 120/4 | 1.812 | 1.812 | | | |
| | | | 121 | 0.178 | 0.178 | | | |
| | | | 122 | 0.672 | 0.672 | | | |
| | | | 123 | 0.194 | 0.194 | | | |
| | | | 124 | 3.520 | 3.520 | | | |
| | | | 125/1 | 0.486 | 0.486 | | | |
| | | | 125/2 | 0.660 | 0.660 | | | |
| | | | 126/1 | 0.607 | 0.607 | | | |
| | | | 126/2 | 0.400 | 0.400 | | | |
| | | | 127/1 | 0.300 | 0.260 | | | |
| | | | 127/2 | 0.300 | 0.300 | | | |
| | | | 127/3 | 0.600 | 0.539 | | | |
| | | | 127/4 | 0.770 | 0.770 | | | |
| | | | 127/5 | 0.819 | 0.819 | | | |
| | | | 127/6 | 0.507 | 0.507 | | | |
| | | | 127/7 | 0.865 | 0.865 | | | |
| | | | 127/8 | 0.526 | 0.526 | | | |
| | | | 128 | 0.599 | 0.599 | | | |
| | | | 129 | 0.680 | 0.680 | | | |
| | | | 130/1 | 0.180 | 0.180 | | | |
| | | | 130/2 | 0.277 | 0.277 | | | |
| | | | 131 | 0.860 | 0.860 | | | |
| | | | 132/1/1,133 | 2.310 | 2.310 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 132/1/2,133 | 0.138 | 0.138 | | |
| | | | 132/2,133 | 2.323 | 2.323 | | |
| | | | 134/1 | 0.770 | 0.770 | | |
| | | | 134/2 | 1.476 | 1.476 | | |
| | | | 135/1/1 | 0.937 | 0.937 | | |
| | | | 135/1/2 | 0.405 | 0.405 | | |
| | | | 135/1/3 | 0.405 | 0.405 | | |
| | | | 135/1/4 | 0.405 | 0.405 | | |
| | | | 135/1/5 | 0.405 | 0.405 | | |
| | | | 135/2 | 1.278 | 1.278 | | |
| | | | 135/3 | 1.279 | 1.279 | | |
| | | | 136/2 | 1.214 | 1.214 | | |
| | | | 136/3 | 1.214 | 1.214 | | |
| | | | 136/4 | 1.214 | 1.214 | | |
| | | | 136/5 | 1.214 | 1.214 | | |
| | | | 136/6 | 1.214 | 1.214 | | |
| | | | 136/7 | 2.023 | 2.023 | | |
| | | | 136/8 | 0.223 | 0.223 | | |
| | | | 137/1 138 | 0.222 | 0.222 | | |
| | | | 137/2 शा. न. 138 | 1.247 | 1.247 | | |
| | | | 139/1 | 1.214 | 1.214 | | |
| | | | 139/2/1 | 0.405 | 0.405 | | |
| | | | 139/2/2 | 0.614 | 0.614 | | |
| | | | 140 | 0.979 | 0.979 | | |
| | | | 141 | 0.101 | 0.101 | | |
| | | | 142/1 | 0.180 | 0.180 | | |
| | | | 142/2 | 0.073 | 0.073 | | |
| | | | 143/1 | 0.257 | 0.257 | | |
| | | | 143/2 | 0.301 | 0.301 | | |
| | | | 144 | 0.320 | 0.320 | | |
| | | | 145/1 | 0.058 | 0.058 | | |
| | | | 145/2 | 0.667 | 0.667 | | |
| | | | 145/3 | 0.166 | 0.166 | | |
| | | | 145/4 | 0.809 | 0.809 | | |
| | | | 146 | 0.081 | 0.081 | | |
| | | | 147 | 0.522 | 0.522 | | |
| | | | 148/1 | 0.385 | 0.385 | | |
| | | | 148/2 | 1.214 | 1.214 | | |
| | | | 149 | 1.427 | 1.427 | | |
| | | | 150 | 0.262 | 0.262 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 151 | 1.145 | 1.145 | | |
| | | | 152 | 0.685 | 0.685 | | |
| | | | 153 | 1.412 | 1.412 | | |
| | | | 154 | 1.412 | 1.412 | | |
| | | | 155 | 0.545 | 0.545 | | |
| | | | 156/1 | 1.453 | 1.453 | | |
| | | | 156/2/1 | 0.327 | 0.327 | | |
| | | | 156/2/2 | 0.328 | 0.328 | | |
| | | | 156/2/3 | 0.327 | 0.327 | | |
| | | | 157/1/1शा.न. 158 | 0.559 | 0.296 | | |
| | | | 157/1/2शा.न. 158 | 0.559 | 0.559 | | |
| | | | 157/1/3शा. न. 158 | 0.559 | 0.559 | | |
| | | | 157/2 158/2 | 1.214 | 1.214 | | |
| | | | 159/1/1 | 0.223 | 0.223 | | |
| | | | 159/1/2/1 | 1.214 | 1.214 | | |
| | | | 159/1/2/2 | 0.809 | 0.809 | | |
| | | | 159/2/1 | 1.214 | 1.214 | | |
| | | | 159/2/2 | 1.032 | 1.032 | | |
| | | | 160/1/1 | 1.011 | 1.011 | | |
| | | | 160/1/2 | 1.011 | 1.011 | | |
| | | | 160/1/3 | 2.023 | 2.023 | | |
| | | | 160/1/4 | 0.837 | 0.837 | | |
| | | | 160/1/5 | 0.809 | 0.809 | | |
| | | | 160/1/6 | 0.809 | 0.809 | | |
| | | | 160/2 | 0.202 | 0.202 | | |
| | | | 161 | 0.985 | 0.985 | | |
| | | | 162 | 0.101 | 0.101 | | |
| | | | 163 | 0.320 | 0.320 | | |
| | | | 164 | 0.235 | 0.235 | | |
| | | | 165/1/1/1 | 0.696 | 0.696 | | |
| | | | 165/1/1/2 | 0.696 | 0.696 | | |
| | | | 165/1/2 | 0.047 | 0.047 | | |
| | | | 165/2 | 0.648 | 0.648 | | |
| | | | 166/1/1 | 0.202 | 0.202 | | |
| | | | 166/1/2 | 0.158 | 0.158 | | |
| | | | 166/2 | 0.161 | 0.161 | | |
| | | | 169 | 0.372 | 0.372 | | |
| | | | 171/1 | 1.619 | 1.619 | | |
| | | | 171/2 | 1.609 | 1.609 | | |
| | | | 171/3 | 0.627 | 0.627 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 173 | 5.094 | 5.094 | | |
| | | | 174 | 0.813 | 0.813 | | |
| | | | 175 | 0.834 | 0.834 | | |
| | | | 177/1/1 | 0.607 | 0.607 | | |
| | | | 177/1/2 | 0.607 | 0.607 | | |
| | | | 177/2/1 | 0.127 | 0.127 | | |
| | | | 177/2/2 | 0.161 | 0.161 | | |
| | | | 178 | 0.672 | 0.672 | | |
| | | | 179 | 0.615 | 0.615 | | |
| | | | 181/1/1 | 0.385 | 0.385 | | |
| | | | 181/1/2 | 1.011 | 1.011 | | |
| | | | 181/2 | 0.624 | 0.624 | | |
| | | | 182 | 1.202 | 1.202 | | |
| | | | 183 | 0.773 | 0.773 | | |
| | | | 184 | 0.862 | 0.862 | | |
| | | | 185/1 | 0.486 | 0.486 | | |
| | | | 185/2 | 1.040 | 1.040 | | |
| | | | 186 | 1.469 | 1.469 | | |
| | | | 187/1/1 | 0.680 | 0.680 | | |
| | | | 187/1/2 | 0.081 | 0.081 | | |
| | | | 187/2/1 | 0.255 | 0.255 | | |
| | | | 187/2/2 | 0.255 | 0.255 | | |
| | | | 188/1 | 0.061 | 0.061 | | |
| | | | 188/2 | 0.061 | 0.061 | | |
| | | | 188/3 | 0.125 | 0.125 | | |
| | | | 189/1 | 0.607 | 0.607 | | |
| | | | 189/2 | 0.429 | 0.429 | | |
| | | | 190/1 | 3.694 | 3.694 | | |
| | | | 190/2 | 2.112 | 2.112 | | |
| | | | 190/3 | 1.789 | 1.789 | | |
| | | | 190/4 | 2.108 | 2.108 | | |
| | | | 190/5 | 1.983 | 1.983 | | |
| | | | 191/1 | 1.717 | 1.717 | | |
| | | | 191/2 | 0.586 | 0.586 | | |
| | | | 193 | 5.094 | 5.094 | | |
| | | | 194/1/1,195/2 196/1 | 0.809 | 0.809 | | |
| | | | 194/1/2/1/1 | 0.134 | 0.134 | | |
| | | | 194/1/2/1/2 | 0.134 | 0.134 | | |
| | | | 194/1/2/1/3 | 0.133 | 0.133 | | |
| | | | 194/1/2/1/4 | 0.142 | 0.142 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 194/1/2/2 | 0.133 | 0.133 | | | |
| | | | 194/1/2/3 | 0.133 | 0.133 | | | |
| | | | 194/1/3,195/2/3 196/1/3 | 0.696 | 0.696 | | | |
| | | | 194/2 | 0.223 | 0.223 | | | |
| | | | 195/1 | 0.474 | 0.474 | | | |
| | | | 196/2 | 1.506 | 1.506 | | | |
| | | | 197 | 0.874 | 0.874 | | | |
| | | | 199/1/1 | 2.225 | 2.225 | | | |
| | | | 199/1/2/1 | 1.497 | 1.497 | | | |
| | | | 199/1/2/2 | 0.728 | 0.728 | | | |
| | | | 199/2/1/1 | 1.190 | 1.190 | | | |
| | | | 199/2/1/2 | 1.180 | 1.180 | | | |
| | | | 199/2/2/1 | 0.656 | 0.656 | | | |
| | | | 199/2/2/2 | 0.660 | 0.660 | | | |
| | | | 199/2/2/3 | 0.660 | 0.660 | | | |
| | | | 200/1 | 1.214 | 0.566 | | | |
| | | | 200/2 | 1.214 | 1.214 | | | |
| | | | 200/3 | 0.117 | 0.117 | | | |
| | | | 201/1 | 0.330 | 0.193 | | | |
| | | | 201/2 | 0.330 | 0.243 | | | |
| | | | 202 | 0.162 | 0.162 | | | |
| | | | 203 | 0.444 | 0.444 | | | |
| | | | 205/1 | 0.090 | 0.090 | | | |
| | | | 206/2 | 0.056 | 0.056 | | | |
| | | | 206/3 | 0.020 | 0.020 | | | |
| | | | 208 | 0.514 | 0.514 | | | |
| | | | 210 | 1.298 | 1.298 | | | |
| | | | 211/1/1 | 1.214 | 1.214 | | | |
| | | | 211/1/2/1 | 1.619 | 1.619 | | | |
| | | | 211/1/2/2/1 | 0.809 | 0.809 | | | |
| | | | 211/1/2/2/1/2 | 1.533 | 1.533 | | | |
| | | | 211/1/2/2/2 | 2.023 | 2.023 | | | |
| | | | 211/1/2/2/3 | 2.023 | 2.023 | | | |
| | | | 211/2/1 | 1.942 | 1.942 | | | |
| | | | 211/2/2 | 5.260 | 5.260 | | | |
| | | | 211/3/1 | 7.204 | 7.204 | | | |
| | | | 211/3/2 | 7.204 | 7.204 | | | |
| | | | 212 | 0.049 | 0.049 | | | |
| | | | 214 | 0.057 | 0.057 | | | |
| | | | 215/1 | 0.060 | 0.060 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 215/2 | 0.065 | 0.065 | | |
| | | | 218/1 | 0.069 | 0.069 | | |
| | | | 218/2/1/1 | 0.016 | 0.016 | | |
| | | | 218/2/1/2 | 0.020 | 0.020 | | |
| | | | 218/2/2 | 0.125 | 0.125 | | |
| | | | 218/2/3/1 | 0.014 | 0.014 | | |
| | | | 218/2/3/2 | 0.014 | 0.014 | | |
| | | | 219 | 0.040 | 0.040 | | |
| | | | 222 | 0.036 | 0.036 | | |
| | | | 223 | 0.069 | 0.069 | | |
| | | | 224 | 0.194 | 0.194 | | |
| | | | 225 ,226 | 0.045 | 0.045 | | |
| | | | 227 | 0.036 | 0.036 | | |
| | | | 229 | 0.065 | 0.065 | | |
| | | | 230 | 0.041 | 0.041 | | |
| | | | 233 | 0.040 | 0.040 | | |
| | | | 234 | 0.024 | 0.024 | | |
| | | | 235 | 0.125 | 0.125 | | |
| | | | 236 | 0.170 | 0.170 | | |
| | | | 237 | 0.045 | 0.045 | | |
| | | | 238 | 0.069 | 0.069 | | |
| | | | 239 | 0.121 | 0.121 | | |
| | | | 240 | 0.089 | 0.089 | | |
| | | | 244 | 0.020 | 0.020 | | |
| | | | 245/1 | 0.008 | 0.008 | | |
| | | | 245/2/1 | 0.200 | 0.200 | | |
| | | | 245/2/2 | 0.016 | 0.016 | | |
| | | | 246 | 0.045 | 0.045 | | |
| | | | 247 | 0.045 | 0.045 | | |
| | | | 248 | 0.069 | 0.069 | | |
| | | | 305/1/2 | 1.351 | 0.081 | | |
| | | | 305/2/1 | 1.351 | | | |
| | | | 305/2/2/1 | 1.140 | | | |
| | | | 305/2/2/2 | 0.222 | | | |
| | | | 308/2/1 | 0.186 | 0.125 | | |
| | | | 308/2/2 | 0.239 | 0.219 | | |
| | | | 313/1 | 0.040 | 0.040 | | |
| | | | 313/2/1 | 0.757 | 0.020 | | |
| | | | 313/4/1 | 0.040 | 0.040 | | |
| | | | 313/4/2 | 0.248 | 0.248 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 313/5 | 0.293 | 0.293 | | | |
| | | | 313/6/1 | 0.028 | 0.028 | | | |
| | | | 313/6/2 | 0.261 | 0.261 | | | |
| | | | 316/1 | 0.668 | 0.051 | | | |
| | | | 316/2/1 | 0.334 | | | | |
| | | | 316/2/2 | 0.333 | | | | |
| | | | 317/1 | 1.094 | 1.094 | | | |
| | | | 317/2/1 | 0.626 | 0.626 | | | |
| | | | 317/2/2 | 0.166 | 0.166 | | | |
| | | | 318/1 | 0.324 | 0.324 | | | |
| | | | 318/2 | 0.324 | 0.324 | | | |
| | | | 319 | 0.048 | 0.048 | | | |
| | | | 320/1 | 0.101 | 0.101 | | | |
| | | | 320/2 | 0.101 | 0.101 | | | |
| | | | 321/3 | 1.011 | 1.011 | | | |
| | | | 321/4 | 0.592 | 0.592 | | | |
| | | | 322/1 | 0.069 | 0.069 | | | |
| | | | 322/2/1 | 0.069 | 0.069 | | | |
| | | | 322/2/2 | 0.069 | 0.069 | | | |
| | | | 323/1 | 0.968 | 0.968 | | | |
| | | | 323/2 | 0.972 | 0.567 | | | |
| | | | 324 | 0.186 | 0.186 | | | |
| | | | 325/1 | 0.340 | 0.340 | | | |
| | | | 325/2 | 0.340 | 0.340 | | | |
| | | | 326 | 0.964 | 0.567 | | | |
| | | | 327/1 | 1.023 | 0.041 | | | |
| | | | 327/2 | 0.627 | 0.161 | | | |
| | | | 327/3 | 0.635 | 0.466 | | | |
| | | | 328 | 4.161 | 4.161 | | | |
| | | | 329/1 | 1.762 | 1.762 | | | |
| | | | 329/2/1 | 0.809 | 0.809 | | | |
| | | | 329/2/2 | 0.961 | 0.961 | | | |
| | | | 330/1 | 0.156 | 0.156 | | | |
| | | | 330/2 | 0.077 | 0.077 | | | |
| | | | 330/3 | 0.077 | 0.077 | | | |
| | | | 330/4 | 0.152 | 0.152 | | | |
| | | | 331/1 | 0.036 | 0.036 | | | |
| | | | 331/2 | 0.021 | 0.021 | | | |
| | | | 332 | 0.045 | 0.045 | | | |
| | | | 333 | 0.454 | 0.454 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 334/1 | 0.156 | 0.156 | | |
| | | | 334/2 | 0.158 | 0.158 | | |
| | | | 335/1 | 0.293 | 0.293 | | |
| | | | 335/2 | 0.566 | 0.566 | | |
| | | | 335/3 | 1.129 | 1.129 | | |
| | | | 336 | 0.113 | 0.113 | | |
| | | | 337/1 | 0.615 | 0.615 | | |
| | | | 337/2 | 0.405 | 0.405 | | |
| | | | 337/3 | 2.217 | 2.217 | | |
| | | | 338/1 | 2.797 | 2.797 | | |
| | | | 338/2 | 0.809 | 0.809 | | |
| | | | 338/3 | 1.214 | 1.214 | | |
| | | | 338/4 | 1.214 | 1.214 | | |
| | | | 340 | 0.271 | 0.271 | | |
| | | | 341/1 | 1.155 | 1.155 | | |
| | | | 341/2 | 1.155 | 1.155 | | |
| | | | 342/1 | 0.303 | 0.303 | | |
| | | | 342/2/1 | 0.309 | 0.309 | | |
| | | | 342/2/2 | 0.309 | 0.309 | | |
| | | | 342/2/3 | 0.309 | 0.309 | | |
| | | | 343 | 0.866 | 0.866 | | |
| | | | 344/1/1 | 1.169 | 0.525 | | |
| | | | 344/2 | 1.214 | 0.567 | | |
| | | | 347/1 | 1.291 | 0.425 | | |
| | | | 347/2 | 1.287 | 1.122 | | |
| | | | 348/1/1 | 0.671 | 0.671 | | |
| | | | 348/1/2 | 0.672 | 0.672 | | |
| | | | 349 | 2.655 | 2.655 | | |
| | | | 350 | 0.057 | 0.057 | | |
| | | | 351/1 | 0.563 | 0.563 | | |
| | | | 351/2 | 0.559 | 0.559 | | |
| | | | 352 | 1.485 | 1.485 | | |
| | | | 353 | 0.190 | 0.190 | | |
| | | | 354 | 0.170 | 0.170 | | |
| | | | 356/1 | 0.405 | 0.405 | | |
| | | | 356/2 | 0.121 | 0.121 | | |
| | | | 358/1, 359. | 1.083 | 1.083 | | |
| | | | 358/2, 359. | 1.603 | 1.603 | | |
| | | | 359/1 | 2.112 | 2.112 | | |
| | | | 359/2 | 1.428 | 1.428 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 359/3 | 1.428 | 1.428 | | | |
| | | | 360 | 0.862 | 0.862 | | | |
| | | | 361/1 | 0.910 | 0.910 | | | |
| | | | 361/2 | 0.907 | 0.907 | | | |
| | | | 362/1 | 1.018 | 1.018 | | | |
| | | | 362/2 | 0.837 | 0.837 | | | |
| | | | 363 | 0.101 | 0.101 | | | |
| | | | 364/1 | 0.252 | 0.252 | | | |
| | | | 364/2 | 0.252 | 0.252 | | | |
| | | | 364/3/1 | 0.728 | 0.728 | | | |
| | | | 364/3/2 | 0.295 | 0.295 | | | |
| | | | 365/1 | 0.809 | 0.809 | | | |
| | | | 365/2 | 0.615 | 0.615 | | | |
| | | | 366 | 1.080 | 1.080 | | | |
| | | | 367/1 | 1.214 | 1.214 | | | |
| | | | 367/2/1/1 | 0.202 | 0.202 | | | |
| | | | 367/2/1/2 | 0.809 | 0.445 | | | |
| | | | 367/2/2 | 1.214 | 0.527 | | | |
| | | | 368/1/1 | 0.174 | 0.174 | | | |
| | | | 368/1/2 | 0.162 | 0.162 | | | |
| | | | 368/2 | 0.330 | 0.330 | | | |
| | | | 369/1 | 1.214 | 2.656 | | | |
| | | | 369/2/1 | 1.136 | | | | |
| | | | 369/2/2 | 0.560 | | | | |
| | | | 369/2/3 | 0.575 | | | | |
| | | | 381 | 1.133 | 1.060 | | | |
| | | | 382/1/1/1 | 0.809 | 0.809 | | | |
| | | | 382/1/1/2 | 1.214 | 1.214 | | | |
| | | | 382/1/2/1 | 1.011 | 1.011 | | | |
| | | | 382/1/2/2/1 | 0.405 | 0.405 | | | |
| | | | 382/1/2/2/2 | 0.405 | 0.405 | | | |
| | | | 382/1/2/2/3 | 0.201 | 0.201 | | | |
| | | | 383/1 | 0.789 | 0.789 | | | |
| | | | 383/2 | 3.472 | 1.449 | | | |
| | | | 385 | 8.114 | 6.900 | | | |
| | | | 386/1 | 0.275 | 0.012 | | | |
| | | | 386/2 | 0.271 | 0.271 | | | |
| | | | 387 | 2.860 | 2.860 | | | |
| | | | 388/1 | 1.833 | 1.833 | | | |
| | | | 388/2 | 1.825 | 1.825 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 389/1 | 0.565 | 0.565 | | |
| | | | 389/2 | 0.117 | 0.117 | | |
| | | | 390/1 | 0.093 | 0.093 | | |
| | | | 390/2 | 0.093 | 0.093 | | |
| | | | 391 | 0.024 | 0.024 | | |
| | | | 392/1 | 1.481 | 0.591 | | |
| | | | 392/2 | 1.214 | | | |
| | | | 395 | 1.740 | 0.388 | | |
| | | | 396 | 0.274 | 0.274 | | |
| | | | 397/1 | 0.158 | 0.158 | | |
| | | | 397/2 | 0.089 | 0.089 | | |
| | | | 400/1 | 0.218 | 0.218 | | |
| | | | 400/2 | 0.081 | 0.061 | | |
| | | | 401/1 | 0.781 | 0.781 | | |
| | | | 401/2 | 0.243 | 0.041 | | |
| | | | 403 | 2.120 | 1.755 | | |
| | | | 404/1 | 0.963 | 0.781 | | |
| | | | 404/2 | 1.453 | 0.461 | | |
| | | | 405 | 0.085 | 0.085 | | |
| | | | 407/1 | 0.627 | 0.627 | | |
| | | | 407/2 | 0.565 | 0.565 | | |
| | | | 408/1 | 0.821 | 0.821 | | |
| | | | 408/2 | 1.449 | 1.449 | | |
| | | | 408/3/1 | 0.476 | 0.476 | | |
| | | | 408/3/2 | 0.607 | 0.607 | | |
| | | | 408/4 | 1.083 | 1.083 | | |
| | | | 408/5 | 0.981 | 0.981 | | |
| | | | 408/6 | 0.668 | 0.668 | | |
| | | | 408/7 | 0.845 | 0.845 | | |
| | | | 408/8 | 0.857 | 0.857 | | |
| | | | 409/1 | 0.120 | 0.120 | | |
| | | | 409/2 | 0.101 | 0.101 | | |
| | | | 409/3 | 0.238 | 0.238 | | |
| | | | 409/4 | 0.020 | 0.020 | | |
| | | | 411 | 0.498 | 0.498 | | |
| | | | 412/1 | 1.000 | 1.000 | | |
| | | | 412/2 | 0.532 | 0.532 | | |
| | | | 413/1 | 0.231 | 0.231 | | |
| | | | 413/2 | 0.235 | 0.235 | | |
| | | | 413/3 | 0.231 | 0.231 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 414/1/1 | 0.202 | 0.202 | | |
| | | | 414/1/2 | 0.138 | 0.138 | | |
| | | | 414/1/3 | 0.202 | 0.202 | | |
| | | | 414/2 | 0.543 | 0.543 | | |
| | | | 415 | 0.571 | 0.571 | | |
| | | | 416/1 | 0.538 | 0.538 | | |
| | | | 416/2/1 | 0.952 | 0.952 | | |
| | | | 416/2/2 | 0.712 | 0.712 | | |
| | | | 416/3/1/1 | 2.375 | 2.375 | | |
| | | | 416/3/1/2 | 0.405 | 0.405 | | |
| | | | 416/3/2 | 0.405 | 0.405 | | |
| | | | 416/4 | 1.927 | 1.927 | | |
| | | | 416/5 | 0.405 | 0.405 | | |
| | | | 416/6 | 0.405 | 0.405 | | |
| | | | 416/7 | 1.663 | 1.663 | | |
| | | | 417/1 | 0.263 | 0.263 | | |
| | | | 417/2 | 0.267 | 0.267 | | |
| | | | 417/3 | 0.267 | 0.267 | | |
| | | | 418/1 | 1.578 | 1.578 | | |
| | | | 418/2 | 1.578 | 1.578 | | |
| | | | 419/1 | 0.166 | 0.166 | | |
| | | | 419/2 | 0.166 | 0.166 | | |
| | | | 420 | 0.526 | 0.526 | | |
| | | | 421 | 0.640 | 0.640 | | |
| | | | 422 | 0.251 | 0.251 | | |
| | | | 423/1शा. न. 424 | 0.607 | 0.607 | | |
| | | | 423/2शा. न. 424 | 0.587 | 0.587 | | |
| | | | 423/3शा. न. 424 | 0.367 | 0.367 | | |
| | | | 425/1 | 1.469 | 1.469 | | |
| | | | 425/2 | 0.121 | 0.121 | | |
| | | | 426/1 | 1.505 | 1.505 | | |
| | | | 426/2 | 1.619 | 1.619 | | |
| | | | 427 | 0.530 | 0.530 | | |
| | | | 428/1 | 1.769 | 1.769 | | |
| | | | 428/2 | 1.610 | 1.610 | | |
| | | | 429 | 1.000 | 1.000 | | |
| | | | 430/1/1 | 0.991 | 0.991 | | |
| | | | 430/1/2 | 1.214 | 1.214 | | |
| | | | 430/2 | 1.801 | 1.801 | | |
| | | | 431/1 | 0.068 | 0.068 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 431/2 | 0.069 | 0.069 | | |
| | | | 432/1 | 1.011 | 1.011 | | |
| | | | 432/2/1 | 0.607 | 0.607 | | |
| | | | 432/2/2/1 | 0.364 | 0.364 | | |
| | | | 432/2/2/2 | 1.214 | 1.214 | | |
| | | | 433/3 | 0.749 | 0.749 | | |
| | | | 433/4 | 1.781 | 1.781 | | |
| | | | 433/5 | 1.011 | 1.011 | | |
| | | | 434/1 ,435 | 0.510 | 0.510 | | |
| | | | 434/2 ,435 | 0.506 | 0.506 | | |
| | | | 436 | 0.421 | 0.421 | | |
| | | | 437/1 | 1.619 | 1.619 | | |
| | | | 437/2 | 0.829 | 0.829 | | |
| | | | 437/3 | 0.833 | 0.833 | | |
| | | | 437/4 | 0.830 | 0.830 | | |
| | | | 438 | 0.762 | 0.762 | | |
| | | | 439 | 0.399 | 0.399 | | |
| | | | 440/1 | 0.210 | 0.210 | | |
| | | | 440/2 | 0.191 | 0.191 | | |
| | | | 441 | 1.703 | 1.703 | | |
| | | | 442 | 0.328 | 0.328 | | |
| | | | 443 | 0.255 | 0.255 | | |
| | | | 444/1/1 | 1.821 | 1.821 | | |
| | | | 444/1/2 | 0.734 | 0.734 | | |
| | | | 444/2 | 0.939 | 0.939 | | |
| | | | 445/1 | 1.391 | 1.391 | | |
| | | | 445/2 | 1.457 | 1.457 | | |
| | | | 447/1 | 0.347 | 0.347 | | |
| | | | 447/2 | 0.405 | 0.405 | | |
| | | | 447/3/1 | 0.202 | 0.202 | | |
| | | | 447/3/2 | 0.202 | 0.202 | | |
| | | | 449 | 0.024 | 0.024 | | |
| | | | 451 | 1.295 | 1.295 | | |
| | | | 452/1 | 0.789 | 0.789 | | |
| | | | 452/2 | 0.761 | 0.761 | | |
| | | | 453/1 | 0.024 | 0.024 | | |
| | | | 453/2 | 0.181 | 0.181 | | |
| | | | 454/1 | 0.482 | 0.482 | | |
| | | | 454/2/1 | 0.465 | 0.465 | | |
| | | | 454/2/2 | 0.105 | 0.105 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 455 | 0.231 | 0.231 | | |
| | | | 456 | 0.335 | 0.335 | | |
| | | | 458 | 2.076 | 2.076 | | |
| | | | 459/1 | 0.405 | 0.405 | | |
| | | | 459/2 | 1.052 | 1.052 | | |
| | | | 460 | 0.158 | 0.158 | | |
| | | | 461 | 0.454 | 0.454 | | |
| | | | 462/1 | 0.092 | 0.092 | | |
| | | | 462/2 | 0.092 | 0.092 | | |
| | | | 463/1 | 0.142 | 0.142 | | |
| | | | 463/2 | 0.142 | 0.142 | | |
| | | | 464 | 1.360 | 1.360 | | |
| | | | 465/1 | 1.387 | 1.387 | | |
| | | | 465/2 | 1.383 | 1.383 | | |
| | | | 466/1 | 0.324 | 0.324 | | |
| | | | 466/2 | 0.429 | 0.429 | | |
| | | | 467 | 0.709 | 0.709 | | |
| | | | 468/1 | 0.547 | 0.547 | | |
| | | | 468/2 | 0.543 | 0.543 | | |
| | | | 469/1/1 | 0.149 | 0.149 | | |
| | | | 469/1/2 | 0.149 | 0.149 | | |
| | | | 469/1/3 | 0.150 | 0.150 | | |
| | | | 469/1/4 | 0.299 | 0.299 | | |
| | | | 469/1/5 | 0.149 | 0.149 | | |
| | | | 469/1/6 | 0.149 | 0.149 | | |
| | | | 469/1/7 | 0.053 | 0.053 | | |
| | | | 469/2/1 | 0.202 | 0.202 | | |
| | | | 469/2/2 | 0.202 | 0.202 | | |
| | | | 470/1 | 0.709 | 0.709 | | |
| | | | 470/2 | 0.172 | 0.172 | | |
| | | | 471/1/1 | 0.133 | 0.133 | | |
| | | | 471/1/2 | 0.133 | 0.133 | | |
| | | | 471/2 | 0.133 | 0.133 | | |
| | | | 472/1 | 0.093 | 0.093 | | |
| | | | 472/2 | 0.093 | 0.093 | | |
| | | | 473/1 | 0.129 | 0.129 | | |
| | | | 743/2 | 0.129 | 0.129 | | |
| | | | 474/1 | 0.065 | 0.065 | | |
| | | | 474/2 | 0.069 | 0.069 | | |
| | | | 475/1/1 | 0.065 | 0.065 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 475/1/2 | 0.065 | 0.065 | | |
| | | | 475/2 | 0.129 | 0.129 | | |
| | | | 476/1 | 0.024 | 0.024 | | |
| | | | 476/2 | 0.027 | 0.027 | | |
| | | | 477/1 | 0.190 | 0.190 | | |
| | | | 477/2 | 0.190 | 0.190 | | |
| | | | 478/1/1 | 0.036 | 0.036 | | |
| | | | 478/1/2 | 0.036 | 0.036 | | |
| | | | 478/2 | 0.040 | 0.040 | | |
| | | | 479/1/1 | 0.995 | 0.995 | | |
| | | | 479/1/2 | 0.999 | 0.999 | | |
| | | | 479/2/1 | 0.770 | 0.770 | | |
| | | | 479/2/2/1 | 0.275 | 0.275 | | |
| | | | 479/2/2/2 | 0.148 | 0.148 | | |
| | | | 479/2/2/3 | 0.277 | 0.277 | | |
| | | | 480/1/1 | 0.551 | 0.551 | | |
| | | | 480/1/2 | 0.020 | 0.020 | | |
| | | | 480/1/3 | 0.060 | 0.060 | | |
| | | | 480/2 | 0.405 | 0.405 | | |
| | | | 494 | 0.045 | 0.045 | | |
| | | | 495 | 0.020 | 0.020 | | |
| | | | 496/1 | 0.469 | 0.469 | | |
| | | | 496/2 | 0.041 | 0.041 | | |
| | | | 497 | 0.239 | 0.239 | | |
| | | | 498 | 0.283 | 0.170 | | |
| | | | 499 | 0.652 | 0.242 | | |
| | | | 500 | 0.660 | 0.365 | | |
| | | | 501 | 2.209 | 2.067 | | |
| | | | 503 | 2.857 | 2.857 | | |
| | | | 504 | 1.687 | 1.687 | | |
| | | | 506/1 | 0.607 | 0.607 | | |
| | | | 506/2/2/1 | 0.405 | 0.405 | | |
| | | | 506/2/2/2 | 1.011 | 1.011 | | |
| | | | 506/2/2/3 | 0.202 | 0.202 | | |
| | | | 506/2/2/4 | 0.053 | 0.053 | | |
| | | | 506/2/2/5 | 0.405 | 0.405 | | |
| | | | 506/2/2/6 | 0.417 | 0.417 | | |
| | | | 507/1 | 0.089 | 0.089 | | |
| | | | 507/2 | 0.142 | 0.142 | | |
| | | | 509 | 0.243 | 0.243 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 511 | 0.073 | 0.073 | |
| | | | | 512/1 | 0.687 | 0.687 | |
| | | | | 512/2 | 0.708 | 0.708 | |
| | | | | 513/1/1 | 0.405 | 0.405 | |
| | | | | 513/1/2/1/1 | 0.607 | 0.607 | |
| | | | | 513/1/2/1/2 | 0.809 | 0.809 | |
| | | | | 513/1/2/1/3 | 0.000 | 0.000 | |
| | | | | 513/1/2/1/4 | 0.809 | 0.809 | |
| | | | | 513/1/2/2 | 0.830 | 0.830 | |
| | | | | 513/2 | 0.911 | 0.911 | |
| | | | | 514/1/1/1 | 0.105 | 0.105 | |
| | | | | 514/1/1/2 | 0.433 | 0.433 | |
| | | | | 514/1/1/3 | 0.190 | 0.190 | |
| | | | | 514/1/2 | 0.202 | 0.202 | |
| | | | | 514/1/3 | 0.962 | 0.962 | |
| | | | | 514/1/4 | 0.967 | 0.967 | |
| | | | | 514/1/5/1 | 0.486 | 0.486 | |
| | | | | 514/1/5/2 | 0.482 | 0.482 | |
| | | | | 514/1/6 | 0.238 | 0.238 | |
| | | | | 514/2/1 | 0.562 | 0.562 | |
| | | | | 514/2/2 | 0.470 | 0.470 | |
| | | | | 514/3/1 | 0.566 | 0.566 | |
| | | | | 514/3/2/1/1 | 0.134 | 0.134 | |
| | | | | 514/3/2/1/2 | 0.542 | 0.542 | |
| | | | | 514/3/2/2 | 0.194 | 0.194 | |
| | | | | 515/1 | 0.789 | 0.789 | |
| | | | | 515/2 | 0.789 | 0.789 | |
| | | | | 516 | 0.526 | 0.526 | |
| | | | | 517/1/1 | 0.458 | 0.458 | |
| | | | | 517/1/2/1 | 0.227 | 0.227 | |
| | | | | 517/1/2/2 | 0.231 | 0.231 | |
| | | | | 517/2 | 0.405 | 0.405 | |
| | | | | 518 | 0.462 | 0.462 | |
| | | | | 520 | 0.372 | 0.372 | |
| | | | | 521 | 1.315 | 1.315 | |
| | | | | 522/1 | 0.246 | 0.246 | |
| | | | | 522/2 | 0.223 | 0.223 | |
| | | | | 523 | 1.696 | 1.696 | |
| | | | | 524 | 0.324 | 0.324 | |
| | | | | 525 | 0.278 | 0.278 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 526/1 ,527 | 1.149 | 1.149 | | | |
| | | | | 526/2 ,527 | 1.108 | 1.108 | | | |
| | | | | 528/1/1 | 0.607 | 0.607 | | | |
| | | | | 528/1/2 | 0.247 | 0.247 | | | |
| | | | | 528/1/3/1 | 0.809 | 0.809 | | | |
| | | | | 528/1/3/2 | 0.586 | 0.586 | | | |
| | | | | 528/2 | 1.044 | 1.044 | | | |
| | | | | 530/1/1,531 | 0.777 | 0.777 | | | |
| | | | | 530/1/2,531 | 0.789 | 0.789 | | | |
| | | | | 530/2 ,531 | 1.570 | 1.570 | | | |
| | | | | 533 | 2.614 | 2.614 | | | |
| | | | | 534 | 0.793 | 0.793 | | | |
| | | | | 536/1 | 0.486 | 0.486 | | | |
| | | | | 536/2 | 4.136 | 4.136 | | | |
| | | | | 538 | 0.178 | 0.178 | | | |
| | | | | 540/1/1 | 1.619 | 1.619 | | | |
| | | | | 540/1/2 | 3.476 | 3.476 | | | |
| | | | | 540/2/1 | 1.704 | 1.704 | | | |
| | | | | 540/2/2 | 1.700 | 1.700 | | | |
| | | | | 540/2/3/1 | 0.885 | 0.885 | | | |
| | | | | 540/2/3/2 | 0.809 | 0.809 | | | |
| | | | | 541 | 0.239 | 0.239 | | | |
| | | | | 544 | 1.028 | 1.028 | | | |
| | | | | 547/1 | 1.427 | 1.427 | | | |
| | | | | 547/2 | 0.296 | 0.296 | | | |
| | | | | 548 | | | | | |
| | | | | 549 | 0.854 | 0.854 | | | |
| | | | | 550 | 0.405 | 0.405 | | | |
| | | | | 551 | 4.573 | 4.573 | | | |
| | | | | 552 | 1.019 | 1.019 | | | |
| | | | | 553/1/1 | 0.692 | 0.692 | | | |
| | | | | 553/1/2/1 | 0.186 | 0.186 | | | |
| | | | | 553/1/2/2 | 0.190 | 0.190 | | | |
| | | | | 553/2 | 0.539 | 0.539 | | | |
| | | | | 554/1 | 0.158 | 0.158 | | | |
| | | | | 554/2 | 0.158 | 0.158 | | | |
| | | | | 555/1 | 0.585 | 0.585 | | | |
| | | | | 555/2 | 0.354 | 0.354 | | | |
| | | | | 556 | 1.315 | 1.315 | | | |
| | | | | 558 | 0.498 | 0.498 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 559 | 0.571 | 0.571 | | |
| | | | 560 | 1.267 | 1.267 | | |
| | | | 561 | 0.636 | 0.636 | | |
| | | | 562 | 0.642 | 0.642 | | |
| | | | 563/1 | 2.428 | 2.428 | | |
| | | | 563/2/1 | 1.325 | 1.325 | | |
| | | | 563/2/2 | 1.214 | 1.214 | | |
| | | | 563/2/3 | 1.214 | 1.214 | | |
| | | | 564/1 | 1.202 | 1.202 | | |
| | | | 564/2 | 0.469 | 0.469 | | |
| | | | 565 | 1.011 | 1.011 | | |
| | | | 566 | 1.011 | 1.011 | | |
| | | | 567 | 0.433 | 0.433 | | |
| | | | 568 | 0.967 | 0.967 | | |
| | | | 569/1/1 | 0.401 | 0.401 | | |
| | | | 569/1/2 | 0.515 | 0.515 | | |
| | | | 569/1/3 | 0.085 | 0.085 | | |
| | | | 569/2 | 1.007 | 1.007 | | |
| | | | 570 | 0.259 | 0.259 | | |
| | | | 571 | 0.166 | 0.166 | | |
| | | | 572/1 | 0.174 | 0.174 | | |
| | | | 572/2 | 0.263 | 0.263 | | |
| | | | 573 | 2.112 | 2.112 | | |
| | | | 576/548 | 0.446 | 0.446 | | |
| | | | 580/261 | 0.040 | 0.040 | | |
| | | | 582/31 | 0.061 | 0.061 | | |
| | | | 584/33 | 0.020 | 0.020 | | |
| | | | 586/34 | 0.024 | 0.024 | | |
| | | | 593/94 | 0.146 | 0.146 | | |
| | | | 594/107 | 1.084 | 1.084 | | |
| | | | 595/111 | 0.223 | 0.223 | | |
| | | | 596/114 | 0.251 | 0.251 | | |
| | | | 597/125 | 0.793 | 0.761 | | |
| | | | 598/129/1 | 0.331 | 0.331 | | |
| | | | 598/129/2 | 0.033 | 0.033 | | |
| | | | 599/104 | 0.554 | 0.493 | | |
| | | | 600/134/1 | 1.254 | 1.254 | | |
| | | | 600/134/2 | 0.445 | 0.445 | | |
| | | | 601/159 | 1.193 | 1.193 | | |
| | | | 602/173/1/1 | 2.833 | 2.833 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 602/173/1/2 | 2.833 | 2.833 | | |
| | | | 602/173/2 | 0.890 | 0.890 | | |
| | | | 603/177 | 0.486 | 0.486 | | |
| | | | 604/181 | 0.324 | 0.324 | | |
| | | | 605/181/1 | 0.809 | 0.809 | | |
| | | | 605/181/2/1 | 1.071 | 1.071 | | |
| | | | 605/181/2/2 | 0.081 | 0.081 | | |
| | | | 606/188 | 0.121 | 0.121 | | |
| | | | 607/188 | 0.073 | 0.073 | | |
| | | | 608/191/1 | 0.809 | 0.809 | | |
| | | | 608/191/2 | 0.631 | 0.631 | | |
| | | | 609/193/1/1 | 0.930 | 0.930 | | |
| | | | 609/193/1/2/1 | 1.181 | 1.181 | | |
| | | | 609/193/1/2/2 | 0.032 | 0.032 | | |
| | | | 609/193/2 | 1.619 | 1.619 | | |
| | | | 610/193 | 0.809 | 0.809 | | |
| | | | 611/196 | 2.761 | 2.761 | | |
| | | | 612/218 | 0.016 | 0.016 | | |
| | | | 613/228 | 0.024 | 0.024 | | |
| | | | 615/230 | 0.024 | 0.024 | | |
| | | | 616/241 | 0.024 | 0.024 | | |
| | | | 618/248 | 0.028 | 0.028 | | |
| | | | 626/329 | 1.780 | 1.780 | | |
| | | | 627/330 | 0.437 | 0.437 | | |
| | | | 628/332 | 0.300 | 0.300 | | |
| | | | 629/353 | 0.020 | 0.020 | | |
| | | | 632/425/1 | 0.119 | 0.119 | | |
| | | | 632/425/2 | 0.332 | 0.332 | | |
| | | | 633/427 | 0.219 | 0.219 | | |
| | | | 634/427 | 0.085 | 0.085 | | |
| | | | 635/436 | 0.061 | 0.061 | | |
| | | | 636/436/1 | 0.040 | 0.040 | | |
| | | | 636/436/2 | 0.017 | 0.017 | | |
| | | | 638/468/1 | 0.234 | 0.234 | | |
| | | | 638/468/2 | 0.169 | 0.169 | | |
| | | | 639/471 | 0.097 | 0.097 | | |
| | | | 640/471 | 0.061 | 0.061 | | |
| | | | 642/495 | 0.020 | 0.020 | | |
| | | | 644/495 | 0.028 | 0.028 | | |
| | | | 648/518 | 0.182 | 0.182 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 650/558 | 0.417 | 0.417 | | |
| | | | 652/573 | 0.466 | 0.466 | | |
| | | | 653/573 | 0.397 | 0.397 | | |
| | | | 654/573 | 0.628 | 0.628 | | |
| | | | 655/130 | 0.121 | 0.121 | | |
| | | | 656/130 | 0.142 | 0.142 | | |
| | | | 657/130 | 0.101 | 0.101 | | |
| | | | 658/146/1 | 0.041 | 0.041 | | |
| | | | 658/146/2 | 0.040 | 0.040 | | |
| | | | 659/516 | 0.494 | 0.494 | | |
| | | | 660/197/1 | 0.059 | 0.059 | | |
| | | | 660/197/2 | 0.059 | 0.059 | | |
| | | | 660/197/3 | 0.060 | 0.060 | | |
| | | | 661/419 | 0.089 | 0.089 | | |
| | | | 662/545 | 0.158 | 0.158 | | |
| | | | 663/179 | 0.559 | 0.559 | | |
| | | | 664/471 | 0.024 | 0.024 | | |
| | | | 666/445/1 | 1.457 | 1.457 | | |
| | | | 666/454/2 | 0.061 | 0.061 | | |
| | | | 667/179 | 0.405 | 0.405 | | |
| | | | | | | | |

नोट – भूमि का नकशा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है।

**प्रकरण क्रमांक / 43 / अ–82/21–22–** चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न सूची 01 से 06 में वर्णित भूमि के खाने 08 में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू–अर्जन की पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों की इसके द्वारा इस आशय की सूचना दि जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (07) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा –11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :–

(1) – भूमि का विवरण ।

(क) – जिला रायसेन ।

(ख) – तहसील / तालुका बेगमगंज ।

(ग) – ग्राम चंदोरिया

–:अनुसूची:–

:–भूमि का विवरण:–

| जिला | तहसील | ग्राम का नाम | खसरा क्रमांक | कुल रकवा हेक्टेयर में | अर्जित रकवा हेक्टेयर में | धारा –11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| रायसेन | बेगमगंज | चंदोरिया | 318 | 0.255 | 0.081 | कार्यपालन यंत्री बीना परियोयना जल संसाधन संभागं राहतगढ़ जिला सागर | बीना सिचाई परियोचना के अंतर्गत मंडिया बॉध से डूब प्रभावित हेतू |
| | | | 319/1 | 0.202 | 0.053 | | |
| | | | 319/2 | 0.203 | 0.128 | | |
| | | | 320/1 | 0.667 | 0.053 | | |
| | | | 320/2 | 0.668 | 0.060 | | |
| | | | 361/1/1 | 1.011 | 0.413 | | |
| | | | 361/1/2/1 | 5.869 | | | |
| | | | 361/1/2/2 | 1.214 | | | |
| | | | 361/2/1/1 | 0.405 | | | |
| | | | 361/2/1/2 | 0.518 | | | |
| | | | 361/2/2/1 | 0.405 | | | |
| | | | 361/2/2/2 | 0.518 | | | |
| | | | 361/2/3/1/1 | 0.405 | | | |
| | | | 361/2/3/1/2 | 0.404 | | | |
| | | | 361/2/3/2/1 | 1.214 | | | |
| | | | 361/2/3/2/2 | 1.089 | | | |
| | | | 361/2/3/2/3 | 0.508 | | | |
| | | | 361/2/3/3 | 2.023 | | | |
| | | | 361/2/3/4 | 0.581 | | | |
| | | | 363 | 0.028 | 0.028 | | |
| | | | 364 | 0.109 | 0.109 | | |
| | | | 365 | 0.344 | 0.344 | | |
| | | | 367 | 0.259 | 0.259 | | |
| | | | 368 | 4.513 | 3.704 | | |
| | | | 369 | 0.845 | 0.845 | | |
| | | | 370 | 0.603 | 0.603 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 371 | 1.530 | 0.089 | | |
| | | | 372/1 | 8.498 | 4.432 | | |
| | | | 372/2 | 3.027 | 0.708 | | |
| | | | 373 | 2.549 | 2.549 | | |
| | | | 374/1 | 1.691 | 1.691 | | |
| | | | 374/2 | 1.691 | 1.691 | | |
| | | | 375/1 | 1.696 | 1.696 | | |
| | | | 375/2 | 1.696 | 1.696 | | |
| | | | 375/3 | 1.696 | 1.696 | | |
| | | | 375/4 | 1.696 | 1.696 | | |
| | | | 376/1/1 | 0.144 | 0.144 | | |
| | | | 376/1/2 | 0.192 | 0.192 | | |
| | | | 376/2 | 0.332 | 0.332 | | |
| | | | 376/3 | 0.332 | 0.332 | | |
| | | | 376/4/1 | 0.191 | 0.191 | | |
| | | | 376/4/2 | 0.141 | 0.141 | | |
| | | | 377/1 | 0.523 | 0.523 | | |
| | | | 377/2 | 0.559 | 0.559 | | |
| | | | 377/3 | 0.040 | 0.040 | | |
| | | | 377/4 | 0.101 | 0.101 | | |
| | | | 378/1/1 | 1.840 | 1.840 | | |
| | | | 378/1/2 | 0.018 | 0.018 | | |
| | | | 378/2 | 1.858 | 1.858 | | |
| | | | 378/3 | 1.858 | 1.858 | | |
| | | | 378/4/1 | 0.927 | 0.927 | | |
| | | | 378/4/2 | 0.927 | 0.927 | | |
| | | | 379/1 | 0.526 | 0.526 | | |
| | | | 379/2 | 0.530 | 0.530 | | |
| | | | 380/1 | 0.890 | 0.890 | | |
| | | | 380/2/1 | 0.506 | 0.506 | | |
| | | | 380/2/2 | 0.384 | 0.384 | | |
| | | | 380/3 | 0.368 | 0.368 | | |
| | | | 380/4 | 0.368 | 0.368 | | |
| | | | 385 | 0.458 | 0.458 | | |
| | | | 386/1 | 0.910 | 0.910 | | |
| | | | 386/2 | 0.753 | 0.753 | | |
| | | | 387 | 0.134 | 0.134 | | |
| | | | 389 | 0.077 | 0.077 | | |
| | | | 390/1/1 | 0.051 | 0.051 | | |
| | | | 390/1/2 | 0.051 | 0.051 | | |
| | | | 390/1/3 | 0.050 | 0.050 | | |
| | | | 390/1/4 | 0.050 | 0.050 | | |
| | | | 390/2 | 1.246 | 1.246 | | |
| | | | 391 | 0.154 | 0.154 | | |
| | | | 392 | 2.464 | 2.331 | | |
| | | | 393/1 | 0.450 | 0.020 | | |
| | | | 393/2 | 0.465 | | | |
| | | | 393/3 | 1.120 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 394 | 0.214 | 0.214 | | |
| | | | 395 | 0.227 | 0.227 | | |
| | | | 396 | 0.162 | 0.162 | | |
| | | | 397/1 | 0.060 | 0.060 | | |
| | | | 397/2 | 0.693 | 0.693 | | |
| | | | 398/2/1 399 | 2.239 | 2.239 | | |
| | | | 398/2/2 399 | 3.682 | 3.682 | | |
| | | | 399/1/1 | 0.303 | 1.073 | | |
| | | | 399/1/2/1/1/1 | 0.935 | | | |
| | | | 399/1/2/1/1/2 | 0.934 | | | |
| | | | 399/1/2/1/2 शामिल नम्बर 400/1/1, 401/1 | 0.934 | | | |
| | | | 399/1/2/2 शा. न. 400/1/2 401/2 | 0.607 | | | |
| | | | 399/1/2/4 400/1/1, 401/4 | 1.339 | | | |
| | | | 399/1/2/5 शा न 400/1/1 401/5 | 1.335 | | | |
| | | | 399/1/2/400 1/1/, 401/3 | 1.339 | | | |
| | | | 399/1/2/401/1/2 शा न 401/1/1 | 0.809 | | | |
| | | | 400/1/2 | 0.506 | | | |
| | | | 400/2 | 1.594 | | | |
| | | | 406/1 | 1.240 | 0.161 | | |
| | | | 406/2 | 0.946 | | | |
| | | | 407 | 1.259 | 0.721 | | |
| | | | 408 | 1.113 | 0.101 | | |
| | | | 436/1 | 2.198 | 0.101 | | |
| | | | 436/2 | 2.023 | 1.546 | | |
| | | | 438 | 0.312 | 0.113 | | |
| | | | 439 | 0.368 | 0.020 | | |
| | | | 440/1 | 0.667 | 0.405 | | |
| | | | 440/2 | 0.462 | 0.032 | | |
| | | | 441/1 | 0.546 | 0.320 | | |
| | | | 441/2 | 0.291 | 0.170 | | |
| | | | 445/1/1 | 0.405 | 0.405 | | |
| | | | 445/1/2 | 0.221 | 0.221 | | |
| | | | 445/2/1 | 1.410 | 0.892 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 445/2/2 | 0.303 | 0.303 | | |
| | | | 446/1 | 0.615 | 0.121 | | |
| | | | 446/2 | 0.283 | 0.032 | | |
| | | | 461 | 0.761 | 0.494 | | |
| | | | 462 | 1.064 | 0.081 | | |
| | | | 463/1/1/1/1 | 0.619 | 1.867 | | |
| | | | 463/1/1/1/2 | 0.620 | | | |
| | | | 463/1/1/2 | 1.238 | | | |
| | | | 463/1/2/1 | 0.061 | | | |
| | | | 463/1/2/2 | 0.056 | | | |
| | | | 463/2/1 | 1.295 | | | |
| | | | 463/2/1/2 | 1.295 | | | |
| | | | 467/1 | 1.234 | 1.375 | | |
| | | | 467/2 | 1.234 | | | |
| | | | 468/1 | 0.041 | 0.041 | | |
| | | | 468/2/1 | 0.486 | 0.486 | | |
| | | | 468/2/2 | 0.283 | 0.283 | | |
| | | | 468/3 | 0.186 | 0.186 | | |
| | | | 468/4 | 0.543 | 0.543 | | |
| | | | 469/1/1 | 0.083 | 0.083 | | |
| | | | 469/1/2 | 0.083 | 0.083 | | |
| | | | 469/2 | 0.166 | 0.166 | | |
| | | | 470/1/1 | 0.049 | 0.049 | | |
| | | | 470/1/1/2 | 0.048 | 0.048 | | |
| | | | 470/1/2 | 0.097 | 0.097 | | |
| | | | 470/2/1 | 0.096 | 0.096 | | |
| | | | 470/2/1/2 | 0.101 | 0.101 | | |
| | | | 470/2/2 | 0.101 | 0.101 | | |
| | | | 471/1 | 0.093 | 0.093 | | |
| | | | 471/2 | 0.093 | 0.093 | | |
| | | | 472 | 0.380 | 0.380 | | |
| | | | 473/1 शामिल नम्बर 474 | 1.214 | 2.717 | | |
| | | | 473/2/1 474 | 0.579 | | | |
| | | | 473/2/2 474 | 1.105 | | | |
| | | | 475 | 0.397 | 0.397 | | |
| | | | 477 | 1.165 | 1.165 | | |
| | | | 479 | 0.918 | 0.918 | | |
| | | | 481/444/1 | 0.809 | 1.181 | | |
| | | | 481/444/2 | 0.615 | | | |
| | | | 505/319/1 | 0.385 | 0.202 | | |
| | | | 505/319/2 | 0.384 | 0.203 | | |
| | | | 506/395/1 | 0.170 | 0.170 | | |
| | | | 506/395/2 | 0.235 | 0.235 | | |
| | | | 511/380/1 | 0.295 | 0.295 | | |
| | | | 511/380/2/1 | 0.046 | 0.046 | | |
| | | | 511/380/2/2 | 0.046 | 0.046 | | |
| | | | 511/380/2/3 | 0.264 | 0.264 | | |
| | | | 512/385 | 0.708 | 0.708 | | |
| | | कुल | | | | | |

नोट – भूमि का नकशा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है।

प्रकरण क्रमांक / 41 / अ–82/21–22– चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न सूची 01 से 06 में वर्णित भूमि के खाने 08 में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू–अर्जन की पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों की इसके द्वारा इस आशय की सूचना दि जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (07) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा –11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :–

(1) – भूमि का विवरण ।

(क) – जिला रायसेन ।

(ख) – तहसील / तालुका बेगमगंज ।

(ग) – ग्राम बेरखेडी बरामद गढ़ी

–:अनुसूची:–

:–भूमि का विवरण:–

| जिला | तहसील | ग्राम का नाम | खसरा क्रमांक | कुल रकवा हेक्टेयर में | अर्जित रकवा हेक्टेयर में | धारा –11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| रायसेन | बेगमगंज | बेरखेडी बरामद गढ़ी | 5/1 | 1.214 | 0.049 | कार्यपालन यंत्री बीना परियोयना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर | बीना सिंचाई परियोचना के अंतर्गत मंडिया बॉध से डूब प्रभावित हेतू |
| | | | 5/2 | 1.214 | | | |
| | | | 5/3 | 1.214 | | | |
| | | | 5/4 | 1.327 | | | |
| | | | 13 | 0.291 | 0.257 | | |
| | | | 14 | 0.198 | 0.198 | | |
| | | | 15 | 0.923 | 0.526 | | |
| | | | 16/1 | 3.490 | 2.306 | | |
| | | | 16/2 | 3.003 | | | |
| | | | 17/1 | 2.356 | 3.763 | | |
| | | | 17/2/1 | 1.161 | | | |
| | | | 17/2/2 | 1.267 | | | |
| | | | 20/1 | 0.736 | 0.736 | | |
| | | | 20/2 | 0.736 | 0.736 | | |
| | | | 21 | 2.995 | 2.995 | | |
| | | | 22/1 | 2.833 | 2.833 | | |
| | | | 22/2 | 3.893 | 3.893 | | |
| | | | 23 | 0.611 | 0.611 | | |
| | | | 24 | 1.372 | 1.372 | | |
| | | | 25 | 0.085 | 0.085 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 26 | 0.093 | 0.093 |
| 27 | 0.182 | 0.182 |
| 28 | 0.045 | 0.045 |
| 29/1 | 0.530 | 0.530 |
| 30/1 | 1.283 | 1.283 |
| 31/1 | 0.809 | 0.809 |
| 31/2 | 1.781 | 1.781 |
| 32 | 0.227 | 0.227 |
| 33/1 | 0.409 | 0.409 |
| 34 | 0.134 | 0.134 |
| 35 | 0.773 | 0.773 |
| 36 | 0.129 | 0.129 |
| 37 | 0.741 | 0.741 |
| 38 | 0.085 | 0.085 |
| 39 | 0.854 | 0.854 |
| 41/1/1/1 | 1.000 | 0.809 |
| 41/1/1/2 | 0.821 | |
| 41/1/2 | 1.821 | |
| 41/2/1 | 0.512 | |
| 41/2/2 | 0.300 | |
| 43/1/1 | 0.364 | 0.931 |
| 43/1/2 | 0.405 | |
| 43/2 | 1.214 | |
| 44 | 0.429 | 0.429 |
| 45/1/1 | 1.080 | 1.080 |
| 45/1/2 | 0.405 | 0.405 |
| 45/2 | 0.405 | 0.405 |
| 46/1 | 0.316 | 0.316 |
| 46/2 | 0.040 | 0.040 |
| 47 | 0.522 | 0.522 |
| 48/1 | 0.606 | 2.489 |
| 48/2 | 1.273 | |
| 48/3 | 1.146 | |
| 49 | 0.121 | 0.020 |
| 52/1 | 0.174 | 0.161 |
| 52/2 | 0.178 | |
| 55 | 0.178 | 0.041 |
| 56 | 0.178 | 0.178 |

| | | |
|---|---|---|
| 57 | 0.227 | 0.227 |
| 58/1/1 | 0.052 | 0.607 |
| 58/1/2 | 0.049 | |
| 58/2 | 0.324 | |
| 58/3 | 0.304 | |
| 59/1 | 0.081 | 0.741 |
| 59/2 | 0.267 | |
| 59/3 | 0.356 | |
| 59/4 | 0.073 | |
| 60/1 | 0.040 | 0.040 |
| 60/2 | 0.174 | 0.174 |
| 61/1 | 0.239 | 0.239 |
| 61/2 | 0.242 | 0.242 |
| 62/1/1 | 0.287 | 0.287 |
| 62/1/2 | 0.696 | 0.696 |
| 62/2 | 0.210 | 0.210 |
| 63 | 0.117 | 0.117 |
| 64/1<br>67 | 0.450 | 0.450 |
| 64/2<br>शा. न. 67 | 0.607 | 0.607 |
| 65 | 0.057 | 0.057 |
| 66 | 0.182 | 0.182 |
| 68 | 0.065 | 0.065 |
| 69/1 | 0.121 | 0.121 |
| 69/2 | 0.045 | 0.045 |
| 71/1 | 0.299 | 0.299 |
| 71/2 | 0.478 | 0.478 |
| 72 | 0.121 | 0.121 |
| 73/1 | 0.238 | 1.982 |
| 73/2 | 0.344 | |
| 73/3/1 | 0.405 | |
| 73/3/2 | 0.405 | |
| 73/3/3/1 | 1.279 | |
| 73/3/3/2 | 0.020 | |
| 73/3/3/3 | 0.032 | |
| 73/3/3/4 | 0.020 | |
| 75 | 0.239 | 0.239 |

| | | |
|---|---|---|
| 76/1 | 0.907 | 0.907 |
| 76/2 | 0.906 | 0.906 |
| 77/1 | 0.891 | 3.217 |
| 77/2 | 1.076 | |
| 77/3 | 0.938 | |
| 77/4 | 0.757 | |
| 78/1 | 0.186 | 0.186 |
| 78/2 | 0.190 | 0.190 |
| 82/1/1 | 0.324 | 0.036 |
| 82/1/2 | 0.442 | |
| 82/2 | 1.691 | |
| 82/3 | 1.691 | |
| 83/1 | 2.428 | 0.951 |
| 83/2/1 | 1.611 | |
| 83/2/2 | 1.214 | |
| 83/3/2 | 0.405 | |
| 89 | 0.704 | 0.485 |
| 90 | 1.044 | 0.526 |
| 92 | 0.150 | 0.150 |
| 93 | 0.190 | 0.190 |
| 95 | 0.343 | 0.202 |
| 96 | 0.627 | 0.121 |
| 97 | 0.397 | 0.024 |
| 103 | 1.165 | 0.041 |
| 105 | 0.837 | 0.089 |
| 108/1 | 0.344 | 0.311 |
| 108/2 | 0.381 | |
| 118/1 | 0.227 | 0.556 |
| 118/2 | 0.506 | |
| 119 | 0.223 | 0.182 |
| 120 | 0.097 | 0.097 |
| 121 | 0.182 | 0.182 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 123 | 0.198 | 0.061 | | |
| | | | 125 | 0.518 | 0.081 | | |
| | | | 126 | 0.036 | 0.036 | | |
| | | | 127 | 0.530 | 0.101 | | |
| | | | 141/1/2/1 | 0.512 | 0.456 | | |
| | | | 141/1/2/2 | 0.299 | | | |
| | | | 185/1/1 | 0.276 | 0.283 | | |
| | | | 185/1/2 | 0.275 | | | |
| | | | 185/2 | 0.364 | | | |
| | | | 185/3/1 | 0.611 | | | |
| | | | 185/3/2 | 0.020 | | | |
| | | | 185/4 | 1.234 | | | |
| | | | 185/5 | 0.425 | | | |
| | | | 187 | 0.198 | 0.032 | | |
| | | | 188/1 | 0.081 | 0.607 | | |
| | | | 188/2 | 1.441 | | | |
| | | | 189 | 0.121 | 0.028 | | |
| | | | 191 | 0.089 | 0.089 | | |
| | | | 192 | 0.494 | 0.494 | | |
| | | | 195 | 0.421 | 0.421 | | |
| | | | 196 | 0.555 | 0.555 | | |
| | | | 197/1 | 0.279 | 0.279 | | |
| | | | 197/2/1 | 0.065 | 0.065 | | |
| | | | 197/2/2 | 0.069 | 0.069 | | |
| | | | 197/2/3 | 0.061 | 0.061 | | |
| | | | 197/2/4 | 0.061 | 0.061 | | |
| | | | 197/2/5 | 0.061 | 0.061 | | |
| | | | 197/3 | 0.109 | 0.109 | | |
| | | | 198/1/1 | 0.133 | 2.918 | | |
| | | | 198/1/2/1 | 0.016 | | | |
| | | | 198/1/2/2 | 0.020 | | | |
| | | | 198/1/2/3 | 0.020 | | | |
| | | | 198/1/2/4 | 0.020 | | | |
| | | | 198/1/2/5 | 0.020 | | | |
| | | | 198/1/3 | 0.299 | | | |
| | | | 198/1/4/1 | 0.405 | | | |
| | | | 198/1/4/2 | 0.595 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 198/1/4/3 | 0.197 | | | |
| | | | 198/2/1 | 1.218 | | | |
| | | | 198/2/2 | 0.238 | | | |
| | | | 199/1/1 | 0.737 | | | |
| | | | 199/1/2/1 | 0.607 | | | |
| | | | 199/1/2/2 | 0.121 | | | |
| | | | 199/1/3 | 0.490 | 2.032 | | |
| | | | 199/2/1 | 0.441 | | | |
| | | | 199/2/2 | 0.441 | | | |
| | | | 199/3 | 0.121 | | | |
| | | | 199/4 | 0.445 | | | |
| | | | 203/1/1 | 1.619 | | | |
| | | | 203/1/2 | 1.619 | | | |
| | | | 203/1/3 | 1.619 | | | |
| | | | 203/1/4 | 0.729 | 6.104 | | |
| | | | 203/1/5 | 0.729 | | | |
| | | | 203/1/6 | 0.728 | | | |
| | | | 203/1/7 | 0.728 | | | |
| | | | 203/1/8 | 0.728 | | | |
| | | | 205/1 | 0.157 | 0.157 | | |
| | | | 205/2 | 0.297 | 0.297 | | |
| | | | 207/1/1 | 0.267 | 0.267 | | |
| | | | 207/1/2 | 0.210 | 0.210 | | |
| | | | 207/1/3 | 0.264 | 0.264 | | |
| | | | 207/2 | 0.166 | 0.166 | | |
| | | | 207/3 | 0.303 | 0.303 | | |
| | | | 207/4/1 | 0.348 | 0.348 | | |
| | | | 207/4/2 | 0.348 | 0.348 | | |
| | | | 208/1/1 | 0.405 | 0.405 | | |
| | | | 208/1/2 | 0.405 | 0.405 | | |
| | | | 208/1/3 | 0.404 | 0.404 | | |
| | | | 208/2 | 0.745 | 0.745 | | |
| | | | 208/3 | 0.708 | 0.708 | | |
| | | | 208/4/1 | 0.583 | 0.583 | | |
| | | | 208/4/2 | 0.583 | 0.583 | | |
| | | | 208/5 | 0.065 | 0.065 | | |
| | | | 212 | 0.308 | 0.308 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 213/1 | 0.344 | 0.344 | | | |
| | | | 213/2 | 0.113 | 0.113 | | | |
| | | | 213/3 | 0.113 | 0.113 | | | |
| | | | 213/4 | 0.113 | 0.113 | | | |
| | | | 213/5 | 0.115 | 0.115 | | | |
| | | | 214 | 0.053 | 0.053 | | | |
| | | | 215 | 0.093 | 0.093 | | | |
| | | | 216 | 0.089 | 0.089 | | | |
| | | | 217 | 0.053 | 0.053 | | | |
| | | | 218 | 0.785 | 0.785 | | | |
| | | | 219/1 | 0.809 | 0.809 | | | |
| | | | 219/2 | 0.057 | 0.057 | | | |
| | | | 220/1 | 0.324 | 0.324 | | | |
| | | | 220/2/1 | 0.162 | 0.162 | | | |
| | | | 220/2/2/1 | 0.425 | 0.425 | | | |
| | | | 220/2/2/2 | 0.202 | 0.202 | | | |
| | | | 220/2/3 | 0.061 | 0.061 | | | |
| | | | 220/3/1 | 0.445 | 0.445 | | | |
| | | | 220/3/2 | 0.647 | 0.647 | | | |
| | | | 220/4 | 1.011 | 1.011 | | | |
| | | | 220/5/1 | 0.134 | 0.134 | | | |
| | | | 220/5/2 | 0.161 | 0.161 | | | |
| | | | 220/5/3 | 0.161 | 0.161 | | | |
| | | | 220/5/4 | 0.134 | 0.134 | | | |
| | | | 220/5/5 | 0.117 | 0.117 | | | |
| | | | 220/5/6 | 0.138 | 0.138 | | | |
| | | | 220/5/7 | 0.142 | 0.142 | | | |
| | | | 220/5/8 | 0.142 | 0.142 | | | |
| | | | 220/5/9 | 0.142 | 0.142 | | | |
| | | | 221/1/1 | 0.089 | 0.089 | | | |
| | | | 221/1/2 | 0.890 | 0.890 | | | |
| | | | 221/1/3 | 0.093 | 0.093 | | | |
| | | | 221/1/4 | 0.093 | 0.093 | | | |
| | | | 221/1/5 | 0.089 | 0.089 | | | |
| | | | 221/1/6 | 0.089 | 0.089 | | | |
| | | | 221/1/7 | 0.089 | 0.089 | | | |
| | | | 221/1/8 | 0.089 | 0.089 | | | |
| | | | 221/1/9 | 0.089 | 0.089 | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 221/1/10 | 0.215 | 0.215 |
| 221/1/11 | 0.126 | 0.126 |
| 221/1/12 | 0.101 | 0.101 |
| 221/1/13 | 0.113 | 0.113 |
| 221/1/14 | 0.133 | 0.133 |
| 221/1/15 | 0.124 | 0.124 |
| 221/1/16 | 0.122 | 0.122 |
| 221/1/17 | 0.122 | 0.122 |
| 221/1/18 | 0.122 | 0.122 |
| 221/2 | 0.890 | 0.890 |
| 221/3/1 | 0.486 | 0.486 |
| 221/3/2 | 0.323 | 0.323 |
| 221/4/1 | 0.283 | 0.283 |
| 221/4/2/1 | 0.748 | 0.748 |
| 221/4/2/2 | 0.242 | 0.242 |
| 221/4/3 | 0.141 | 0.141 |
| 221/5 | 1.214 | 1.214 |
| 222/1/1 | 0.061 | 0.061 |
| 222/1/2 | 0.081 | 0.081 |
| 222/1/3 | 0.097 | 0.097 |
| 222/1/4 | 0.093 | 0.093 |
| 222/1/5 | 0.081 | 0.081 |
| 222/1/6 | 0.081 | 0.081 |
| 222/1/7 | 0.081 | 0.081 |
| 222/1/8 | 0.081 | 0.081 |
| 222/2 | 2.012 | 2.012 |
| 222/3/1/1 | 0.280 | 0.280 |
| 222/3/1/2 | 0.676 | 0.676 |
| 222/3/2 | 1.053 | 1.053 |
| 222/4/1 | 0.365 | 0.365 |
| 222/4/2/1 | 0.713 | 0.713 |
| 222/4/2/2 | 0.365 | 0.365 |
| 222/4/3 | 0.202 | 0.202 |
| 222/5 | 2.242 | 2.242 |
| 223/1/1 | 0.830 | 0.830 |
| 223/1/2 | 0.405 | 0.405 |
| 223/2 | 0.410 | 0.410 |
| 223/3 | 0.287 | 0.287 |
| 223/4 | 0.767 | 0.767 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 223/5 | 0.020 | 0.020 | | |
| | | | 224/1 | 0.405 | 0.405 | | |
| | | | 224/2 | 0.388 | 0.388 | | |
| | | | 225 | 0.295 | 0.295 | | |
| | | | 226/1 | 0.252 | 0.252 | | |
| | | | 226/2 | 1.230 | 1.230 | | |
| | | | 227/1/1 | 0.512 | 0.512 | | |
| | | | 227/1/2 | 0.512 | 0.512 | | |
| | | | 227/1/3 | 0.512 | 0.512 | | |
| | | | 227/1/4 | 0.512 | 0.512 | | |
| | | | 227/2 | 0.080 | 0.080 | | |
| | | | 228/1 | 0.589 | 0.589 | | |
| | | | 228/2 | 0.589 | 0.589 | | |
| | | | 228/3 | 0.589 | 0.589 | | |
| | | | 228/4 | 0.588 | 0.588 | | |
| | | | 229/1/1 | 0.785 | 0.785 | | |
| | | | 229/1/2 | 0.789 | 0.789 | | |
| | | | 229/2 | 0.809 | 0.809 | | |
| | | | 229/3 | 0.405 | 0.405 | | |
| | | | 230/1/1 | 0.324 | 0.324 | | |
| | | | 230/1/2 | 0.202 | 0.202 | | |
| | | | 230/2 | 0.255 | 0.255 | | |
| | | | 231 | 1.769 | 1.769 | | |
| | | | 232 | 1.779 | 1.779 | | |
| | | | 233/1/1 | 0.988 | 10.01 | | |
| | | | 233/1/2 | 0.600 | | | |
| | | | 233/1/3 | 0.600 | | | |
| | | | 233/1/4 | 0.300 | | | |
| | | | 233/1/5 | 0.520 | | | |
| | | | 233/2 | 1.000 | | | |
| | | | 233/3 | 1.000 | | | |
| | | | 233/4 | 1.000 | | | |
| | | | 233/5 | 0.486 | | | |
| | | | 233/6 | 1.000 | | | |
| | | | 233/7 | 1.000 | | | |
| | | | 233/8/1 | 0.040 | | | |
| | | | 233/8/2 | 1.174 | | | |
| | | | 233/9 | 1.000 | | | |
| | | | 233/10 | 1.000 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 234 | 0.656 | 0.656 | | | |
| | | | 235 | 0.530 | 0.530 | | | |
| | | | 237/1 | 0.809 | 0.809 | | | |
| | | | 237/2 | 3.767 | 3.767 | | | |
| | | | 238/1/1/1 | 0.121 | 2.850 | | | |
| | | | 238/1/1/2 | 0.365 | | | | |
| | | | 238/1/1/3 | 0.121 | | | | |
| | | | 238/1/3 | 0.607 | | | | |
| | | | 238/2/2 | 1.000 | | | | |
| | | | 238/2/3 | 1.000 | | | | |
| | | | 238/2/4 | 1.000 | | | | |
| | | | 238/2/5 | 1.000 | | | | |
| | | | 238/2/6 | 1.000 | | | | |
| | | | 238/2/7 | 1.000 | | | | |
| | | | 238/2/8 | 1.000 | | | | |
| | | | 238/2/9 | 1.000 | | | | |
| | | | 238/2/10 | 1.000 | | | | |
| | | | 240/1/1 | 0.162 | 0.162 | | | |
| | | | 240/1/2 | 1.149 | 1.149 | | | |
| | | | 240/2/1 | 0.709 | 0.709 | | | |
| | | | 240/2/2 | 0.101 | 0.101 | | | |
| | | | 241/1/1 | 0.101 | 0.101 | | | |
| | | | 241/1/2 | 0.377 | 0.377 | | | |
| | | | 241/2/1 | 0.910 | 0.910 | | | |
| | | | 241/2/2 | 0.304 | 0.304 | | | |
| | | | 242 | 1.627 | 1.627 | | | |
| | | | 243 | 0.506 | 0.506 | | | |
| | | | 247/213 | 0.736 | 0.736 | | | |
| | | | 248/41 | 0.299 | 0.081 | | | |
| | | | 250/41 | 0.486 | 0.405 | | | |
| | | | 257/213 | 0.117 | 0.117 | | | |
| | | | 258/219 | 0.283 | 0.283 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 259/220 | 0.129 | 0.129 | | |
| | | | 264/61/1 | 0.405 | 0.405 | | |
| | | | 264/61/2 | 0.150 | 0.150 | | |
| | | | 265/184/1/1 | 0.323 | 2.431 | | |
| | | | 265/184/1/2 | 0.607 | | | |
| | | | 265/184/1/3/1 | 0.257 | | | |
| | | | 265/184/1/3/2 | 0.202 | | | |
| | | | 265/184/2/1 | 0.482 | | | |
| | | | 265/184/2/2 | 0.477 | | | |
| | | | 265/184/3/1 | 0.323 | | | |
| | | | 265/184/3/2 | 0.133 | | | |
| | | | 265/184/3/3 | 0.040 | | | |
| | | | 265/184/5 | 0.000 | | | |
| | | | 265/184/6 | 0.133 | | | |
| | | | 265/184/7 | 0.041 | | | |
| | | | 266/205/1 | 0.518 | 0.518 | | |
| | | | 266/205/2 | 0.817 | 0.817 | | |
| | | | कुल | | | | |

नोट – भूमि का नकशा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है।

प्रकरण क्रमाक / 2432–/ अ–82/21–22– चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न सूची 01 से 06 में वर्णित भूमि के खाने 08 में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू–अर्जन की पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों की इसके द्वारा इस आशय की सूचना दि जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (07) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा –11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :–

(1) – भूमि का विवरण ।

(क) – जिला रायसेन ।

(ख) – तहसील / तालुका बेगमगंज ।

(ग) – ग्राम सेमरा

–::अनुसूची::–

::–भूमि का विवरण::–

| जिला | तहलील | ग्राम का नाम | खसरा क्रमांक | कुल रकवा हेक्टेयर में | अर्जित रकवा हेक्टेयर में | धारा –11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| रायसेन | बेगमगंज | सेमरा | 2 | 0.308 | 0.308 | कार्यपालन यंत्री बीना परियोयना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर | बीना सिचाई परियोचना के अंतर्गत मंडिया बॉध से डूब प्रभावित हेतू |
| | | | 3/1/1 | 0.182 | 0.182 | | |
| | | | 3/1/2 | 0.182 | 0.182 | | |
| | | | 3/2 | 0.360 | 0.360 | | |
| | | | 3/3/1 | 0.551 | 0.551 | | |
| | | | 3/3/2 | 0.052 | 0.052 | | |
| | | | 4/1 | 0.150 | 0.150 | | |
| | | | 4/2 | 0.154 | 0.154 | | |
| | | | 5/1/क 67, 68 69, 70/2 | 3.286 | 0.486 | | |
| | | | 5/2/3/2 शा.न. 13/1, 18/1, 67 68,69, 70] | 0.809 | 0.178 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 5/2/ख<br>शा.न. 13/1,<br>18/1, 67 ,68 ,69,<br>70/3/1/1/1 | 0.859 | 0.389 |
| 5/2/ग<br>शा.न. 13/1,<br>18/1, 67 ,68 ,69,<br>70/3/1/1/2 | 0.809 | 0.186 |
| 5/2/घ<br>13/1,<br>18/1, 67 ,68 ,69,<br>70/3/1 | 0.607 | 0.141 |
| 5/2/ड़<br>शा न 13/1,<br>18/1, 67 ,68 ,69,<br>70/3/1/2 | 0.202 | 0.049 |
| 5/3<br>11/1<br>13/2<br>18/2 | 3.035 | 0.384 |
| 5/3/छ<br>11/1<br>13/2<br>18/2 | 3.035 | 0.234 |
| 7 | 0.089 | 0.089 |
| 8/1 | 0.736 | 0.736 |
| 8/2 | 0.736 | 0.736 |
| 9 | 0.291 | 0.291 |
| 10/1/1<br>शा0न0 23 | 1.458 | 0.858 |
| 10/1/2 | 1.756 | 0.870 |
| 10/2/1<br>शा0न0 23<br>19 | 1.724 | 0.376 |
| 10/2/2<br>शा0न0 23 | 1.724 | 0.344 |
| 10/3<br>शा0न0 23<br>19 | 0.101 | 0.101 |
| 10/4<br>23 | 0.202 | 0.202 |
| 10/5, 23 | 0.999 | 0.769 |
| 11/2/1 | 2.930 | 2.857 |
| 11/2/2 | 1.926 | 0.201 |
| 12/1/1 | 0.134 | 0.134 |
| 12/1/2 | 0.133 | 0.133 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 12/2 | 0.267 | 0.267 | | | |
| | | | 12/3 | 0.494 | 0.494 | | | |
| | | | 13/3/1 | 0.283 | 0.283 | | | |
| | | | 13/3/2 | 0.486 | 0.486 | | | |
| | | | 14 | 0.202 | 0.202 | | | |
| | | | 15 | 0.433 | 0.290 | | | |
| | | | 16 | 0.166 | 0.166 | | | |
| | | | 17 | 0.251 | 0.157 | | | |
| | | | 22/1 | 1.161 | 0.016 | | | |
| | | | 22/2/1 | 0.809 | 0.283 | | | |
| | | | 22/2/2 | 1.509 | 1.214 | | | |
| | | | 22/2/3 | 0.183 | 0.126 | | | |
| | | | 24/1/1 | 0.287 | 0.016 | | | |
| | | | 24/1/2/1 | 0.147 | 0.056 | | | |
| | | | 24/2 | 0.712 | 0.471 | | | |
| | | | 24/3/1 | 0.429 | 0.429 | | | |
| | | | 24/3/2 | 0.242 | 0.242 | | | |
| | | | 26/1 | 0.056 | 0.056 | | | |
| | | | 26/2 | 0.242 | 0.242 | | | |
| | | | 30 | 0.534 | 0.534 | | | |
| | | | 39/1 ,39/2 | 0.275 | 0.275 | | | |
| | | | 39/3 | 0.405 | 0.405 | | | |
| | | | 40/1 | 0.421 | 0.393 | | | |
| | | | 40/2 | 0.417 | 0.417 | | | |
| | | | 67/1/1शा0न0 68 69.70 | 1.516 | 0.048 | | | |
| | | | 67/1/2शा0न0 68 69.70 | 1.512 | 0.057 | | | |
| | | | 67/2,68.69. 70/1 | 1.512 | 0.192 | | | |
| | | | 342/34/2 | 0.580 | 0.020 | | | |
| | | कुल | | | | | | |

नोट – भूमि का नकशा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है।

प्रकरण क्रमाक / 34 / अ–82/21–22– चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न सूची 01 से 06 में वर्णित भूमि के खाने 08 में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू–अर्जन की पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों की इसके द्वारा इस आशय की सूचना दि जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (07) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा –11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकत करता हॅ :–

(1) – भूमि का विवरण ।

(क) – जिला रायसेन ।

(ख) – तहसील / तालुका बेगमगंज ।

(ग) – ग्राम माला

–::अनुसूची::–

::–भूमि का विवरण::–

| जिला | तहलील | ग्राम का नाम | खसरा क्रमांक | कुल रकवा हेक्टेयर में | अर्जित रकवा हेक्टेयर में | धारा –11 की उपधारा (2) द्वारा | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| रायसेन | बेगमगंज | माला | 69 | 0.765 | 0.049 | कार्यपालन यंत्री बीना परियोयना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर | बीना सिचाई परियोचना के अंतर्गत मंडिया बॉध से डूब प्रभावित हेतू |
| | | | 84 | 0.332 | 0.012 | | |
| | | | 85 | 0.166 | 0.041 | | |
| | | | 87/1/2 | 0.279 | 0.048 | | |
| | | | 94 | 0.741 | 0.020 | | |
| | | | 95 | 1.955 | 1.931 | | |
| | | | 97/1 | 1.631 | 1.631 | | |
| | | | 97/2 | 1.214 | 1.214 | | |
| | | | 99/1 | 1.097 | 1.097 | | |
| | | | 99/2/1 | 0.607 | 0.607 | | |
| | | | 99/2/2 | 0.502 | 0.502 | | |
| | | | 99/3 | 0.266 | 0.266 | | |
| | | | 100/1 | 1.175 | 0.124 | | |
| | | | 100/2 | 1.760 | 1.760 | | |
| | | | 100/3/1 | 1.618 | 1.618 | | |
| | | | 100/3/2/1 | 0.733 | 0.644 | | |
| | | | 100/3/2/2 | 1.695 | 1.615 | | |
| | | | 101 | 5.419 | 5.419 | | |
| | | | 102/1/1 | 1.214 | 1.214 | | |
| | | | 102/1/2 | 1.214 | 1.214 | | |
| | | | 102/1/3 | 1.214 | 1.214 | | |
| | | | 102/1/4 | 0.684 | 0.684 | | |
| | | | 102/2 | 1.214 | 1.032 | | |
| | | | 103/1 | 0.097 | 0.097 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 103/2 | 0.161 | 0.081 |
| 103/3 | 1.630 | 0.434 |
| 103/4/1 | 0.405 | 0.226 |
| 103/4/3 | 0.405 | 0.020 |
| 103/4/4 | 0.112 | 0.020 |
| 104/1 | 0.227 | 0.227 |
| 104/2 | 0.198 | 0.198 |
| 104/3 | 0.041 | 0.041 |
| 105/1 | 0.517 | 0.517 |
| 105/2 | 1.012 | 1.012 |
| 105/3 | 1.012 | 1.012 |
| 105/4 | 1.012 | 1.012 |
| 106/1 | 0.129 | 0.129 |
| 106/2 | 0.611 | 0.611 |
| 106/3 | 0.275 | 0.275 |
| 107/1 | 0.299 | 0.299 |
| 107/2 | 0.041 | 0.041 |
| 108 | 1.271 | 1.271 |
| 110/1 | 0.203 | 0.203 |
| 110/2 | 0.198 | 0.198 |
| 110/3 | 0.632 | 0.632 |
| 110/4 | 0.198 | 0.198 |
| 110/5 | 0.203 | 0.203 |
| 111 | 0.040 | 0.040 |
| 112 | 0.129 | 0.129 |
| 113/1/1 | 1.149 | 1.149 |
| 113/1/2/1 | 0.137 | 0.137 |
| 113/1/2/2 | 1.012 | 1.012 |
| 113/2 | 0.930 | 0.930 |
| 114<br>115<br>116 | 2.526 | 2.526 |
| 117/2 | 0.809 | 0.081 |
| 121/1 | 8.649 | 0.671 |
| 121/2 | 3.446 | 0.647 |
| 122/1/1 | 0.570 | 0.570 |
| 122/1/2 | 0.547 | 0.547 |
| 122/2 | 1.660 | 1.660 |
| 122/3 | 1.890 | 1.890 |
| 122/4/1 | 0.405 | 0.405 |
| 122/4/2 | 2.023 | 2.023 |
| 123/1 | 0.324 | 0.324 |
| 123/2 | 0.324 | 0.324 |
| 123/3 | 0.538 | 0.538 |
| 123/4 | 0.534 | 0.534 |
| 124/1 | 0.233 | 0.233 |
| 124/2 | 0.237 | 0.237 |
| 124/3 | 0.237 | 0.237 |
| 124/4 | 0.237 | 0.237 |
| 125 | 0.862 | 0.862 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 126/1/1<br>127 | 0.702 | 0.702 | | | |
| | | | 126/1/2<br>127 | 0.165 | 0.165 | | | |
| | | | 126/2<br>127 | 1.619 | 1.619 | | | |
| | | | 127<br>126 | 0.001 | 0.001 | | | |
| | | | 134/1 | 0.355 | 0.870 | | | |
| | | | 134/2/1 | 0.567 | | | | |
| | | | 134/2/2 | 0.809 | | | | |
| | | | 134/3 | 1.420 | | | | |
| | | | 274/2 | 3.103 | 0.170 | | | |
| | | | 274/3/1 | 3.760 | 0.121 | | | |
| | | | 274/3/2 | 2.023 | 1.950 | | | |
| | | | 279/1 | 0.263 | 0.040 | | | |
| | | | 279/2 | 0.405 | 0.405 | | | |
| | | | 281 | 0.409 | 0.389 | | | |
| | | | 287 | 0.595 | 0.121 | | | |
| | | | 288 | 2.424 | 2.404 | | | |
| | | | 289/1 | 2.343 | 1.473 | | | |
| | | | 289/2 | 2.342 | 0.068 | | | |
| | | | 335/1 | 0.607 | 0.547 | | | |
| | | | 335/2 | 1.011 | 0.020 | | | |
| | | | 336/1 | 1.522 | 1.498 | | | |
| | | | 336/2/1 | 1.246 | 0.902 | | | |
| | | | 336/2/2 | 1.652 | 0.032 | | | |
| | | | 337 | 0.125 | 0.125 | | | |
| | | | 338 | 0.081 | 0.081 | | | |
| | | | 339 | 0.219 | 0.219 | | | |
| | | | 340<br>341 | 1.125 | 1.125 | | | |
| | | | 342<br>शा. न. 343 | 1.550 | 1.550 | | | |
| | | | 344 | 0.036 | 0.036 | | | |
| | | | 345 | 2.108 | 1.428 | | | |
| | | | 346 | 4.326 | 4.326 | | | |
| | | | 347 | 1.189 | 1.189 | | | |
| | | | 348 | 0.611 | 0.611 | | | |
| | | | 349 | 0.494 | 0.494 | | | |
| | | | 350/1 | 1.198 | 1.198 | | | |
| | | | 350/2 | 0.809 | 0.809 | | | |
| | | | 352 | 1.485 | 1.485 | | | |
| | | | 353 | 1.906 | 1.906 | | | |
| | | | 354/2 | 0.162 | 0.162 | | | |
| | | | 355 | 1.226 | 1.226 | | | |
| | | | 356 | 2.331 | 2.331 | | | |
| | | | 357 | 0.502 | 0.502 | | | |
| | | | 358/1<br>बीड | 0.304 | 0.304 | | | |
| | | | 358/2 | 0.154 | 0.154 | | | |
| | | | 359/1 | 1.190 | 1.190 | | | |
| | | | 359/2 | 0.704 | 0.704 | | | |
| | | | 360 | 0.983 | 0.983 | | | |
| | | | 361 | 1.291 | 1.291 | | | |
| | | | 362 | 0.959 | 0.959 | | | |
| | | | 363 | 1.028 | 1.028 | | | |
| | | | 364 | 0.316 | 0.316 | | | |
| | | | 365 | 0.518 | 0.518 | | | |
| | | | 366 | 1.291 | 1.291 | | | |
| | | कुल | | | | | | |

नोट – भूमि का नकशा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है।

प्रकरण क्रमाक / 34 / अ–82/21–22– चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न सूची 01 से 06 में वर्णित भूमि के खाने 08 में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू–अर्जन की पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों की इसके द्वारा इस आशय की सूचना दि जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (07) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा –11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकत करता हैं :–

(1) – भूमि का विवरण ।

(क) – जिला रायसेन ।

(ख) – तहसील / तालुका बेगमगंज ।

(ग) – ग्राम माला

–::अनुसूची::–

::–भूमि का विवरण::–

| जिला | तहसील | ग्राम का नाम | खसरा क्रमांक | कुल रकवा हेक्टेयर में | अर्जित रकवा हेक्टेयर में | धारा –11 की उपधारा (2) द्वारा | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| रायसेन | बेगमगंज | माला | 69 | 0.765 | 0.049 | कार्यपालन यंत्री बीना परियोयना जल संसाधन संभाग राहतगढ़ जिला सागर | बीना सिचाई परियोचना के अंतर्गत मंडिया बॉध से डूब प्रभावित हेतू |
| | | | 84 | 0.332 | 0.012 | | |
| | | | 85 | 0.166 | 0.041 | | |
| | | | 87/1/2 | 0.279 | 0.048 | | |
| | | | 94 | 0.741 | 0.020 | | |
| | | | 95 | 1.955 | 1.931 | | |
| | | | 97/1 | 1.631 | 1.631 | | |
| | | | 97/2 | 1.214 | 1.214 | | |
| | | | 99/1 | 1.097 | 1.097 | | |
| | | | 99/2/1 | 0.607 | 0.607 | | |
| | | | 99/2/2 | 0.502 | 0.502 | | |
| | | | 99/3 | 0.266 | 0.266 | | |
| | | | 100/1 | 1.175 | 0.124 | | |
| | | | 100/2 | 1.760 | 1.760 | | |
| | | | 100/3/1 | 1.618 | 1.618 | | |
| | | | 100/3/2/1 | 0.733 | 0.644 | | |
| | | | 100/3/2/2 | 1.695 | 1.615 | | |
| | | | 101 | 5.419 | 5.419 | | |
| | | | 102/1/1 | 1.214 | 1.214 | | |
| | | | 102/1/2 | 1.214 | 1.214 | | |
| | | | 102/1/3 | 1.214 | 1.214 | | |
| | | | 102/1/4 | 0.684 | 0.684 | | |
| | | | 102/2 | 1.214 | 1.032 | | |
| | | | 103/1 | 0.097 | 0.097 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 103/2 | 0.161 | 0.081 |
| 103/3 | 1.630 | 0.434 |
| 103/4/1 | 0.405 | 0.226 |
| 103/4/3 | 0.405 | 0.020 |
| 103/4/4 | 0.112 | 0.020 |
| 104/1 | 0.227 | 0.227 |
| 104/2 | 0.198 | 0.198 |
| 104/3 | 0.041 | 0.041 |
| 105/1 | 0.517 | 0.517 |
| 105/2 | 1.012 | 1.012 |
| 105/3 | 1.012 | 1.012 |
| 105/4 | 1.012 | 1.012 |
| 106/1 | 0.129 | 0.129 |
| 106/2 | 0.611 | 0.611 |
| 106/3 | 0.275 | 0.275 |
| 107/1 | 0.299 | 0.299 |
| 107/2 | 0.041 | 0.041 |
| 108 | 1.271 | 1.271 |
| 110/1 | 0.203 | 0.203 |
| 110/2 | 0.198 | 0.198 |
| 110/3 | 0.632 | 0.632 |
| 110/4 | 0.198 | 0.198 |
| 110/5 | 0.203 | 0.203 |
| 111 | 0.040 | 0.040 |
| 112 | 0.129 | 0.129 |
| 113/1/1 | 1.149 | 1.149 |
| 113/1/2/1 | 0.137 | 0.137 |
| 113/1/2/2 | 1.012 | 1.012 |
| 113/2 | 0.930 | 0.930 |
| 114<br>115<br>116 | 2.526 | 2.526 |
| 117/2 | 0.809 | 0.081 |
| 121/1 | 8.649 | 0.671 |
| 121/2 | 3.446 | 0.647 |
| 122/1/1 | 0.570 | 0.570 |
| 122/1/2 | 0.547 | 0.547 |
| 122/2 | 1.660 | 1.660 |
| 122/3 | 1.890 | 1.890 |
| 122/4/1 | 0.405 | 0.405 |
| 122/4/2 | 2.023 | 2.023 |
| 123/1 | 0.324 | 0.324 |
| 123/2 | 0.324 | 0.324 |
| 123/3 | 0.538 | 0.538 |
| 123/4 | 0.534 | 0.534 |
| 124/1 | 0.233 | 0.233 |
| 124/2 | 0.237 | 0.237 |
| 124/3 | 0.237 | 0.237 |
| 124/4 | 0.237 | 0.237 |
| 125 | 0.862 | 0.862 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 126/1/1 127 | 0.702 | 0.702 | | |
| | | | 126/1/2 127 | 0.165 | 0.165 | | |
| | | | 126/2 127 | 1.619 | 1.619 | | |
| | | | 127 126 | 0.001 | 0.001 | | |
| | | | 134/1 | 0.355 | 0.870 | | |
| | | | 134/2/1 | 0.567 | | | |
| | | | 134/2/2 | 0.809 | | | |
| | | | 134/3 | 1.420 | | | |
| | | | 274/2 | 3.103 | 0.170 | | |
| | | | 274/3/1 | 3.760 | 0.121 | | |
| | | | 274/3/2 | 2.023 | 1.950 | | |
| | | | 279/1 | 0.263 | 0.040 | | |
| | | | 279/2 | 0.405 | 0.405 | | |
| | | | 281 | 0.409 | 0.389 | | |
| | | | 287 | 0.595 | 0.121 | | |
| | | | 288 | 2.424 | 2.404 | | |
| | | | 289/1 | 2.343 | 1.473 | | |
| | | | 289/2 | 2.342 | 0.068 | | |
| | | | 335/1 | 0.607 | 0.547 | | |
| | | | 335/2 | 1.011 | 0.020 | | |
| | | | 336/1 | 1.522 | 1.498 | | |
| | | | 336/2/1 | 1.246 | 0.902 | | |
| | | | 336/2/2 | 1.652 | 0.032 | | |
| | | | 337 | 0.125 | 0.125 | | |
| | | | 338 | 0.081 | 0.081 | | |
| | | | 339 | 0.219 | 0.219 | | |
| | | | 340 341 | 1.125 | 1.125 | | |
| | | | 342 शा. न. 343 | 1.550 | 1.550 | | |
| | | | 344 | 0.036 | 0.036 | | |
| | | | 345 | 2.108 | 1.428 | | |
| | | | 346 | 4.326 | 4.326 | | |
| | | | 347 | 1.189 | 1.189 | | |
| | | | 348 | 0.611 | 0.611 | | |
| | | | 349 | 0.494 | 0.494 | | |
| | | | 350/1 | 1.198 | 1.198 | | |
| | | | 350/2 | 0.809 | 0.809 | | |
| | | | 352 | 1.485 | 1.485 | | |
| | | | 353 | 1.906 | 1.906 | | |
| | | | 354/2 | 0.162 | 0.162 | | |
| | | | 355 | 1.226 | 1.226 | | |
| | | | 356 | 2.331 | 2.331 | | |
| | | | 357 | 0.502 | 0.502 | | |
| | | | 358/1 बीड | 0.304 | 0.304 | | |
| | | | 358/2 | 0.154 | 0.154 | | |
| | | | 359/1 | 1.190 | 1.190 | | |
| | | | 359/2 | 0.704 | 0.704 | | |
| | | | 360 | 0.983 | 0.983 | | |
| | | | 361 | 1.291 | 1.291 | | |
| | | | 362 | 0.959 | 0.959 | | |
| | | | 363 | 1.028 | 1.028 | | |
| | | | 364 | 0.316 | 0.316 | | |
| | | | 365 | 0.518 | 0.518 | | |
| | | | 366 | 1.291 | 1.291 | | |
| | | कुल | | | | | |

नोट – भूमि का नकशा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अरविंद कुमार दुबे,** कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 11057–भू–अर्जन–2021–अ.वि.अ.कुक्षी का प्र.क्र. 04–अ–82–2020–21 धार, दिनांक 22 नवम्बर 2021

**(अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 (क्र.30 सन् 2013))**

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (01) में थाना तालाब योजना अन्तर्गत ग्राम **घुड़दलिया** तहसील कुक्षी जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (02) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (02) की भूमि की अनुसूची (01) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :–

### अनुसूची (01)

**ग्राम – घुड़दलिया** **तहसील – कुक्षी**

| क्र. | विवरण | अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टेयर) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | सिंचित | असिंचित | कुल |
| 1 | थाना तालाब योजना में प्रभावित होने से | 0.655 | 0.000 | 0.655 |
| | योग | **0.655** | **0.000** | **0.655** |

### अनुसूची (02)

थाना तालाब योजना में अन्तर्गत प्रभावित भूमि का विवरण

**ग्राम – घुड़दलिया** **तहसील – कुक्षी**

| स.क्रं. | कृषक का नाम व पिता/पति का नाम | भूमि का रकबा | | | | अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | खसरा क्रमांक | सिंचित | असिंचित | कुल रकबा | सिंचित | असिंचित | कुल रकबा |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | सूरपसिंह पिता नानका जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | 68/1 | 0.655 | 0.000 | 0.655 | 0.655 | 0.000 | 0.655 |
| | **योगः–** | | **0.655** | **0.000** | **0.655** | **0.655** | **0.000** | **0.655** |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**पंकज जैन,** कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र– 53–82–भू–अर्जन–21–11911 सागर दिनांक 03 दिसम्बर 2021

**:: अधिसूचना ::**

भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं स्थावर परिसंपत्ति की, सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन,पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिका का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेत आपेक्षित है:–

**(1) परियोजना का नाम :– बीना सिंचाई परियोजना मडिया बांध निर्माण**

**(2) भूमि का विवरण :–**

1. **जिला** सागर
2. **तहसील** राहतगढ
3. **ग्राम** परासरी खुर्द
4. **पटवारी हल्का नं.** 10
5. **अर्जित भूमि का क्षेत्रफल** 152.300

**:: अनुसूची –01::**

| स. क्र. | भूस्वामी का नाम / पिता का नाम | स्वामित्व का प्रकार | खसरा क्र. | क्षेत्रफल कुल रकवा (हेक्टे. में) | अर्जित भूमि (रकवा हेक्टे.मे.) | | | भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | सिचित | असिंचित | पड़ती | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ऋषिराज बल्द सुखलाल पता सा. देह भूमिस्वामी | भूमि स्वामी | 3 | 1.150 | 1.150 | 0.000 | 0.000 | 1 कोहा, 1 उमर |
| | | | 64/1/1 | 0.220 | 0.220 | 0.000 | 0.000 | |
| 2 | अरविंद, राजेश, गजराज पिता मुंशीलाल पता सा. देह भूमिस्वामी | भूमि स्वामी | 4/1 | 0.880 | 0.880 | 0.000 | 0.000 | |
| | | | 7 | 0.610 | 0.610 | 0.000 | 0.000 | 1 उमर |
| | | | 73 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | 0.030 | 2 बेरी, 1 बेरी डूट, 1 पीपल, 1 नीम, 2 बमूरा |
| 3 | रामबाबू बल्द हरिशंकर पता सा. देह भूमिस्वामी | भूमि स्वामी | 4/2 | 0.110 | 0.110 | 0.000 | 0.000 | |
| | | | 5 | 0.950 | 0.950 | 0.000 | 0.000 | |
| | | | 12 | 0.140 | 0.140 | 0.000 | 0.000 | |
| | | | 16/1 | 1.650 | 1.650 | 0.000 | 0.000 | |
| | | | 47 | 0.360 | 0.360 | 0.000 | 0.000 | |
| | | | 68 | 1.220 | 1.220 | 0.000 | 0.000 | |
| 4 | कुंजीलाल पुत्र मिहीलाल पता दरकोली राहतगढ़ सागर म0प्र01/2 भाग भूमि स्वामी रामरानी बेवा मिहीलाल पता दरकोली राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/2 भाग भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 6/1/1 | 0.170 | 0.170 | 0.000 | 0.000 | 1 पीपल |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | महेश पुत्र मुन्ना पता दरकोली राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/6 भाग भूमि स्वामी छोटू पुत्र मुन्ना पता दरकोली राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/6 भाग भूमि स्वामी नोनीबाई बेवा मुन्ना पता दरकोली राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/6 भाग भूमि स्वामी शांतिबाई पुत्री मुन्ना पता दरकोली राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/6 भाग भूमि स्वामी राजबाई पुत्री मुन्ना पता दरकोली राहतगढ़ सागर म0 प्र0 1/6 भाग भूमि स्वामी पूजाबाई पुत्री मुन्ना पता दरकोली राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/6 भाग भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 6/1/2 | 0.170 | 0.170 | 0.000 | 0.000 | |
| 6 | फूलसींग पुत्र आलम पता दरकोली राहतगढ़ सागर म0प्र0 सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी | भूमि स्वामी | 6/1/3 | 0.170 | 0.170 | 0.000 | 0.000 | |
| 7 | जैबाई पुत्री आलम पता सा. दरकोली राहतगढ सागर म0प्र0 सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी | भूमि स्वामी | 6/1/4 | 0.160 | 0.160 | 0.000 | 0.000 | |
| 8 | अशोक बल्द रामप्रसाद निवासी ग्राम भूमिस्वामी | भूमि स्वामी | 6/2 | 0.670 | 0.670 | 0.000 | 0.000 | |
| | | | 94/4 | 1.600 | 1.600 | 0.000 | 0.000 | |
| | | | 97/2 | 1.190 | 1.190 | 0.000 | 0.000 | 1 ट्यूववेल, 1 जामुन, 2 अमरूद, 2 आम, 2 आंवला, 2 बेरी, 16 सागौन, 2 बांस का घेरा |
| | | | 102/2 | 0.770 | 0.770 | 0.000 | 0.000 | 1 ट्यूववेल |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | राजेश पुत्र जैसींग पता परासरी खुर्द राहतगढ सागर म0प्र0 1/12 भाग भूमिस्वामी रामप्यारी पुत्री जैसींग पता परासरी खुर्द राहतगढ सागर म0प्र0 1/12 भाग भूमिस्वामी मथुराबाई पुत्री जैसींग पता परासरी खुर्द राहतगढ सागर म0प्र0 1/12 भाग भूमिस्वामी कुवरबाई बेवा जैसींग पता परासरी खुर्द राहतगढ सागर म0प्र0 1/12 भाग भूमिस्वामी कसिया पुत्र कलू पता परासरी खुर्द राहतगढ सागर म0प्र0 1/21 भाग भूमिस्वामी हल्कई पुत्र कलू पता परासरी खुर्द राहतगढ सागर म0प्र0 1/21 भाग भूमिस्वामी नत्थू पुत्र कलू पता परासरी खुर्द राहतगढ सागर म0प्र0 1/21 भाग भूमिस्वामी रामसींग पुत्र कलू पता परासरी खुर्द राहतगढ सागर म0प्र0 1/21 भाग भूमिस्वामी रवीदास पुत्र कलू पता परासरी खुर्द राहतगढ सागर म0प्र0 1/21 भाग भूमिस्वामी प्रभा पुत्री कलू पता परासरी खुर्द राहतगढ सागर म0प्र0 1/21 भाग भूमिस्वामी दसोदा बेवा कलू पता परासरी खुर्द राहतगढ सागर म0प्र0 1/21 भाग भूमिस्वामी पुनिया बेवा पंचा पता परासरी खुर्द राहतगढ सागर म0प्र0 1/3 भाग भूमिस्वामी | भूमि स्वामी | 6/3 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | |
| | | | 43 | 0.180 | 0.180 | 0.000 | 0.000 | 2 रैंजा |
| 10 | सुमत्रा बाई पुत्री रामसींग पता सा. ककरूवा भूमिस्वामी | भूमि स्वामी | 9/1 | 0.760 | 0.760 | 0.000 | 0.000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | हरिशंकर पिता अयोध्याप्रसाद पता सा. राहतगढ़ भूमिस्वामी | भूमि स्वामी | 9/2 | 0.750 | 0.750 | 0.000 | 0.000 | |
| | | | 15/2 | 1.210 | 1.210 | 0.000 | 0.000 | |
| | | | 15/4 | 2.020 | 2.020 | 0.000 | 0.000 | |
| | | | 28/1 | 2.320 | 2.320 | 0.000 | 0.000 | 1 आम, 1 बेरी, 3 बमूरा |
| | | | 28/2 | 2.430 | 2.430 | 0.000 | 0.000 | 1 पक्का कुआ,1 तालाब 1 छेवला |
| | | | 28/3 | 0.810 | 0.810 | 0.000 | 0.000 | |
| | | | 28/4 | 2.400 | 2.400 | 0.000 | 0.000 | |
| | | | 41 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | |
| 12 | श्यामबाबू बल्द हरिशंकर पता सा. राहतगढ़ भूमिस्वामी | भूमि स्वामी | 11 | 0.400 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | |
| | | | 15/1 | 2.230 | 2.230 | 0.000 | 0.000 | |
| | | | 15/3 | 1.820 | 1.820 | 0.000 | 0.000 | |
| | | | 16/2 | 0.400 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | |
| | | | 24 | 0.120 | 0.000 | 0.000 | 0.120 | |
| | | | 42 | 0.210 | 0.210 | 0.000 | 0.000 | |
| 13 | रामसींग पिता कड़ोरी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/7 भाग भूमि स्वामी विनोद पिता करोड़ी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/7 भाग भूमि स्वामी प्रेम पिता कडोरी पता परासरी खुर्द राहतगढ सागर म0प्र0 1/7 भाग भूमि स्वामी सनमान पिता कड़ोरी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/7 भाग प्रेमनारायण पिता कड़ोरी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/7 भाग भूमि स्वामी किरण पुत्री कड़ोरी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/7 भाग भूमि स्वामी अंगूरीबाई बेवा कड़ोरी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/7 भाग भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 17 | 0.070 | 0.000 | 0.000 | 0.070 | |
| | | | 44 | 0.950 | 0.950 | 0.000 | 0.000 | 1 आम |
| | | | 66 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | 0.030 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | प्रकाश पिता सूरतसींग पता सा.देह भूमिस्वामी | भूमि स्वामी | 19 | 0.940 | 0.940 | 0.000 | 0.000 | 3 बेरी, 1 बेल, 3 छेवला |
| 15 | युवराज नरेन्द्र नावा बल्द बली पि. प्रकाश पता सा. देह भूमिस्वामी | भूमि स्वामी | 20 | 0.940 | 0.940 | 0.000 | 0.000 | 1 बेरी, 1 छेवला, 1 उमर |
| | | | 21 | 0.510 | 0.510 | 0.000 | 0.000 | 3 छेवला |
| | | | 22 | 2.880 | 2.880 | 0.000 | 0.000 | 1 पक्का कुआ, 3 छेवला, 1 बमूरा |
| | | | 69/1 | 0.310 | 0.302 | 0.000 | 0.008 | 9 बमूरा |
| | | | 70/1 | 0.020 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | |
| 16 | हल्कई बल्द परम पता सा. देह भूमिस्वामी | भूमि स्वामी | 25 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | 0.020 | 1 जामुन, 2 बमूरा, 1 शोबबूल |
| 17 | काशीराम बल्द श्यामा पता नि.ग्राम भूमिस्वामी | भूमि स्वामी | 39/2 | 0.800 | 0.800 | 0.000 | 0.000 | 1 आम, 2 कोहा |
| 18 | धीरजसींग बल्द बालचंद पता सा. गवरी देह भूमिस्वामी | भूमि स्वामी | 40 | 1.610 | 1.610 | 0.000 | 0.000 | |
| | | | 89 | 0.680 | 0.645 | 0.000 | 0.035 | 2 बमूरा, 1 शोबबूल, 1 बांस का घेरा |
| 19 | रघुराज प्यारेलाल पता सा. देह भूमिस्वामी | भूमि स्वामी | 46 | 0.340 | 0.340 | 0.000 | 0.000 | |
| | | | 50/5 | 0.060 | 0.060 | 0.000 | 0.000 | |
| | | | 91/1 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | |
| 20 | सुखदेव पिता पवन जाति लोधी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 49 | 1.760 | 1.760 | 0.000 | 0.000 | |
| 21 | लक्ष्मन पिता प्यारेलाल पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी | भूमि स्वामी | 50/1 | 0.150 | 0.150 | 0.000 | 0.000 | |
| | | | 114/3 | 0.270 | 0.270 | 0.000 | 0.000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | मलखान पिता प्यारेलाल पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी | भूमि स्वामी | 50/2 | 0.420 | 0.000 | 0.000 | 0.420 | |
| 23 | गुवरधन पिता ओमकार लोधी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/6 भाग भूमि स्वामी राजेश पिता ओमकार लोधी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/6 भाग भूमि स्वामी प्रेमनारायण पिता ओमकार लोधी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/6 भाग भूमि स्वामी श्यामाबाई बेवा ओमकार लोधी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/6 भाग भूमिस्वामी लक्ष्मी पुत्री ओमकार लोधी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/6 भाग भूमिस्वामी अंगूरी पुत्री ओमकार लोधी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र01/6 भाग भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 50/3 | 0.420 | 0.420 | 0.000 | 0.000 | 1 कोहा |
| 24 | दलीप पिता प्यारेलाल पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी | भूमि स्वामी | 50/4 | 0.420 | 0.420 | 0.000 | 0.000 | 2 आम, |
| | | | 91/2 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | |
| 25 | सेवक पिता हजारी पता सा. देह भूमिस्वामी | भूमि स्वामी | 51 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 1 छेवला डूट, 2 रेंजा, 1 कोहा, 1 उमर |
| | | | 93/1 | 0.550 | 0.550 | 0.000 | 0.000 | 1 पक्का कुआ, 1 बेरी, 1 बमूरा, 3 महुआ |
| | | | 117 | 0.200 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | |
| 26 | भगवानसींग ना.बा. बल्द बली पृथ्वीराज पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी | भूमि स्वामी | 52 | 0.520 | 0.520 | 0.000 | 0.000 | |
| | | | 53 | 0.510 | 0.510 | 0.000 | 0.000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | शोभाराम बल्द अमरसींग पता सा.देह भूमिस्वामी | भूमि स्वामी | 54/1 | 0.740 | 0.740 | 0.000 | 0.000 | 1 पक्का कुआ |
| | | | 76 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | |
| | | | 141 | 2.340 | 2.337 | 0.000 | 0.003 | 1 पक्का कुआ, 4 आंवला, 2 अमरूद, 4 आम, 1 बेल, 2 छेवला, 1 नीम, 1 रूसल्ला |
| | | | 142/1 | 0.600 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | |
| | | | 155 | 0.300 | 0.300 | 0.000 | 0.000 | 1 कोहा |
| 28 | अशोक , महराजसींग, पन्ननालाल पिस. रामप्रसाद पता सा. देह भूमिस्वामी | भूमि स्वामी | 54/2 | 1.140 | 1.140 | 0.000 | 0.000 | 1 ट्यूववेल, 4 कोहा, 3 उमर, 3 छेवला |
| 29 | रामप्रसाद पिता मूलचंद पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 64/1/2 | 0.210 | 0.210 | 0.000 | 0.000 | |
| 30 | कुवेरसिंह पिता बद्रीप्रसाद जाति कुर्मी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/4 भूमि स्वामी भारतसींग पिता बद्रीप्रसाद जाति कुर्मी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/4 भाग भूमि स्वामी रचना पुत्री बद्रीप्रसाद जाति कुर्मी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र01/4 भाग भूमि स्वामी शिवरानी उर्फ चंदाबाई बेवा बद्रीप्रसाद जाति कुर्मी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/4 भाग भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 64/2 | 0.110 | 0.110 | 0.000 | 0.000 | |
| | | | 77 | 0.020 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | |
| | | | 78 | 0.020 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | |
| | | | 79 | 0.030 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | |
| | | | 80 | 0.030 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | |
| | | | 101/1 | 0.670 | 0.644 | 0.000 | 0.026 | 7 आंवला, 1 जामुन, 2 आम, 1 बहेरा, 3 सागौन, 2 शोबबूल, 1 नीम |
| | | | 107/3 107/4 | 5.090 | 5.090 | 0.000 | 0.000 | 1 पक्का कुआ, 1 रूसल्ला, 2 छेवला, 1 छेवला डूट |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | पृथ्वीसिंह बल्द सूरतसिंह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी | भूमि स्वामी | 69/2 | 0.160 | 0.151 | 0.000 | 0.009 | 1 बेरी, 6 बमूरा, 1 सागौन |
| | | | 70/3 | 0.010 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | |
| | | | 75 | 0.840 | 0.840 | 0.000 | 0.000 | 1 बेरी, 2 बमूरा, 3 बबूल |
| | | | 84/2 | 0.020 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | 1 रूसल्ला, 1 पीपल |
| | | | 108 | 0.520 | 0.520 | 0.000 | 0.000 | 13 छेवला, 3 कोहा, 1 उमर, 1 बहेरा |
| | | | 109/2 | 0.970 | 0.970 | 0.000 | 0.000 | 1 उमर, 1 गुरार, 3 छेवला, 1 बमूरा |
| | | | 136/2 | 2.700 | 2.700 | 0.000 | 0.000 | 1 पक्का कुआ, 1 नीम, 2 रूसल्ला, 1 छेवला |
| | | | 137/3 | 3.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 32 | महादेव बल्द सूरतसींग पता सा.देह भूमिस्वामी | भूमि स्वामी | 69/3 | 0.150 | 0.100 | 0.000 | 0.050 | 2 बेरी, 1 इमली, 1 आम, 6 बमूरा |
| | | | 70/2 | 0.010 | 0.006 | 0.000 | 0.004 | |
| | | | 84/1 | 0.030 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | |
| | | | 109/1 | 0.520 | 0.520 | 0.000 | 0.000 | 2 कोहा, 1 छेवला |
| | | | 112 | 1.780 | 1.780 | 0.000 | 0.000 | 1 बेरी डूट, 7 छेवला, 1 उमर, 1 बमूरा, 1 रूसल्ला |
| | | | 135 | 0.770 | 0.770 | 0.000 | 0.000 | 1 ट्यूववेल, 1 रेंजा, 8 छेवला |
| | | | 136/1 | 2.710 | 2.710 | 0.000 | 0.000 | 1 पक्का कुआ, 1 ट्यूववेल |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | कमलेश भगवानदास पिता बब्बू प्रेमरानी बेवा बब्बू पता सा.देह भूमिस्वामी | भूमि स्वामी | 81 | 0.090 | 0.078 | 0.000 | 0.012 | 1 ट्यूववेल, 2 बेरी, 1 अमरूद, 1 कटहल, 1 आम, 1 रूसल्ला डूट |
| 34 | महराजसींग, अशोकसींग पिता रामप्रसाद गीताबाई पत्नी पन्नालाल पता सा. देह भूमिस्वामी | भूमि स्वामी | 82 | 0.010 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | |
| 35 | फूलरानी बेवा सिरदारसींग पता सा.देह भूमिस्वामी | भूमि स्वामी | 83 | 0.070 | 0.070 | 0.000 | 0.000 | 1 बेरी, |
| 36 | छोटेलाल शिवराज ना.बा. पिता सिरदार बली मा खुद फूलरानी पति शिवराज पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी | भूमि स्वामी | 86 | 0.040 | 0.029 | 0.000 | 0.011 | 1 बेरी, 1 बबूल |
| | | | 87 | 1:090 | 1.090 | 0.000 | 0.000 | 1 बेरी, 4 बमूरा |
| | | | 116 | 0.160 | 0.160 | 0.000 | 0.000 | 1 रेंजा |
| 37 | पवन पिता हरिराम पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी | भूमि स्वामी | 90 | 0.030 | 0.005 | 0.000 | 0.025 | |
| | | | 113 | 1.490 | 1.490 | 0.000 | 0.000 | 1 पक्का कुआ |
| 38 | मानसींग पिता प्यारेलाल पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी | भूमि स्वामी | 114/1 | 0.420 | 0.420 | 0.000 | 0.000 | 1 ट्यूववेल, 1 नीम |
| | | | 91/3 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | |
| 39 | सूरतसिंह पिता मूलचन्द्र पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी | भूमि स्वामी | 92 | 0.180 | 0.180 | 0.000 | 0.000 | 1 ट्यूववेल |
| 40 | मूलामसींग पिता हजारीलाल पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी | भूमि स्वामी | 93/2 | 1.600 | 1.600 | 0.000 | 0.000 | 4 आंवला, 1 बेरी |
| 41 | रामप्रसाद पिता मूलचन्द्र पता सा. देह भूमिस्वामी | भूमि स्वामी | 94/1 | 0.370 | 0.370 | 0.000 | 0.000 | |
| 42 | दीपेश अनिकेश बल्द पन्नालाल पता सा. निवासी ग्राम भूमिस्वामी | भूमि स्वामी | 94/2 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | सदीप बल्द महाराज पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी | भूमि स्वामी | 94/3 | 1.600 | 1.600 | 0.000 | 0.000 | 1 पक्का कुआ |
| 44 | भरत कुवरसींग पिता बद्रीप्रसाद पता सा.देह भूमिस्वामी | भूमि स्वामी | 95/1 | 2.350 | 2.350 | 0.000 | 0.000 | 1 पक्का कुआ, 1 बेरी, |
| | | | 100/2 | 1.180 | 1.180 | 0.000 | 0.000 | |
| | | | 104 | 0.720 | 0.720 | 0.000 | 0.000 | 1 छेवला |
| 45 | रोहित बल्द विष्णुप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी | भूमि स्वामी | 95/2 | 2.350 | 2.350 | 0.000 | 0.000 | कच्चा कुआ 1 |
| | | | 138/2 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | |
| | | | 139/1 | 0.330 | 0.330 | 0.000 | 0.000 | |
| | | | 139/2 | 1.220 | 1.220 | 0.000 | 0.000 | 1 बमूरा, 1 छेवला, 1 कोहा |
| | | | 139/4 | 0.070 | 0.000 | 0.000 | 0.070 | |
| 46 | जाहिद अली पिता कुदरत अली पता सा.देह भूमिस्वामी | भूमि स्वामी | 96/1 | 0.840 | 0.840 | 0.000 | 0.000 | 1 छेवला |
| | | | 100/1 | 0.070 | 0.070 | 0.000 | 0.000 | 1 पक्का कुआ |
| | | | 103 | 0.850 | 0.850 | 0.000 | 0.000 | |
| 47 | पन्नालाल बल्द रामप्रसाद पता सा. सागर भूमिस्वामी | भूमि स्वामी | 96/2 | 1.610 | 1.610 | 0.000 | 0.000 | |
| | | | 132 | 0.610 | 0.610 | 0.000 | 0.000 | |
| | | | 133 | 0.050 | 0.000 | 0.000 | 0.050 | |
| | | | 134/1 | 1.620 | 1.620 | 0.000 | 0.000 | |
| | | | 134/2 | 0.190 | 0.190 | 0.000 | 0.000 | |
| 48 | महराजसींग बल्द रामप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी | भूमि स्वामी | 97/1 | 1.190 | 1.190 | 0.000 | 0.000 | |
| | | | 102/1 | 0.780 | 0.780 | 0.000 | 0.000 | |
| | | | 131/3 | 0.800 | 0.800 | 0.000 | 0.000 | 2 छेवला |
| | | | 131/4 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | |
| | | | 145/2 | 0.400 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | नरसिंह बल्द महादेव पता नि.ग्राम भूमिस्वामी | भूमि स्वामी | 98 | 1.180 | 1.180 | 0.000 | 0.000 | 1 पक्का कुआ, 1 ट्यूववेल, 3 बेरी, 2 नीवू, 1 आम, 3 अमरूद, 1 छेवला, 10 सागौन |
| 50 | राधाबाई बेवा अमरसींग मल्लीबाई पुत्री अमरसींग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी | भूमि स्वामी | 99 | 0.050 | 0.050 | 0.000 | 0.000 | 2 बेल, |
| 51 | विष्णुप्रसाद बल्द खिलानसींग पता सा. देह भूमिस्वामी | भूमि स्वामी | 106 | 0.220 | 0.188 | 0.000 | 0.032 | |
| | | | 107/1 | 2.020 | 2.020 | 0.000 | 0.000 | 1 पक्का कुआ, 1 बेरी, 7 आम, 1 अमरूद, 2 बमूरा |
| | | | 107/2 | 3.080 | 3.080 | 0.000 | 0.000 | 7 छेवला |
| | | | 110/1 | 0.290 | 0.290 | 0.000 | 0.000 | 1 छेवला |
| | | | 110/2 | 0.290 | 0.290 | 0.000 | 0.000 | |
| 52 | नब्बोबाई बेवा प्यारेलाल पता सा.देह भूमिस्वामी | भूमि स्वामी | 114/2 | 0.810 | 0.810 | 0.000 | 0.000 | 1 पक्का कुआ 1 बेरी, 1 उमर |
| 53 | श्री महावीरस्वामी मौजा देह मु. खूबसींग प्रबंधक कलेक्टर महो. सागर पता सा. देह भूमिस्वामी | भूमि स्वामी | 118 | 2.520 | 2.520 | 0.000 | 0.000 | |
| 54 | भगवासींग बल्द हरीसींग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी | भूमि स्वामी | 120 | 0.060 | 0.060 | 0.000 | 0.000 | |
| | | | 121 | 0.090 | 0.090 | 0.000 | 0.000 | 3 कोहा, 1 छेवला |
| | | | 122/1 | 0.140 | 0.140 | 0.000 | 0.000 | 4 आम, 1 जामुन |
| | | | 125 | 0.600 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 1 बेरी, 3 कोहा, 1 छेवला |
| | | | 137/1 | 1.210 | 1.192 | 0.000 | 0.018 | 1 पक्का कुआ, 4 जामुन, 3 अमरूद, 3 आम, 2 बेरी, 2 बमूरा, 1 कोहा |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | महेश बल्द हरीसींग पता सा. देह भूमिस्वामी | भूमि स्वामी | 122/2 | 0.300 | 0.300 | 0.000 | 0.000 | 1 ट्यूववेल, 8 आम, 3 कोहा, 1 चिरोंल डूट, 1 सागौन |
| | | | 123/1 | 0.300 | 0.300 | 0.000 | 0.000 | 3 कोहा, 1 खैर |
| | | | 123/2 | 0.300 | 0.300 | 0.000 | 0.000 | |
| | | | 137/2 | 1.210 | 1.210 | 0.000 | 0.000 | 1 कोहा |
| 56 | राकेश बल्द प्रेमसींग पता सा. खैजरामाफी भूमिस्वामी | भूमि स्वामी | 126/1 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 1 बेरी, 2 कोहा |
| 57 | सूरजबाई पति प्रेमसींग पता सा. खैजरामाफी भूमिस्वामी | भूमि स्वामी | 126/2 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 1 पक्का कुआ, |
| 58 | प्रेमसींग बल्द तुलसीराम पता सा. खैजरामाफी भूमिस्वामी | भूमि स्वामी | 126/3 | 0.810 | 0.810 | 0.000 | 0.000 | 2 बेरी, 1 छेवला, 2 रेंजा |
| 59 | आमिर खान ना.बा. बल्द ब बली इस्माईल खान पता निवासी ककरूवा भूमिस्वामी | भूमि स्वामी | 128/1 | 0.430 | 0.430 | 0.000 | 0.000 | |
| | | | 128/2 | 0.300 | 0.300 | 0.000 | 0.000 | |
| 60 | छोटेखां पिता अमीर खां पता सा. ककरूवा भूमिस्वामी | भूमि स्वामी | 129 | 1.600 | 1.600 | 0.000 | 0.000 | 6 बेरी, 3 रेंजा, 2 छेवला |
| 61 | हरीसींग पिता पूरन पता नि. ग्राम भूमिस्वामी | भूमि स्वामी | 130 | 1.350 | 1.350 | 0.000 | 0.000 | 1 पक्का कुआ, 1 रेंजा, 2 छेवला, 1 पीपल+छेवला, 2 उमर |
| 62 | मथुराप्रसाद बल्द हल्के पता सा. खैजरामाफी भूमिस्वामी | भूमि स्वामी | 131/1 | 0.400 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 3 छेवला |
| 63 | लक्ष्मन वा रगवर नेतराम नरेश ना.बा. पिता शेवप्रसाद सुदामाबाई सुहागबाई प्रीतिबाई ना.बा. पुत्रियां शेवप्रसाद बली ब खुद मा उषाबाई बेवा शेवप्रसाद पता सा. खैजरामाफी भूमिस्वामी | भूमि स्वामी | 131/2 | 0.710 | 0.710 | 0.000 | 0.000 | |
| 64 | जीवन बल्द बाबूलाल पता सा. छीरखेड़ा भूमिस्वामी | भूमि स्वामी | 134/3 | 1.620 | 1.620 | 0.000 | 0.000 | 5 बेरी, 2 रेंजा, 1 सेमर |
| | | | 134/4 | 0.850 | 0.850 | 0.000 | 0.000 | 1 छेवला |
| 65 | महराजसींग बल्द सुंदरलाल पता सा. देह भूमिस्वामी | भूमि स्वामी | 138/1 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 1 ट्यूववेल |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | खूबसींग पिता शोभाराम पता सा. देह भूमिस्वामी | भूमि स्वामी | 139/3 | 0.820 | 0.820 | 0.000 | 0.000 | |
| | | | 151/1 | 0.810 | 0.810 | 0.000 | 0.000 | 2 आम |
| 67 | रमकेश बल्द शोभाराम पता सा.देह भूमिस्वामी | भूमि स्वामी | 140 | 0.100 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | |
| | | | 151/2 | 1.210 | 1.210 | 0.000 | 0.000 | 2 आम |
| 68 | पूनाबाई पुत्री भगोनी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी | भूमि स्वामी | 142/2 | 1.470 | 1.470 | 0.000 | 0.000 | 1 उमर, 2 कोहा |
| 69 | रामवती पिता भगोनी पता नि. ग्राम भूमिस्वामी | भूमि स्वामी | 142/3 | 1.470 | 1.470 | 0.000 | 0.000 | 1 पक्का कुआ |
| 70 | दुर्गा अनंदी पिस. छुट्टी पता सा. देह भूमिस्वमी | भूमि स्वामी | 143 | 1.200 | 1.200 | 0.000 | 0.000 | 1 ट्यूववेल, 3 आम, 1 जामुन, 2 इमली, 3 अमरूद, 3 बेरी, 3 उमर, 2 नीम, 1 रूसल्ला, 1 बमूरा, 1 छेवला, 2 बांस का घेरा |
| 71 | हरीचरण पुत्र खिलान जाति कुर्मी पता परासरी खुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 144/1 | 0.820 | 0.820 | 0.000 | 0.000 | 2 अमरूद, 2 नीवू, 1 नीम |
| | | | 101/2 | 0.800 | 0.800 | 0.000 | 0.000 | |
| 72 | रामशंकर वल्द हरिचरन पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी | भूमि स्वामी | 144/2 | 1.800 | 1.800 | 0.000 | 0.000 | 1 पक्का कुआ, 3 बेरी, 1 छेवला |
| 73 | दामोदर पिता अजुद्धी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी | भूमि स्वामी | 145/1/1 | 0.290 | 0.268 | 0.000 | 0.022 | 6 आम, 3 आंवला, 3 नीवू, 1 जामुन, 1 कटहल, 3 उमर |
| 74 | वीरसिंह पिता अजुद्धी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0. 1/2 भाग भूमिस्वामी दिनेश, नाबा पिता कम्मोद बली मां प्रेमरानी बेवा कम्मोद पता परासरीखुर्द राहतगढ सागर म0प्र0 1/10 भाग भूमिस्वामी गोलू नावा पिता कम्मोद बली मा प्रेमरानी बेवा कम्मोद पता परासरी खुर्द राहतगढ सागर म0प्र0 1/10 भाग भूमि स्वामी शारदा नाबा पुत्री कम्मोद वली मां प्रेमरानी बेवा कम्मोद पता परासरी खुर्द राहतगढ सागर म0प्र0 1/10 भाग भूमि स्वामी आरतीबाई नाबा पुत्री कम्मोद बली मां प्रेमरानी बेवा कम्मोद पता परासरीखुर्द राहतगढ सागर म0प्र0 1/10 भाग भूमिस्वामी देवाबाई नाबा पुत्री कम्मोद बली मां प्रेमरानी बेवा कम्मोद पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/10 भाग भूमिस्वामी | भूमि स्वामी | 145/1/2 | 0.510 | 0.510 | 0.000 | 0.000 | 2 आम, 1 जामुन, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | जमना बल्द भगोनी विधाबाई पति जमुना पता निवासी ग्राम शासकीय संस्था | भूमि स्वामी | 146/2 | 0.800 | 0.800 | 0.000 | 0.000 | 1 पक्का कुआ, 1 आम, |
| 76 | उधम बल्द बाबूलाल संतोषरानी पति उधम पता निवासी ग्राम शासकीय संस्था | भूमि स्वामी | 146/3 | 0.800 | 0.800 | 0.000 | 0.000 | 1 पक्का कुआ |
| 77 | आजादरानी पत्नी प्रकाशसींग पता सा.देह भूमिस्वामी | भूमि स्वामी | 147/1 | 0.1800 | 0.1800 | 0.000 | 0.000 | |
| | | | 147/3 | 1.140 | 1.140 | 0.000 | 0.000 | 1 बेरी, |
| 78 | रमेश कुमार पिता बाबूलाल पता सा.राहतगढ़ भूमिस्वामी | भूमि स्वामी | 147/2 | 2.020 | 2.020 | 0.000 | 0.000 | कच्चा कुआ 1 |
| 79 | युवराज ना.बा.बल्द बली प्रकाशसींग पता सा. भूमिस्वामी | भूमि स्वामी | 147/4 | 1.620 | 1.620 | 0.000 | 0.000 | कच्चा कुआ 1 |
| 80 | गोविंद बल्द गौरी पता सा. भबूकाबारी भूमिस्वामी | भूमि स्वामी | 150 | 0.550 | 0.550 | 0.000 | 0.000 | |
| 81 | नर्मदाप्रसाद पिता शोभाराम पता सा. देह भूमिस्वामी | भूमि स्वामी | 151/3 | 1.210 | 1.210 | 0.000 | 0.000 | 2 आम, 1 पीपल |
| 82 | हैदरअली वल्द हसनअली पता सा. ककरूवा भूमिस्वामी | भूमि स्वामी | 152/1 | 1.950 | 1.950 | 0.000 | 0.000 | |
| | | | 153 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | 0.030 | |
| | | | 156/1 | 0.110 | 0.110 | 0.000 | 0.000 | |
| 83 | सयैद अरशद अली पिता सैयद हसन अली पता परासरी खुर्द राहतगढ सागर म0प्र0 सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी | भूमि स्वामी | 152/2 | 1.980 | 1.980 | 0.000 | 0.000 | |
| | | भूमि स्वामी | 156/2 | 0.100 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | |
| | | | 184 | 152.300 | 150.965 | 0.000 | 1.335 | |

भूमि अर्जन के कारण प्रभावित कुटुम्बों एवं मकान इत्यादि का विवरण

| स. क्र. | भू-धारक का विवरण | मकान धारक का विवरण | खसरा नं. | अर्जित संपत्ति का विवरण | क्षेत्रफल वर्ग मी. में | धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | हल्कई बल्द परम पता सा.देह भूमिस्वामी | जितेंन्द्र पिता गोपाल अहिरवार | 25 | कच्चा कमरा | 48.93 | निरंक |
| | | | | बरामदा कच्चा | 34.72 | |
| | | | | गाय सार खपरैल | 8.19 | |
| | | | | ऑगन कच्चा | 29.44 | |
| | | | | WC PMGSY | 1.32 | |
| 2 | (शासकीय) हरिबाई पति राजू चढ़ार | हरिबाई पति राजू चढ़ार | 72 | कच्चा कमरा | 16.50 | निरंक |
| | | | | गाय सार | 12.18 | |
| | | | | बरामदा पन्नी | 16.10 | |
| | | | | ऑगन कच्चा | 17.50 | |
| 3 | युवराज नरेन्द्र नावा बल्द बली पि. प्रकाश पता सा. देह भूमिस्वामी | नरेन्द्र बल्द प्रकाश | 69/1 | गाय सार | 65.61 | निरंक |
| | | | | पर्छी खुली पन्नी | 14.85 | |
| | | | | पक्का शौचालय W.C. | 1.50 | |
| 4 | महादेव बल्द सूरतसींग पता सा. देह भूमिस्वामी | महादेव / सूरतसींग | 69/3 | कच्चा मकान | 147.13 | निरंक |
| | | | | ऑगन कच्चा | 10.92 | 1. नरसिंह पिता महादेव |
| | | | | | 7.68 | 2. प्रशांत पिता महादेव |
| | | | | W.C. | 0.38 | |
| 5 | महादेव बल्द सूरतसींग पता सा. देह भूमिस्वामी | | 70/2 | गायशाला | 44.66 | |
| 6 | महादेव बल्द सूरतसींग पता सा. देह भूमिस्वामी | पृथ्वीसींग / सूरतसींग | 69/3 | कच्चा मकान | 147.13 | निरंक |
| | | | | ऑगन कच्चा | 10.92 | 1. भगवानसींग पिता पृथ्वीरांज |
| | | | | | 7.68 | 2. रामजी कुर्मी पिता पृथ्वीसींग |
| | | | | W.C. | 0.38 | |

| स. क्र. | भू-धारक का विवरण | मकान धारक का विवरण | खसरा नं. | अर्जित संपत्ति का विवरण | क्षेत्रफल वर्ग मी. में | धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | महादेव बल्द सूरतसींग पता सा. देह भूमिस्वामी | प्रकाश / सूरतसींग | 69/3 | कच्चा मकान | 147.13 | निरंक |
| | | | | ऑगन कच्चा | 10.92 | 1.. युवराज पिता प्रकाश |
| | | | | | 7.68 | |
| | | | | W.C. | 0.38 | |
| 8 | पृथ्वीसिंह बल्द सूरतसिंह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी | पृथ्वीसींग / सूरतसींग | 69/2 | कच्चा मकान | 57.96 | निरंक |
| | | | | टीन सेट | 25.80 | |
| | | | | W.C. | 7.52 | |
| 9 | पवन पिता हरिराम पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी | पवन बल्द हरीराम | 90 | कच्चा मकान वरामदा | 75.71 | निरंक |
| | | | | ऑगन कच्चा | 23.94 | सुखदेव पिता पवन सींग |
| | | | | | 23.69 | |
| | | | | नहानी W.C. | 6.58 | |
| | | | | पक्का शौचालय W.C. PMGSY | 1.82 | |
| 10 | पवन पिता हरिराम पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी | अखिलेश बल्द मनमोहन सिंह | 90 | कच्चा कमान | 18.42 | निरंक |
| | | | | | 25.45 | |
| | | | | बरामदा | 15.21 | |
| | | | | गाय सार | 18.77 | |
| | | | | | 16.95 | |
| | | | | ऑगन कच्चा | 23.56 | |
| 11 | दलीप पिता प्यारेलाल पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी | दलीप बल्द प्यारेलाल | 91/2 | पक्का मकान | 26.57 | निरंक |
| | | | | ऑगन कच्चा | 2.88 | 1.. कैलाश लोधी पिता दलीप |
| | | | | | | 1.. रीना लोधी पिता दलीप |

| स. क्र. | भू–धारक का विवरण | मकान धारक का विवरण | खसरा नं. | अर्जित संपत्ति का विवरण | क्षेत्रफल वर्ग मी. में | धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12 | दलीप पिता प्यारेलाल पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी | राकेश पिता दलीप | 91/2 | कच्चा मकान | 47.03 | निरंक |
| | | | | | 15.84 | |
| | | | | बरामदा | 26.98 | |
| | | | | ऑगन कच्चा | 13.91 | |
| | | | | नहानी | 4.46 | |
| | | | | W.C. | 1.35 | |
| 13 | मानसींग पिता प्यारेलाल पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी | मानसींग बल्द प्यारेलाल | 91/3 | कच्चा मकान | 32.78 | निरंक |
| | | | | बरामदा | 18.29 | 1. चन्द्रेश पिता मानसींग |
| | | | | पन्नी वरामदा | 15.75 | |
| | | | | | 20.54 | |
| | | | | ऑगन कच्चा | 7.98 | |
| 14 | रघुराज प्यारेलाल पता सा. देह भूमिस्वामी | रघुराज बल्द प्यारेलाल | 91/1 | कच्चा मकान | 9.86 | निरंक |
| | | | | | 34.77 | |
| | | | | बरामदा | 20.58 | |
| | | | | | 33.78 | |
| | | | | ऑगन कच्चा | 7.44 | |
| | | | | W.C. | 1.50 | |
| 15 | धीरजसींग बल्द बालचंद पता सा. गवरी देह भूमिस्वामी | गोविंद बल्द गौरी | 89 | पक्का मकान | 35.96 | निरंक |

| स. क्र. | भू–धारक का विवरण | मकान धारक का विवरण | खसरा नं. | अर्जित संपत्ति का विवरण | क्षेत्रफल वर्ग मी. में | धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 | धीरजसींग बल्द बालचंद पता सा. गवरी देह भूमिस्वामी | नरेश पिता गोविंद | 89 | कच्चा मकान खपरैल | 8.29 | निरंक |
| | | | | | 1.87 | |
| | | | | | 7.56 | |
| | | | | | 5.95 | |
| | | | | बरामदा खपरैल | 6.09 | |
| | | | | बरामदा खपरैल | 5.31 | |
| | | | | गाय सार खपरैल | 9.78 | |
| | | | | नहानी कच्ची | 1.38 | |
| | | | | शौचालय पक्की | 0.57 | |
| 17 | धीरजसींग बल्द बालचंद पता सा. गवरी देह भूमिस्वामी | कल्याण पिता गोविंद | 89 | कच्चा मकान खपरैल | 8.29 | निरंक |
| | | | | | 1.87 | |
| | | | | | 7.56 | |
| | | | | | 5.95 | |
| | | | | बरामदा खपरैल | 6.09 | |
| | | | | बरामदा खपरैल | 5.31 | |
| | | | | गाय सार खपरैल | 9.78 | |
| | | | | नहानी कच्ची | 1.38 | |
| | | | | शौचालय पक्की | 0.57 | |
| 18 | धीरजसींग बल्द बालचंद पता सा. गवरी देह भूमिस्वामी | लक्ष्मीनारायण पिता गोविंद | 89 | कच्चा मकान खपरैल | 8.29 | निरंक |
| | | | | | 1.87 | |
| | | | | | 7.56 | |
| | | | | | 5.95 | |
| | | | | बरामदा खपरैल | 6.09 | |
| | | | | बरामदा खपरैल | 5.31 | |
| | | | | गाय सार खपरैल | 9.78 | |
| | | | | नहानी कच्ची | 1.38 | |
| | | | | शौचालय पक्की | 0.57 | |

| स. क्र. | भू-धारक का विवरण | मकान धारक का विवरण | खसरा नं. | अर्जित संपत्ति का विवरण | क्षेत्रफल वर्ग मी. में | धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | धीरजसींग बल्द बालचंद पता सा. गवरी देह भूमिस्वामी | छोटेलाल पिता गोविंद | 89 | कच्चा मकान खपरैल | 8.29 | निरंक |
| | | | | | 1.87 | |
| | | | | | 7.56 | |
| | | | | | 5.95 | |
| | | | | बरामदा खपरैल | 6.09 | |
| | | | | बरामदा खपरैल | 5.31 | |
| | | | | गाय सार खपरैल | 9.78 | |
| | | | | नहानी कच्ची | 1.38 | |
| | | | | शौचालय पक्की | 0.57 | |
| 20 | धीरजसींग बल्द बालचंद पता सा. गवरी देह भूमिस्वामी | गोपाल बल्द तुलाराम लोधी | 89 | कच्चा मकान | 61.43 | निरंक |
| | | | | | 5.70 | |
| | | | | ऑगन कच्चा | 13.38 | |
| 21 | कुवेरसिंह पिता बद्रीप्रसाद जाति कुर्मी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/4 भूमि स्वामी भारतसींग पिता बद्रीप्रसाद जाति कुर्मी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/4 भाग भूमि स्वामी रचना पुत्री बद्रीप्रसाद जाति कुर्मी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र01/4 भाग भूमि स्वामी शिवरानी उर्फ चंदाबाई बेवा बद्रीप्रसाद जाति कुर्मी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/4 भाग भूमि स्वामी | बाबूलाल बल्द हरनाम लोधी | 101/1 | कच्चा मकान | 61.71 | निरंक |
| | | | | W C | 2.89 | |
| 22 | कुवेरसिंह पिता बद्रीप्रसाद जाति कुर्मी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/4 भूमि स्वामी भारतसींग पिता बद्रीप्रसाद जाति कुर्मी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/4 भाग भूमि स्वामी रचना पुत्री बद्रीप्रसाद जाति कुर्मी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र01/4 भाग भूमि स्वामी शिवरानी उर्फ चंदाबाई बेवा बद्रीप्रसाद जाति कुर्मी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/4 भाग भूमि स्वामी | हरनाम बल्द बैजनाथ लोधी | 101/1 | कच्चा मकान | 78.60 | निरंक |
| | | | | ऑगन कच्चा | 53.94 | |

| स. क्र. | भू–धारक का विवरण | मकान धारक का विवरण | खसरा नं. | अर्जित संपत्ति का विवरण | क्षेत्रफल वर्ग मी. में | धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 23 | कुवेरसिंह पिता बद्रीप्रसाद जाति कुर्मी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/4 भूमि स्वामी भारतसींग पिता बद्रीप्रसाद जातिं कुर्मी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/4 भाग भूमि स्वामी रचना पुत्री बद्रीप्रसाद जाति कुर्मी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र01/4 भाग भूमि स्वामी शिवरानी उर्फ चंदाबाई बेवा बद्रीप्रसाद जाति कुर्मी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/4 भाग भूमि स्वामी | भागचंद बल्द प्राणचंद कुर्मी | 101/1 | पक्का मकान | 24.29 | निरंक |
| | | | | कच्चा मकान | 12.60 | |
| | | | | | 10.50 | |
| | | | | ऑगन कच्चा | 14.28 | |
| 24 | भगवासींग बल्द हरीसींग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी | हरीसींग बल्द पूरनसींग कुशवाह | 137/1 | कच्चा मकान | 88.58 | निरंक |
| | | | | पन्नी सेट | 10.20 | |
| | | | | | 17.10 | |
| 25 | छोटेलाल शिवराज ना.बा. पिता सिरदार बली मा खुद फूलरानी पति शिवराज पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी | उधमसींग बल्द बाबूलाल | 86 | कच्चा मकान | 66.63 | निरंक |
| | | | | W C | 1.38 | 1. राजेन्द्र पिता उधमसींग |
| | | | | ऑगन कच्चा | 24.96 | 2. जितेन्द्र पिता उधमसींग |
| | | | | पन्नी टपरा | 14.19 | |
| 26 | कमलेश भगवानदास पिता बब्बू प्रेमरानी बेवा बब्बू पता सा.देह भूमिस्वामी | कमलेश ,भगवानदास ,संतोष | 81 | कच्चा मकान | 86.45 | निरंक |
| | | | | | 15.53 | प्रियंका विश्वकर्मा |
| | | | | बरामदा टीन | 17.82 | |
| | | | | W C | 3.63 | |

| स. क्र. | भू-धारक का विवरण | मकान धारक का विवरण | खसरा नं. | अर्जित संपत्ति का विवरण | क्षेत्रफल वर्ग मी. में | धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27 | शोभाराम बल्द अमरसींग पता सा. देह भूमिस्वामी | शोभाराम बल्द अमरसींग | 76 | गाय सार | 14.00 | निरंक |
| | | | | बरामदा सार A C सीट | 39.60 | |
| | | | | बरामदा A C सीट | 20.72 | |
| | | | | कच्चा मकान | 44.06 | |
| | | | | कच्चा मकान | 34.04 | |
| | | | | सार पन्नी | 26.65 | |
| | | | | W.C. A C Sheet | 1.38 | |
| | | | 141 | पन्नी छत | 18.13 | |
| | | | | टपरा | 8.14 | |
| 28 | धीरजसींग बल्द बालचंद पता सा. गवरी देह भूमिस्वामी | छोटेलाल ,शिवराज बल्द सिरदार सींग | 89 | कच्चा मकान | 24.57 | निरंक |
| | | | | परछी पन्नी | 18.27 | 1. विवेक |
| | | | | | 6.32 | |
| 29 | भगवासींग बल्द हरीसींग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी | सुमित पिता भगवानसींग कुशवाहा | 137/1 | पक्का मकान ईट सीमेंट की जुड़ाई टीन सेट | 33.21 | निरंक |
| | | | | पक्की दहलान टीन सेट, लोहा पाइप पाया | 29.97 | |
| 30 | दामोदर पिता अजुद्दी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी | गुडडा बल्द दामोदर | 145/1 | कच्चा मकान खपरैल | 12.96 | निरंक |
| | | | | | 15.12 | |
| | | | | कच्चा मकान टीन की छत | 16.81 | |
| | | | | खपरैल रूम | 20.50 | |
| | | | | पर्छी पन्नी | 19.60 | |
| | | | | W.C. A C Sheet | 1.27 | |
| | | | | ऑगन कच्चा | 19.35 | |
| 31 | दामोदर पिता अजुद्दी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी | अजमेर पिता दामोदर | 145/1 | कच्चा मकान खपरैल | 22.41 | निरंक |
| | | | | WC PMGSY | 1.27 | |

| स. क्र. | भू–धारक का विवरण | मकान धारक का विवरण | खसरा नं. | आजत सपात्त का विवरण | क्षत्रफल वर्ग मी. में | धारा 3(ङ) के तहत प्रभावित कुटुंब |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | दामोदर पिता अजुद्दी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी | छोटेलाल पिता दामोदर | 145/1 | कच्चा मकान खपरैल | 12.20 | निरंक |
| | | | | | 8.33 | |
| | | | | w.c. | 1.27 | |
| 33 | दामोदर पिता अजुद्दी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी | गब्बर पिता दामोदर | 145/1 | कच्चा मकान खपरैल | 29.15 | निरंक |
| | | | | | 11.25 | |
| | | | | W.C.A.C Sheet | 1.27 | |
| 34 | दामोदर पिता अजुद्दी पता परासरीखुर्द राहतगढ़ सागर म0प्र0 सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी | दामोदर बल्द अजुद्दी | 145/1 | गाय सार खपरैल | 25.13 | निरंक |
| 35 | विष्णुप्रसाद बल्द खिलानसींग पता सा. देह भूमिस्वामी | मंदिर हनुमान जी | 106 | पक्का मंदिर | 198.81 | निरंक |
| | | | | | 11.32 | |
| | | | | प्रथम तल गुम्मद | 9.61 | |
| 36 | विष्णुप्रसाद बल्द खिलानसींग पता सा. देह भूमिस्वामी | शाकीय प्राथमिक शाला | 106 | पक्का स्कूल | 50.96 | |
| | | | | | 13.00 | |
| | | | | W.C. पक्का | 10.66 | |
| | | | | Platform | 22.14 | |
| | योग– | | 34 | | 3255.76 | |

प्रभावित भूमि स्थावर परिसंपत्तियों के अर्जन के कारण विस्थापित परिवारों का **मौजा दाऊदपुर पटवारी हल्का नं. 0031 तहसील राहतगढ जिला सागर** में स्थित शासकीय भूमि खसरा नं. 4, 6/1, 9, 11 एवं 59 रकवा क्रमशः 5.57, 21.57, 4.12,7.27 एवं 6.38 हेक्टेयर कुल रकवा 44.91 हेक्टेयर पर शासकीय आवासीय पट्टा दिया जावेगा तथा म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र. 22(ए)/117/18/एम.पी.एस./31/1761/ भोपाल दिनांक 04.10. 2018 द्वारा बीना सिंचाई परियोजना के डूब से प्रभावितों हेतु स्वीकृत विशेष पैकेज निम्नानुसार है:–

(अ) डूब क्षेत्र की निजी भूमि हेतु:—

(i) क्रय/अर्जित की जाने वाली भूमि के लिए प्रति हेक्टेयर रूपये 10 (दस) लाख की दर से एक मुश्त राशि।

तथा

क्रय की जाने वाली भूमि मे पक्का कुआं होने की दशा में रूपयें 2 (दो) लाख प्रति कुआं।

तथा

क्रय की जाने वाली भूमि मे चालू ट्यूबवेल होने की दशा में रूपयें 1 (एक) लाख प्रति ट्यूबवेल।

तथा

अर्जित की जाने वाली भूमि मे फलदार वृक्षों का बगीचा होने की दशा में उपरोक्त के

(ii) भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण का मुआवजा आदेश जारी किए जाने की दशा में मुआवजा राशि उपरोक्तानुसार वर्णित राशि से कम हो तो अंतर की राशि कृषक से सभी प्रकार के स्वत्वों एवं बाद के अंतिम निराकरण की पूर्ण सहमति प्राप्त करने के उपरांत विशेष अनुदान के रूप में दी जावे।

(iii) सहमति से भूमि राज्य शासन को विक्रय करने के प्रकरणों मे भूमि का विक्रय पंजीयन कलेक्टर गाईड लाईन दर से किया जावे और शेष राशि अनुदान मानी जावे।

(ब) परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाले परिवारो के पुनर्वास की प्रक्रिया सहज बनाने और विस्थापितो की सहमति से उनके पुनर्वास के उद्देश्य से विस्थापित होने वाले परिवारों को निम्नानुसार एक मुश्त पुनर्वास (अनुदान) पैकेज दिया जाए।

(i) अर्जित किये जाने वाले मकान का कलेक्टर द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य की राशि का 50 प्रतिशत अतिरिक्त पुनर्वास अनुदान तथा ग्रामीण क्षेत्र मे भू—खण्ड दिये जाने की दशा में रू. 2.00 (दो) लाख एक मुश्त अनुदान।

अथवा

यदि पात्र परिवार भू—खण्ड नही लेना चाहता है तो रू. 5.00 (पांच) लाख एकमुश्त पुनर्वास अनुदान।

(ii) उपरोक्तानुसार एकमुश्त पुनर्वास अनुदान में परिवहन अनुदान एवं पुनर्वास आदि सभी के लिए देय राशि सम्मिलित मानी जावेगी और इनके लिए पृथक से कोई राशि देय नही होगी

(iii) परिवार से आशय है :— (i) शादी शुदा व्यस्क का परिवार (ii) परित्यक्ता का परिवार अथवा (iii) विधवा का परिवार

(स) उपरोक्तानुसार विशेष पुनर्वास पैकेज का लाभ लेने के लिए इच्छुक विस्थापित परिवारो की लिखित सहमति प्राप्त की जाए। लिखित सहमति प्राप्त होने की दशा मे ही इस विशेष पुनर्वास पैकेज का लाभ देय होगा, अन्यथा नहीं।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्व व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/ स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितो के लिए प्रतिकारों और पुर्नवास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी राहतगढ जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 24/1/2022 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परसम्पतियों मे अपने अपने हितो की प्रकृति तथा ऐसे हितो के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापो के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दाबे प्रस्तुत कर सकते है

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी राहतगढ जिला सागर तथा परियोजना प्रशासक बेतवा परियोजना क्रियान्वयन इकाई, (बी.पी.आई.यू.–2) क्रमांक 2 राहतगढ, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**दीपक आर्य,** कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

क्र —52अ—82—20—21—भू—अर्जन—21—11903 सागर दिनांक 3 दिसम्बर 2021

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिर्पोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:—

(1) परियोजना का नाम :— हनौता सिंचाई परियोजना

(2) भूमि का विवरण :—

1. जिला — सागर
2. तहसील — राहतगढ़
3. ग्राम — विनायकी
4. पटवारी हल्का नं. — 3
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल — 0.490 हेक्टे.

:: अनुसूची —01::

| स.क्र. | भू—धारक का नाम एवं पिता/पति का नाम | स्वामित्व का प्रकार | खसरा नं. | कुल रकवा (हेक्टे. में) | अर्जित भूमि का विवरण | | | अर्जित भूमि पर स्थित सीवर परिसंपत्तियों का विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | सिंचित | असिंचित | पड़ती | |
| 1 | इन्द्रपाल सिह पिता दलीपसिह पता सा. विनायकी भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 2/3 | 1.080 | 0.110 | 0.000 | 0.000 | — |
| 2 | बहादुर गनेश इन्दरसिह वल्द गोरेलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 2/5 | 0.700 | 0.000 | 0.080 | 0.000 | कैम—1<br>कोहा—5 |
| 3 | गेदाराम वल्द रतन ऊषाबाई पत्नि गेदाराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 2/6 | 0.500 | 0.000 | 0.090 | 0.000 | बेर—2<br>जामुन—1<br>कोहा—5<br>शूलबबूल—5<br>रूसल्ला—6 |
| 4 | समशुलकमर पिता लालमिया पता सा. राहतगढ भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 2/7 | 1.200 | 0.060 | 0.000 | 0.000 | ऊमर—1<br>चिरौल—1<br>गुरास—1<br>छेवला—2 |
| 5 | रामकिशन पिता जगन्नाथ पता विनायकी राहतगढ़ सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 15/1 | 0.810 | 0.000 | 0.006 | 0.000 | — |
| 6 | बारेलाल पि.मनमोहन पता सा.देह भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 77/1 | 0.120 | 0.016 | 0.000 | 0.000 | — |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | भगवानसीग पिता हरप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 77/2 | 0.120 | 0.000 | 0.008 | 0.000 | – |
| 8 | राजकुमार पि.रामेश्वरप्रसद पता सा.देह भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 78 | 0.620 | 0.000 | 0.060 | 0.000 | – |
| 9 | बिहारीलाल पि.शंकरलाल पता सा.देह भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 81/1 | 0.080 | 0.000 | 0.020 | 0.000 | – |
| 10 | अर्जुन उर्फ मथराप्रसाद ना.बा.वल्द व वली अमरतसींग कुर्मी पता सा.देह भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 89 | 2.580 | 0.040 | 0.000 | 0.000 | – |
| | योग | | 10 | 7.810 | 0.226 | 0.264 | 0.000 | |

2– परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बो के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

(1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।

(2) कंडिका–1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।

(3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।

(4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।

(5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना ; या

(ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रूपये का एक बारगी संदाय ; या

(ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रूपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा।

(6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

(7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

(8) किसी कारीगर छोटे व्यापरी या स्वनियोजित व्यक्ति या एसे प्रभावित कुटुब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर–कृषिक भूमि या वाणिज्यिक आद्यागिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन क कारण प्रभावित क्षेत्र स अनिच्छा से विस्थापित किय ागया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रूपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिदिष्टि करें।

(9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।

(10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।

(11) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।

(12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।

(13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।

(14) अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुवधिाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई

(14.1) सभी पुनव्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

(14.2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।

(14.3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।

(14.4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।

(14.5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह

(14.6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या

(14.7) यथेचित पंचायत घर

(14.8) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए।

(14.9) जाति–समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह

(14.10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु

(14.11) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर–परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)

(14.12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी

(14.13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय

(14.14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र

(14.15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

(14.16) बच्चो के लिए क्रीड़ा क्षेत्र

(14.17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र

(14.18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा

(14.19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो

(14.20) मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।

(15) प्रभावित कुटुबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील खुरई के ग्राम जगदीशपुरा में शासकीय भूमि खसरा नंबर– 22 का कुल रकवा 12.890 हे. में से हस्तांतरित रकवा 3.09 हे.और खसरा नम्बर 57 का कुल रकवा 15.460 हे. में से हस्तांतरित रकवा 13.71 हे. एवं खसरा नम्बर 100/1 का कुल रकवा 11.410 में से हस्तांतरित रकवा 7.56 हे. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक–0102अ/19(3) वर्ष 2019–20 में पारित आदेश दिनांक 03/03/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है। हनौता सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 50X20 वर्गफुट का आवासीय भू–खण्ड मौजा जगदीशपुरा की भूमि आवंटित होने पर प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी।

(16) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा।

(17) अधिनियम की धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया जावेगा।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्व व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुर्नवास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 13/01/22 को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने–अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ जिला सागर एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र —49 अ—82—20—21—भू—अर्जन—11905

भूम अजन पुनवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिर्पोट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:—

(1) परियोजना का नाम :— हनौता सिंचाई परियोजना

(2) भूमि का विवरण :—

1. जिला — सागर
2. तहसील — राहतगढ़
3. ग्राम — साईखेड़ा
4. पटवारी हल्का नं. — 2
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल — 0.050 हेक्टे.

:: अनुसूची —01::

| स.क्र. | भू—धारक का नाम एवं पिता/पति का नाम | स्वामित्व का प्रकार | खसरा नं. | कुल रकवा (हेक्टे. में) | अर्जित भूमि का विवरण | | | अर्जित भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | सिंचित | असिंचित | पड़ती | |
| 1 | सबरू पुत्र गोरेलाल पता साईखेड़ा राहतगढ सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भग भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 152/2/1 | 0.240 | 0.000 | 0.050 | 0.000 | सतकठा मिश्रित—13 खजूर—1 |
| | योग | | 1 | 0.240 | 0.000 | 0.050 | 0.000 | |

2— परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बो के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:—

(1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।

(2) कंडिका—1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।

(3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।

(4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।

(5). (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना ; या

(ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रूपये का एक बारगी संदाय ; या

(ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रूपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा।

(6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

(7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

(8) किसी कारीगर छोटे व्यापरी या स्वनियोजित व्यक्ति या एसे प्रभावित कुटुब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर–कृषिक भूमि या वाणिज्यिक आद्यागिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन क कारण प्रभावित क्षेत्र स अनिच्छा से विस्थापित किय ागया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रूपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिदिष्टि करें।

(9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।

(10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।

(11) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।

(12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।

(13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।

(14) अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुवधिाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई

(14.1) सभी पुनव्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की संड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

(14.2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।

(14.3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।

(14.4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।

(14.5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह

(14.6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या

(14.7) यथेचित पंचायत घर

(14.8) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए।

(14.9) जाति–समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह

(14.10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु

(14.11) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर–परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)

(14.12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी

(14.13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय

(14.14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र

(14.15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

(14.16) बच्चो के लिए क्रीड़ा क्षेत्र

(14.17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र

(14.18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा

(14.19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो

(14.20) मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।

(15) प्रभावित कुटुबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील खुरई के ग्राम जगदीशपुरा में शासकीय भूमि खसरा नंबर– 22 का कुल रकवा 12.890 हे. में से हस्तांतरित रकवा 3.09 हे.और खसरा नम्बर 57 का कुल रकवा 15.460 हे. में से हस्तांतरित रकवा 13.71 हे. एवं खसरा नम्बर 100/1 का कुल रकवा 11.410 में से हस्तांतरित रकवा 7.56 हे. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक–0102अ/19(3) वर्ष 2019–20 में पारित आदेश दिनांक 03/03/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है। हनौता सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक **50X20** वर्गफुट का आवासीय भू–खण्ड मौजा जगदीशपुरा की भूमि आवंटित होने पर प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी।

(16) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा।

(17) अधिनियम की धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया जावेगा।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुर्नवास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 13/01/22 को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने–अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ जिला सागर एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र —47अ—82—21—22—भू—अर्जन—11910

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिर्पोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:—

(1) परियोजना का नाम :— हनौता सिंचाई परियोजना

(2) भूमि का विवरण :—

1. जिला — सागर
2. तहसील — राहतगढ़
3. ग्राम — झिला
4. पटवारी हल्का नं. — 4
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल — 0.105 हेक्टे.

:: अनुसूची —01::

| स.क्र. | भू—धारक का नाम एवं पिता/पति का नाम | स्वामित्व का प्रकार | खसरा नं. | कुल रकबा (हेक्टे. में) | अर्जित भूमि का विवरण | | | अर्जित भूमि पर स्थित सीवर परिसंपत्तियों का विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | सिंचित | असिंचित | पड़ती | |
| 1 | सियाबाई पत्नी हल्कई. पता झिला राहतगढ़ सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 76/1 | 0.560 | 0.000 | 0.000 | 0.035 | कोहा—3 छेवला—5 ऊमर—2 रूसल्ला—5 |
| 2 | राघवेन्द्रसींग पि.देवेन्द्र सींग पता सा.देह भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 78 | 1.220 | 0.000 | 0.000 | 0.070 | कोहा—2 छेवला—1 |
| | योग | | 2 | 1.780 | 0.000 | 0.000 | 0.105 | |

2— परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बो के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:—

(1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।

(2) कंडिका—1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।

(3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।

(4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।

(4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।

(5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना ; या

(ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रूपये का एक बारगी संदाय ; या

(ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रूपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा।

(6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

(7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

(8) किसी कारीगर छोटे व्यापरी या स्वनियोजित व्यक्ति या एसे प्रभावित कुटुब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर–कृषिक भूमि या वाणिज्यिक आद्यागिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन क कारण प्रभावित क्षेत्र स अनिच्छा से विस्थापित किय गया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रूपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिदिष्टि करें।

(9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।

(10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।

(11) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।

(12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।

(13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।

(14) अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुवधिाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।

(14.1) सभी पुनव्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सूखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

(14.2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।

(14.3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।

(14.4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।

(14.5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह

(14.6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या

(14.7) यथेचित पंचायत घर

(14.8) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए।

(14.9) जाति–समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह

(14.10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु

(14.11) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर–परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)

(14.12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी

(14.13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय

(14.14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र

(14.15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

(14.16) बच्चो के लिए क्रीड़ा क्षेत्र

(14.17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र

(14.18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत. प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा

(14.19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो

(14.20) मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।

(15) प्रभावित कुटुबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील खुरई के ग्राम जगदीशपुरा में शासकीय भूमि खसरा नंबर– 22 का कुल रकवा 12.890 हे. में से हस्तांतरित रकवा 3.09 हे.और खसरा नम्बर 57 का कुल रकवा 15.460 हे. में से हस्तांतरित रकवा 13.71 हे. एवं खसरा नम्बर 100/1 का कुल रकवा 11.410 में से हस्तांतरित रकवा 7.56 हे. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक–0102अ/19(3) वर्ष 2019–20 में पारित आदेश दिनांक 03/03/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है। हनौता सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 50X20 वर्गफुट का आवासीय भू–खण्ड मौजा जगदीशपुरा की भूमि आवंटित होने पर प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी।

(16) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा।

(17) अधिनियम की धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया जावेगा।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुर्नवास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 21/1/2022 को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने–अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ जिला सागर एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र —51 अ—82—21—21—11909

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिर्पोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:—

(1) परियोजना का नाम :— हनौता सिंचाई परियोजना

(2) भूमि का विवरण :—

1. जिला — सागर
2. तहसील — राहतगढ़
3. ग्राम — मढ़ियावदा (मढ़िया)
4. पटवारी हल्का नं. — 3
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल — 3.504 हेक्टे.

:: अनुसूची —01::

| स.क्र. | भू—धारक का नाम एवं पिता/पति का नाम | स्वामित्व का प्रकार | खसरा नं. | कुल रकवा (हेक्टे. में) | अर्जित भूमि का विवरण | | | अर्जित भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | सिंचित | असिंचित | पड़ती | |
| 1 | गब्बू पिता दिमान इमरतबाई पुत्री गब्बू आदिवासी सौर पता सा.विनायकी भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 2/2 | 0.900 | 0.410 | 0.000 | 0.000 | कोहा—1 चंदनइमली—2 कोहा—5 |
| 2 | लक्खू पिता दिम्मान जानकी बाई पति लक्खू पता सा.विनायकी भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 2/3 | 0.500 | 0.000 | 0.230 | 0.000 | खजूर—1 शूलबबूल—5 |
| 3 | बुद्धा पिता गोरेलाल गुड्डीबाई पति बुद्धा पता सा.विनायकी भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 2/4 | 0.500 | 0.130 | 0.000 | 0.000 | आम—4 कोहा—1 कसई—1 |
| 4 | मंगल पिता गोरेलाल कुंवरबाई पिता मंगल पता सा.विनायकी भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 2/5 | 0.500 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | नींबू—2 अमरूद—3 छेवला—5 |
| 5 | हल्कई पिता महताप सुमतरानी पति हल्कई पता सा.विनायकी भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 2/8 | 0.500 | 0.350 | 0.000 | 0.000 | बेर—2 गुरार—1 खजूर—1 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | रामसींग पिता महताप चन्द्रानी पति रामसींग पता सा.विनायकी भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 2/9 | 0.500 | 0.270 | 0.000 | 0.000 | आम–2<br>आँवला–1<br>नींबू–5<br>आम–3<br>अमरूद–1<br>महुआ–1<br>वेल–1<br>रेंजा–2<br>छेवला–6<br>तेंदू–1<br>बबूल–1<br>शूलबबूल–1<br>मकान कच्चा–1<br>क्षेत्र. 55.35 वर्गमी. |
| 7 | बिहारी पिता खरगे आदिवासी पता सा. विनायकी भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 4 | 1.660 | 0.310 | 0.000 | 0.000 | करघई–2 |
| 8 | नन्हेराम वल्द शेरा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 6 | 2.130 | 0.320 | 0.000 | 0.000 | – |
| 9 | कशिया पिता खरगे पता सा.वोदरी तह. खुरई भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 10 | 1.860 | 0.000 | 0.160 | 0.000 | बेर–1<br>गुरार–1<br>बबूल–2<br>खैर–1<br>सैमर–1<br>कोहा–1 |
| 10 | दिनेश वल्द गुमान ललिताबाई पति दिनेश पता सा.विनायकी भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 12/1 | 0.650 | 0.080 | 0.000 | 0.000 | – |
| 11 | महताप पिता धन्से पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 23/1 | 1.240 | 0.000 | 0.020 | 0.000 | – |
| 12 | मुहरसीग नाबा वल्द वली नारायण सिह पता सा.विनायकी भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 25/2 | 0.400 | 0.000 | 0.030 | 0.000 | – |
| 13 | बल्लू वल्ल रामप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 25/3 | 0.400 | 0.000 | 0.010 | 0.000 | – |
| 14 | साविर मिया पिता शेख चुन्ना पता निवासी ग्राम राहतगढ भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 37 | 0.370 | 0.260 | 0.000 | 0.000 | रेंजा–1<br>बबूल–1 |
| 15 | कमल पिता फूलसींग पता निवासी ग्राम विनायकी भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 38/1 | 0.110 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | – |
| 16 | शुभम पिता बलराम जाति कुर्मी पता विनायकी राहतगढ़ सागर मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी ममता बेवा बलराम जाति कुर्मी पता विनायकी राहतगढ़ सागर मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 38/2 | 0.110 | 0.000 | 0.010 | 0.000 | – |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | रामप्रसाद पिता रतन पता राहतगढ़ सागर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी | भूमि स्वामी | 40/1/1 | 0.480 | 0.045 | 0.000 | | बेल–1<br>नींबू–1<br>जामुन–1<br>ऊमर–1<br>कोहा–1 |
| 18 | गेंदाराम पिता रतन पता राहतगढ़ सागर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी | भूमि स्वामी | 40/1/2 | 0.440 | 0.010 | 0.000 | | – |
| 19 | नेतराम पिता रतन पता राहतगढ़ सागर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी | भूमि स्वामी | 40/1/3 | 0.480 | 0.035 | 0.000 | | – |
| 20 | पूना बाई वेवा रामसींग पता राहतगढ़ सागर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी | भूमि स्वामी | 40/1/4 | 0.440 | 0.050 | 0.000 | | – |
| 21 | पुनु पिता रतन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 40/2 | 0.400 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | – |
| 22 | हजारी रामरतन हरकिशन पिता मोतीलाल पता सा.विनायकी भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 42 | 1.680 | 0.330 | 0.000 | 0.000 | बेर–2<br>आम–1<br>बबूल–1<br>खजूर–1 |
| 23 | दिमान पिता रामकिशन आदिवासी (सौर) पता सा.विनायकी भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 45 | 0.860 | 0.000 | 0.205 | 0.000 | – |
| 24 | भीकमसीग पिता अमानसीग पता सा. विनायकी भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 48 | 0.050 | 0.000 | 0.005 | 0.000 | – |
| 25 | उमराव पिता अमान कुर्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 51/2 | 0.350 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | – |
| 26 | दुरगसिंह पिता प्रेमसिंह पता सा. विनायकी भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 57/1<br>57/2/1 - 0.810 | 4.430 | 0.045 | 0.000 | 0.000 | – |
| 27 | शिवकांत पिता जीवनसींग पता विनायकी राहतगढ़ सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 65 | 0.130 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | – |
| 28 | चन्द्रभान पिता लच्छू पता निवासी विनायकी भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 67/4 | 0.520 | 0.035 | 0.000 | 0.000 | – |
| 29 | विनोद कुमार पिता घनश्याम पता सा. देह भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 74 | 0.550 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | कोहा–3<br>ऊमर–1 |
| | | | 79/2 | 0.740 | 0.035 | 0.000 | 0.000 | – |
| 30 | भगवानसींग पिता हरप्रसाद कुर्मी पता सा.विनायकी भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 76 | 1.200 | 0.040 | 0.000 | 0.000 | कोहा–2<br>ऊमर–2 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | सोहिल ना वा बल्द बली नेतराम पता सा. करैया गूजर भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 77/5 | 0.230 | 0.000 | 0.025 | 0.000 | – |
| | योग | | 32 | 25.310 | 2.807 | 0.697 | 0.000 | – |

2– परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बो के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

(1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।

(2) कंडिका–1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।

(3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।

(4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।

(5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना ; या

(ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रूपये का एक बारगी संदाय ; या

(ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रूपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा।

(6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

(7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

(8) किसी कारीगर छोटे व्यापरी या स्वनियोजित व्यक्ति या एसे प्रभावित कुटुब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर–कृषिक भूमि या वाणिज्यिक आद्यागिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन क कारण प्रभावित क्षेत्र स अनिच्छा से विस्थापित किय ागया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रूपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिदिष्टि करें।

(9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।

(10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।

(11) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।

(12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।

(13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।

(14) अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुवधिाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।

(14.1) सभी पुनव्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुर्नवास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 21/1/2022 को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने–अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ जिला सागर एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

---

क्र –48 अ–82–21–22––11908

**भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरांत प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में प्राप्त आपत्तियों की अधिनियम 2013 की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:–**

(1) परियोजना का नाम :– हनौता सिंचाई परियोजना

(2) भूमि का विवरण :–

1. जिला सागर
2. तहसील राहतगढ़
3. ग्राम बम्हौरी सेठ
4. पटवारी हल्का नं. 2
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 2.806 हेक्टे.

:: अनुसूची –01::

| स.क्र. | भू–धारक का नाम एवं पिता/पति का नाम | स्वामित्व का प्रकार | खसरा नं. | कुल रकवा (हेक्टे. में) | अर्जित भूमि का विवरण | | | अर्जित भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | सिंचित | असिंचित | पड़ती | |
| 1 | राजेश बबलू पिता बुध्दूलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 5/4 | 0.800 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | – |
| 2 | गोविन्द वल्द बल्लु पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 5/6 | 0.500 | 0.000 | 0.375 | 0.000 | छेवला–2 कोहा–3 |
| 3 | सतोष वल्द कहमान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 5/7 | 0.700 | 0.000 | 0.060 | 0.000 | |
| 4 | चुन्ना पिता हल्काई पता सा.देह भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 6/1 | 1.610 | 0.130 | 0.000 | 0.000 | बेर–1 पीपल–1 कैंथ–1 छेवला–1 |
| 5 | हरी व.बलराम पता सा.खताखेड़ी भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 6/2 | 0.400 | 0.000 | 0.040 | 0.000 | – |
| 6 | भागीरथ व.बलराम पता सा.खताखेड़ी भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 6/3 | 0.400 | 0.000 | 0.020 | 0.000 | – |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | श्रीमति विद्यादेवी पति जगतसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 6/4 | 0.800 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | |
| 8 | रमेश प्यारेलाल पिता चुन्नीलाल पता सा. देह भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 7/1 | 0.590 | 0.000 | 0.090 | 0.000 | छेवला–6 |
| 9 | प्रेम व. पलू पता सा.देह भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 7/2 | 0.600 | 0.060 | 0.000 | 0.000 | गुरास–2<br>छेवला–5<br>कोहा–6 |
| 10 | बाबूलाल व.भबूती साहू पता सा.देह भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 8 | 1.090 | 0.000 | 0.210 | 0.000 | छेवला–10<br>कोहा–2 |
| 11 | घनश्याम व.बलराम पता सा.खताखेड़ी भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 9 | 0.460 | 0.000 | 0.120 | 0.000 | जामुन–1<br>कोहा–5<br>छेवला–5 |
| 12 | कमलेश वल्द शीलचन्द जैन पता सा.देह भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 13/3 | 0.820 | 0.031 | 0.000 | 0.000 | – |
| 13 | प्रानसिह वल्द हुकुमसिह पता सा.बासोदा भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 64 | 0.050 | 0.000 | 0.004 | 0.000 | – |
| 14 | सुनील कुमार पिता रामसेवक पता सा.देह भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 65/1 | 0.900 | 0.000 | 0.045 | 0.000 | छेवला–5 |
| 15 | नर्मदा प्रसाद पिता मिहीलाल पता सा.देह भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 65/2 | 0.900 | 0.000 | 0.035 | 0.000 | – |
| 16 | मनोज ना.वा.वल्द व वली नर्मदाप्रसाद पता सा.देह भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 66 | 0.410 | 0.000 | 0.040 | 0.000 | कोहा–2 |
| 17 | छोटेलाल पिता जबार पता राहतगढ़ सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 68 | 0.400 | 0.000 | 0.120 | 0.000 | कोहा–2<br>छेवला–3<br>खजूर–1 |
| 18 | चैनसींग पिता खिलान पता सा.देह भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 69/1 | 0.140 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | – |
| 19 | करनसींग पिता धन्नू पता सा.देह भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 69/2 | 0.620 | 0.045 | 0.000 | 0.000 | – |
| 20 | कमलेश वल्द शीलचन्द जैन पता सा.देह भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 69/3 | 1.420 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | – |
| 21 | गनेश पिता खिलान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 69/8 | 0.140 | 0.045 | 0.000 | 0.000 | – |
| 22 | रमेश प्यारेलाल पिता चुन्नीलाल पता सा. देह भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 70/1 | 1.530 | 0.040 | 0.000 | 0.000 | खजूर–2<br>छेवला–3 |
| 23 | प्रेम व. पलू पता सा.देह भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 70/2 | 1.520 | 0.050 | 0.000 | 0.000 | बेर–2<br>छेवला–5<br>खजूर–5 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | अमान पिता बारेलाल पता सा.बासोदा भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 71 | 1.040 | 0.042 | 0.000 | 0.000 | कोहा–3<br>शूलबबूल–10<br>बाँसझिरा–1<br>खजूर–10 |
| 25 | राजीवकुमार पिता नर्मदाप्रसाद पता सा.देह भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 72/1 | 0.850 | 0.000 | 0.042 | 0.000 | खजूर–3<br>कोहा–6<br>रेंजा–2 |
| 26 | रामबाई पुत्री भागीरथ प्रसाद ब्राह्मण पता सा.घसोय जि.विदिशा भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 72/2 | 0.400 | 0.000 | 0.030 | 0.000 | खजूर–3 |
| 27 | विजयसीग अजयसीग पिता सीताराम शारदाबाई सुनीताबाई विनीताबाई पुत्री सीताराम पता सा.वटयावदा भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 74 | 1.220 | 0.000 | 0.170 | 0.000 | सेमर–1<br>सतकठा–1<br>कोहा–6<br>छेवला–3<br>हडुवा–2 |
| 28 | श्री मुरलीधर जी देव मंदिर वाके प्रबंधक कले.महो.सागर पता सा.बासोदा भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 75 | 2.790 | 0.440 | 0.000 | 0.000 | खजूर–6<br>गुरेर–2<br>पीपल–1<br>रेंजा–1<br>बबूल–1<br>छेवला–12<br>हडुवा–1<br>सागौन–1 |
| 29 | मंदिर श्रीदेव जानकी रमण जी देवमंदिर बाके मौजा रूसल्ला मु.गनेशसिंह पिता ग्याप्रसाद प्रबंधक कले. भूमि स्वामी महो. सागर पता सा.रूसल्ला भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 77 | 0.820 | 0.000 | 0.024 | 0.000 | – |
| | | | 78 | 6.670 | 0.000 | 0.170 | 0.000 | बेर–2<br>खजूर–3 |
| 30 | आशाराम बल्द धरमचंद अहिल्याबाई पुत्री धरमचंद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 85/1/1/1 | 0.350 | 0.015 | 0.000 | 0.000 | – |
| 31 | रहूपमियां बल्द शरीफ अहमद पता निवासी राहतगढ़ भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 85/1/1/2 | 0.400 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | – |
| | | | 85/1/2 | 0.400 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | – |
| | | | 85/3 | 1.200 | 0.026 | 0.000 | 0.000 | – |
| 32 | चैनसींग पिता खिलान पता सा.देह भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 85/2 | 0.200 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | – |
| 33 | शिवराज पिता खिलान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 85/6 | 0.200 | 0.000 | 0.010 | 0.000 | – |
| 34 | रामकिशन बल्द रामेश्वर पता सा.देह भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 96/1 | 0.780 | 0.000 | 0.006 | 0.000 | – |
| 35 | प्राणसिंह वल्द हुकुमसिंह पता सा. बासोदा भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 96/2 | 0.400 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | – |
| 36 | रामनाथ बल्द रामचरण शारदा पुत्री रामचरण पता सा.देह भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 98/1 | 0.560 | 0.000 | 0.004 | 0.000 | – |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | मु. समीर ना.बा. बल्द व बली प्यारेमियां पिता लालमियां पता राहतगढ भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 98/2 | 0.470 | 0.000 | 0.004 | 0.000 | – |
| 38 | जगदीश प्रसाद वल्द बाबूलाल दुबे पता निवासी ग्राम बिनायकी भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 99/3 | 3.200 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | – |
| | योग | | 41 | 38.750 | 1.087 | 1.719 | 0.000 | – |

2– परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बो के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

(1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।

(2) कंडिका–1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।

(3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।

(4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।

(5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना ; या

(ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रूपये का एक बारगी संदाय ; या

(ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रूपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा।

(6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

(7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

(8) किसी कारीगर छोटे व्यापरी या स्वनियोजित व्यक्ति या एसे प्रभावित कुटुब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर–कृषिक भूमि या वाणिज्यिक आद्यागिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन क कारण प्रभावित क्षेत्र स अनिच्छा से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रूपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिदिष्टि करें।

(9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।

(10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।

(11) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।

(12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।

(13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।

(14) अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुवधिाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यनतम निम्नलिखित सहलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।

(14.1) सभी पुनव्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

(14.2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।

(14.3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।

(14.4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।

(14.5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह

(14.6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या

(14.7) यथेचित पंचायत घर

(14.8) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए।

(14.9) जाति–समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह

(14.10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु

(14.11) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर–परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)

(14.12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी

(14.13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय

(14.14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र

(14.15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

(14.16) बच्चो के लिए क्रीड़ा क्षेत्र

(14.17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र

(14.18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा

(14.19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो

(14.20) मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।

(15) प्रभावित कुटुबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील खुरई के ग्राम जगदीशपुरा में शासकीय भूमि खसरा नंबर– 22 का कुल रकवा 12.890 हे. में से हस्तांतरित रकवा 3.09 हे.और खसरा नम्बर 57 का कुल रकवा 15.460 हे. में से हस्तांतरित रकवा 13.71 हे. एवं खसरा नम्बर 100/1 का कुल रकवा 11.410 में से हस्तांतरित रकवा 7.56 हे. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक–0102अ/19(3) वर्ष 2019–20 में पारित आदेश दिनांक 03/03/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है। हनौता सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 50X20 वर्गफुट का आवासीय भू–खण्ड मौजा जगदीशपुरा की भूमि आवंटित होने पर प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी।

(16) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा।

(17) अधिनियम की धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया जावेगा।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्व व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुर्नवास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 20/1/2022 को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने–अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ जिला सागर एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**दीपक आर्य,** कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर दिनांक 24 नवम्बर 2021

क्र– क्यू–82–20–21–भू–अर्जन

चुकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची–1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर को हनौता सिंचाई परियोजना अंतर्गत हनौता बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढने की संभावना है। इस परियोजना मे निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है। चूँकि परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र. 22(ए)371/2018/एम.पी.एस./31/1742/भोपाल दिनांक 04.10.2018 द्वारा प्रदाय की गई है एवं हनौता सिंचाई परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र कमांक J-12011/19/2018-A-1(R) नई दिल्ली दिनांक 10 अगस्त 2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होगे। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबधित उपबंध लागू नहीं होगे परियोजना के निर्माण से लगभग सागर एवं विदिशा जिले के 150 ग्रामों की 40,000 हेक्टेयर, भूमि सिचिंत होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है।

–:: अनुसूची (1) ::–

तहसील : त्योंदा जिला : विदिशा

हनौता सिंचाई परियोजना के अंतर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू–अर्जन प्रस्ताव, ग्राम सेरवासा

| स.क्र. | विवरण | भूमि का रकवा (हेक्टेयर में) | |
|---|---|---|---|
| | | कुल रकवा | प्रभावित रकवा |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | हनौता सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम – सेरवासा की भूमि की आवश्यकता | 113.803 | 40.166 |
| | कुल योग : | 113.803 | 40.166 |

–: अनुसूची (2) :–

| क्र. | भूमि स्वामी का नाम | स्वामित्व का प्रकार | खसरा नंबर | कुल रकवा | अर्जित रकवा | शेष रकवा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | रामकिशन पुत्र खिलानसिह जाति तेली पता विदिशा मध्य प्रदेश 9640/42450 भाग भूमि स्वामी अजय पुत्र रामदयाल जाति तेली पता विदिशा मध्य प्रदेश 3210/42450 भाग भूमि स्वामी अंजलि पुत्री रामदयाल जाति तेली पता विदिशा मध्य प्रदेश 3210/42450 भाग भूमि स्वामी उर्मिलाबाई बेवा रामदयाल जाति तेली पता विदिशा मध्य प्रदेश 3220/42450 भाग भूमि स्वामी दुर्गाबाई बेवा खिलानसिह जाति तेली पता विदिशा मध्य प्रदेश 9630/42450 भाग भूमि स्वामी गुलाबसिह पुत्र खिलानसिह जाति तेली पता विदिशा मध्य प्रदेश 9640/42450 भाग भूमि स्वामी प्रेमबाई पुत्री खिलानसिह जाति तेली पता विदिशा मध्य प्रदेश 3900/42450 भाग भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 3/1 | 0.272 | 0.272 | 0.000 |
| | | | 58/1 | 1.944 | 0.450 | 1.494 |
| 2 | पुरूषोत्म पुत्र रामप्रसाद जाति साहू पता त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 3/2/1 | 0.091 | 0.091 | 0.000 |
| 3 | घनश्याम पुत्र खिलान जाति साहू पता त्योंदा त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी रामकिशन पुत्र खिलान जाति साहू पता त्योंदा त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी गुलाब पुत्र खिलान जाति साहू पता त्योंदा त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी प्रेमबाई पुत्री खिलान जाति साहू पता त्योंदा त्योंदा विदिशा 1/7 भाग भूमि स्वामी सरस्वतीबाई पुत्री खिलान जाति साहू पता त्योंदा त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी दुर्गाबाई बेवा खिलान जाति साहू पता त्योंदा त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी अजय पुत्र रामदयाल जाति साहू पता त्योंदा त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/21 भाग भूमि स्वामी अंजली पुत्री रामदयाल जाति साहू पता त्योंदा त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/21 भाग भूमि स्वामी उर्मिलाबाई बेवा रामदयाल जाति साहू पता त्योंदा त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/21 भाग भूमि स्वामी | | 3/2/2 | 0.091 | 0.091 | 0.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | प्रेमनारायण पुत्र बलीराम जाति साहू पता त्योंदा त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 3/2/3 | 0.090 | 0.090 | 0.000 |
| 5 | देशराज पुत्र ग्याप्रसाद जाति कुर्मी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 4 | 0.439 | 0.439 | 0.000 |
| | | | 16 | 0.868 | 0.738 | 0.130 |
| | | | 49/1 | 0.627 | 0.276 | 0.351 |
| | | | 49/2 | 0.784 | 0.688 | 0.096 |
| | | | 96 | 1.108 | 0.210 | 0.898 |
| 6 | पुरूषोत्म पुत्र रामप्रसाद जाति साहू पता त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 5/1 | 0.470 | | |
| 7 | प्रेमनारायण पुत्र बलीराम जाति साहू पता त्योंदा त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 5/2 | 0.470 | | |
| 8 | शेरसिंह पुत्र बैजनाथ जाति कुर्मी पता सेरवासा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | | 5/3 | 0.705 | | |
| 9 | घनश्यामरामकिशनगुलाबप्रेमबाईसरस्वतीबाईपुत्रपुत्री खिलानदुर्गाबाई बेवा खिलान सामान भाग जाति साहू पता त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 402/1177 भाग भूमि स्वामी शेरसिंह पुत्र बैजनाथ जाति कुर्मी पता सेरवासा विदिशा मध्य प्रदेश 235/1177 भाग भूमि स्वामी अजयपुत्ररामदयाल अंजलीपुत्रीरामदयाल उर्मिलाबाई बेवा रामदयाल सामान भाग जाति साहू पता त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 68/1177 भाग भूमि स्वामी राकेशबलकृष्णपुत्रगण अमरसिंह जयंतीबाई पुत्री अमरसिंह सामान भाग जाति साहू पता त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 236/1177 भाग भूमि स्वामी राजुसीतारामपुत्रगणहल्कई ममताबाईपुत्रीहल्कई गीताबाई बेवा हल्कई सामान भाग जाति साहू पता त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 236/1177 भाग भूमि स्वामी | | 5/4 | 1.177 | | |
| | योग | | | 2.822 | 2.592 | 0.230 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | हाकिमसिंह पुत्र ग्याप्रसाद जाति कुर्मी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | भूमिं स्वामी | 6 | 1.777 | 0.789 | 0.988 |
| | | | 7/1 | 0.053 | 0.030 | 0.023 |
| | | | 51/2 | 0.941 | 0.057 | 0.884 |
| 11 | राजाभाई पुत्र भगवानसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 7/2 | 0.114 | 0.015 | 0.099 |
| | | | 8 | 0.261 | 0.053 | 0.208 |
| | | | 11 12 रकबा 0. 658,13 रकबा 1. 473 23 रकबा 0. 084 | 2.727 | 0.726 | 2.001 |
| | | | 180 | 0.115 | 0.005 | 0.110 |
| 12 | घनश्याम पुत्र जमनाप्रसाद जाति ब्राम्हण पता सैरवासा 024 त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 9/2 | 0.087 | 0.087 | 0.000 |
| | | | 10/2 | 0.077 | 0.047 | 0.030 |
| | | | 45 | 0.355 | 0.273 | 0.082 |
| 13 | प्रकाश पुत्र जमनाप्रसाद जाति ब्राम्हण पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 9/3 | 0.087 | 0.068 | 0.019 |
| | | | 10/3 | 0.076 | 0.051 | 0.025 |
| 14 | रामनारायण पुत्र जमनाप्रशाद जाति ब्राम्हण पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 10/1 | 0.077 | 0.049 | 0.028 |
| 15 | महेन्द्रकुमार पुत्र चतुर्भुज उर्फ हल्कूराम जाति कायस्त पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी रामकलीवाई बेवा चतुर्भुज जाति कायस्त पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी अशोककुमार पुत्र चतुर्भुज उर्फ हल्कूराम जाति कायस्त पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 14 15 रकवा. 0.105 | 1.129 | 0.806 | 0.323 |
| | | | 38 | 0.115 | 0.020 | 0.095 |
| | | | 68 | 0.575 | 0.284 | 0.291 |
| | | | 85 | 0.042 | 0.005 | 0.037 |
| | | | 164 | 0.063 | 0.063 | 0.000 |
| | | | 188 | 0.136 | 0.007 | 0.129 |
| 16 | प्रकाश पुत्र विन्द्रावन जाति कुर्मी पता सैरवासा त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी रामदयाल पुत्र विन्द्रावन जाति कुर्मी पता सैरवासा त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 17 | 0.335 | 0.015 | 0.320 |
| 17 | शेरसिंह पुत्र बैजनाथ जाति कुर्मी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 20/1 | 0.152 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | साहवसिंह पुत्र बैजनाथ जाति कुर्मी पता सैरवासा 024 त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 20/2 | 0.151 | | |
| | योग | | | 0.303 | 0.031 | 0.272 |
| 19 | प्रकाश पुत्र वृन्दावन जाति कुर्मी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 21 | 0.073 | 0.010 | 0.063 |
| | | | 24/3/1र. 0. 591,25/1 र.0.245 | 0.836 | 0.714 | 0.122 |
| | | | 76/2/1/1 | 0.193 | 0.168 | 0.025 |
| 20 | रामसेवक पुत्र मथराप्रसाद जाति कुर्मी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 22/1 | 0.836 | 0.067 | 0.769 |
| | | | 76/3 77 (0.418) 78(0.42) 93 (1. 202) | 1.714 | 0.438 | 1.276 |
| 21 | शेरसिंह पुत्र बैजनाथ जाति कुर्मी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 22/2/1 | 0.444 | | |
| 22 | साहवसिंह पुत्र बैजनाथ जाति कुर्मी पता सैरवासा 024 त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 22/2/2 | 0.444 | | |
| | योग | | | 0.888 | 0.239 | 0.649 |
| 23 | मथराप्रसाद पुत्र जगन्नाथ जाति कुर्मी पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी सरस्वतीबाई पुत्री जगन्नाथ जाति कुर्मी पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 24/1 | 0.209 | 0.200 | 0.009 |
| 24 | शेरसिंह पुत्र बैजनाथ जाति कुर्मी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 24/2/1 | 0.080 | | |
| 25 | साहवसिंह पुत्र बैजनाथ जाति कुर्मी पता सैरवासा 024 त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 24/2/2 | 0.080 | | |
| | योग | | | 0.160 | 0.155 | 0.005 |
| 26 | रामदयाल पुत्र विन्द्रावन जाति कुर्मी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 24/3/2 | 0.172 | 0.172 | 0.000 |
| 27 | अरविन्द्र कुमार पुत्र रामदयाल जाति कुर्मी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 25/2 | 0.246 | 0.246 | 0.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | अनिलकुमार पुत्र गोपीलाल जाति कायस्त पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 26 | 0.512 | 0.065 | 0.447 |
| | | | 30/1 | 0.554 | 0.550 | 0.004 |
| | | | 37/1 | 0.826 | 0.062 | 0.764 |
| 29 | अनीलकुमार पुत्र गोपीलाल जाति कायस्थ पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी शिदोबाई पुत्री गोपीलाल जाति कायस्थ पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी कृणाबाई बेवा गोपीलाल जाति कायस्थ पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 29/2 | 1.871 | 0.015 | 1.856 |
| | | | 41 | 0.052 | 0.022 | 0.030 |
| | | | 60 | 0.251 | 0.040 | 0.211 |
| 30 | महेन्द्रकुमार पुत्र चतुर्भुज उर्फ हल्कूराम जाति कायस्त पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी अशोककुमार पुत्र चतुर्भुज उर्फ हल्कूराम जाति कायस्त पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 30/2/1 | 0.277 | 0.225 | 0.052 |
| | | | 30/2/2 | 0.277 | 0.277 | 0.000 |
| | | | 35 | 0.481 | 0.148 | 0.333 |
| | | | 37/2 | 0.836 | 0.149 | 0.687 |
| 31 | मिलनसिंहनावा पुत्र रामवावू सर दादा भगवानसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 31/1 | 0.264 | 0.072 | 0.192 |
| | | | 108/2 | 0.790 | 0.388 | 0.402 |
| 32 | मधुरसिंहनावा पुत्र रामवावू सर मॉ रामेतीवाई जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 31/2 | 1.252 | 0.860 | 0.392 |
| 33 | भगवानसिंह पुत्र मानसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 32 | 0.763 | 0.428 | 0.335 |
| | | | 69/1 | 0.314 | 0.291 | 0.023 |
| 34 | अशोक कुमार पुत्र चतुर्भुज जाति कायस्त पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी महेन्द्रकुमार पुत्र चतुर्भुज जाति कायस्त पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 33 | 1.045 | 0.448 | 0.597 |
| | | | 36 | 0.993 | 0.025 | 0.968 |
| 35 | मुन्नालाल पुत्र भगवानदास जाति कायस्थ पता विदिशा मध्य प्रदेश 209/2101 भाग भूमि स्वामी कमलेश पुत्र भगवानदास जाति कायस्थ पता विदिशा मध्य प्रदेश 350/2101 भाग भूमि स्वामी राजा पुत्र भगवानदास जाति कायस्थ पता विदिशा मध्य प्रदेश 350/2101 भाग भूमि स्वामी राकेश पुत्र भगवानदास जाति कायस्थ पता विदिशा मध्य प्रदेश 350/2101 भाग भूमि स्वामी गुड्डा पुत्र भगवानदास जाति कायस्थ पता विदिशा मध्य प्रदेश 351/2101 भाग भूमि स्वामी ग्याप्रसाद पुत्र गोकुलप्रसाद जाति कायस्थ पता वा न 2 कैलाश नगर पलवल कैलाश नगर फिराजाबाद उत्तर प्रदेश 491/2101 भाग भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 39 40रकवा 0.021 | 2.007 | 0.075 | 1.932 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | शेरसिंह पुत्र बैजनाथ जाति कर्मी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 43/1 | 1.192 | | |
| 37 | साहवसिंह पुत्र बैजनाथ जाति कुर्मी पता सैरवासा 024 त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 43/2 | 1.180 | | |
| | योग | | | 2.372 | 1.297 | 1.075 |
| 38 | साहवसिंह पुत्र बैजनाथ जाति कुर्मी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 44 | 0.324 | 0.294 | 0.030 |
| 39 | पूरन पुत्र उमरावसिंह जाति सहरिया पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय | भूमि स्वामी | 46 | 1.024 | 1.024 | 0.000 |
| 40 | शेरसिंह पुत्र बैजनाथ जाति कुर्मी पता सैरवासा 024 त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 48/1 | 0.627 | 0.627 | 0.000 |
| | | | 76/2/2 | 0.313 | 0.233 | 0.080 |
| 41 | साहवसिंह पुत्र बैजनाथ जाति कुर्मी पता सैरवासा 024 त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 48/2 | 0.073 | 0.073 | 0.000 |
| | | | 50 | 0.136 | 0.136 | 0.000 |
| | | | 52/1 | 0.418 | 0.072 | 0.346 |
| 42 | शुभम नाबा पुत्र रामबाबू सर पिता रामबाबू पुत्र ग्याप्रशाद भाग 1/6 प्रकाश रामदयाल पुत्रगम ब्रन्दावन श्यामबाई उमावाई पुत्रियां ब्रन्दावन भाग 1/3 शेरसिंह साहवसिंह पुत्रगम बैजनाथ भागवाई चन्द्रीवाई द्रोपती पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी वाई सुमनवाई पुत्रियां बैजनाथ भाग 1/3 लखनपुत्र साहवसिंह भाग1/3 मथराप्रसाद पुत्र जगन्नाथ व सरस्वतीबाई पुत्री जगन्नाथ हि 1/6 में समान भाग जाति कुर्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 53 | 1.191 | 0.490 | 0.701 |
| 43 | हरिचरण वावूलाल पुत्रगण बहादुरसिंह शीलावाई कस्तूरीवाई उसावाई उमावाई पुत्रियां वहादुर सिंह जाति साहू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 54 | 0.125 | 0.125 | 0.000 |
| 44 | आशीषप्रताप पुत्र हरनामसिह जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 55 | 0.063 | 0.063 | 0.000 |
| | | | 56 | 1.024 | 1.012 | 0.012 |
| | | | 57 | 2.696 | 1.948 | 0.748 |
| 45 | अजय पुत्र रामदयाल जाति साहू पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी अंजली पुत्री रामदयाल जाति सांहू पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी उर्मिलाबाई बेवा रामदयाल जाति साहू पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 58/2 | 0.418 | 0.229 | 0.189 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | मनमोहनसोदान पप्पूकमलेशपुत्रगणगोर्वधनमीनावाईवेवीवाईपुत्रियां गोर्वधनपार्वतिवाई बेवा गोर्वधन समान भाग जाति लुहार पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी श्याप्रशाद पुत्र रामप्रशाद जाति लुहार पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 59/1 | 0.094 | | |
| 47 | सुखलाल पुत्र खिलान जाति लुहार पता सैरवासा 024 त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 59/2/1 | 0.808 | | |
| 48 | मुरलीधर पुत्र खिलान जाति लुहार पता सैरवासा 024 त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 59/2/2 | 0.801 | | |
| 49 | मनमोहन पुत्र खिलान जाति लुहार पता सैरवासा 024 त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 59/2/3 | 0.627 | | |
| | योग | | | 2.330 | 0.720 | 1.610 |
| 50 | प्रेमनारायण पुत्र बलीराम जाति साहू पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/8 भाग भूमि स्वामी मोहन पुत्र बलीराम जाति साहू पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/8 भाग भूमि स्वामी जगदीश पुत्र बलीराम जाति साहू पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/8 भाग भूमि स्वामी रामकुंवरबाई पुत्री बलीराम जाति साहू पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/8 भाग भूमि स्वामी ललताबाई पुत्री बलीराम जाति साहू पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/8 भाग भूमि स्वामी ममताबाई पुत्री बलीराम जाति साहू पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/8 भाग भूमि स्वामी उर्मिलाबाई पुत्री बलीराम जाति साहू पता विदिशा 1/8 भाग भूमि स्वामी नन्हीबाई बेवा बलीराम जाति साहू पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/8 भाग भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 64/1 | 1.656 | 0.608 | 1.048 |
| 51 | घनश्याम पुत्र खिलान जाति साहू पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 64/2 | 1.657 | 0.359 | 1.298 |
| 52 | सरदारसिंह पुत्र हीरासिंह जाति राजपूत पता सैरवासा 024 त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 70/1/1 | 0.549 | | |
| 53 | रतीबाई पुत्र हीरासिंह जाति राजपूत पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 70/1/2 | 0.549 | | |
| | योग | | | 1.098 | 0.470 | 0.628 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | राजाराम पुत्रगण भैयालाल, रामवती बाई पुत्री भैयालाल, जाति राजपूत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 70/2 | 1.097 | 0.393 | 0.704 |
| 55 | अशोक कुमार पुत्र चतुर्भुज जाति कायस्त पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी महेन्द्रकुमार पुत्र चतुर्भुज जाति कायस्त पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 72 | 0.428 | 0.015 | 0.413 |
| 56 | जबारखाँ पुत्र तालेवर खॉ जाति मुस्लमान पता सैरवासा त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1557/4462 भाग भूमि स्वामी अनवरखाँ पुत्र तालेवर खॉ जाति मुस्लमान पता सैरवासा त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1139/4462 भाग भूमि स्वामी हस्सोबाई पुत्री तालेवरखाँ जाति मुसलमान पता विदिशा मध्य प्रदेश 1557/4462 भाग भूमि स्वामी शकील खॉ पुत्र जब्बार खॉ जाति मुसलमान पता विदिशा मध्य प्रदेश 209/4462 भाग भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 76/1 | 0.314 | 0.227 | 0.087 |
| 57 | अरविन्द्र कुमार पुत्र रामदयाल जाति कुर्मी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 76/2/1/2 | 0.194 | 0.179 | 0.015 |
| 58 | अनिलकुमार पुत्र गोपीलाल जाति कायस्त पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 80/1 | 0.042 | | |
| 59 | रतीबाई पुत्र हीरासिंह जाति राजपूत पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 80/2 | 0.042 | | |
| | योग | | | 0.084 | 0.047 | 0.037 |
| 60 | लक्ष्मीवाई पुत्री महाराजसिंह जाति दांगी पता त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 180/3897 भाग भूमि स्वामी साहवसिंह पुत्र बैजनाथसिंह जाति कुर्मी पता त्यांदा विदिशा मध्य प्रदेश 993/3897 भाग भूमि स्वामी गोपीवाईसेठानीवाईरामसखीवाईलक्ष्मीवाई नर्वदीवाईप्रदेशवाई पुत्री महाराजसिंह समान भाग जाति दांगी पता त्योंदा त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 3/3897 भाग भूमि स्वामी लाखनसिंह पुत्र रूपसिंह जाति दांगी पता त्योंदा त्यांदा विदिशा मध्य प्रदेश 42/3897 भाग भूमि स्वामी जाहरसिंह नाबालिग पुत्री हरी सिंह संरक्षक पिता स्वयम जाति दांगी पता त्योंदा त्योंदा विदिशा | भूमि स्वामी | 81 82 एकवा 0. 052 | 0.167 | 0.052 | 0.115 |
| | | | 106/1 | 1.295 | 0.150 | 1.145 |
| | | | 166 | 0.094 | 0.094 | 0.000 |
| | | | 177 | 1.494 | 0.010 | 1.484 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 313/3897 निवासा ग्राम भूमि स्वामी सतराम पुत्र आशाराम पता त्योंदा त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 726/3897 भाग भूमि स्वामी जाहरसिंहमहेशरजोरसिंहअनीताबाईविनीताबाईपुत्रपुत्रीहरिसिंह लक्ष्मीबाई बेवा हरिसिंह सामान भाग जाति दांगी पता सेरवासा त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1640/3897 भाग भूमि स्वामी | | 178 | 0.178 | 0.020 | 0.158 |
| | | | 179 | 0.052 | 0.016 | 0.036 |
| | | | 400 | 0.345 | 0.228 | 0.117 |
| 61 | मनमोहनसोदान पप्पूकमलेशपुत्रगणगोर्वधनमीनावाईवेवीवाईपुत्रियां गोर्वधनपार्वतिवाई बेवा गोर्वधन समान भाग जाति लुहार पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी ग्याप्रशाद पुत्र रामप्रशाद जाति लुहार पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 84 | 0.042 | 0.025 | 0.017 |
| | | | 123 124 0.63 125-0.209, 126 - 0.125, 127 - 1.878 | 2.892 | 0.507 | 2.385 |
| | | | 165/2 | 0.032 | 0.032 | 0.000 |
| | | | 170/2 | 0.486 | 0.301 | 0.185 |
| | | | 173 | 0.063 | 0.063 | 0.000 |
| | | | 175 | 0.042 | 0.042 | 0.000 |
| 62 | रामवावू पुत्र भगवानसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमिस्वामी | भूमि स्वामी | 107 | 0.700 | 0.452 | 0.248 |
| | | | 108/1 | 1.300 | 0.543 | 0.757 |
| 63 | सुखलाल पुत्र खिलान जाति लुहार पता सैरवासा 024 त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 165/1/1 | 0.015 | 0.015 | 0.000 |
| | | | 172/1 | 0.083 | 0.043 | 0.040 |
| | | | 174/2/1 | 0.387 | 0.010 | 0.377 |
| | | | 187/1 | 0.021 | 0.021 | 0.000 |
| 64 | भुरलीघर पुत्र खिलान जाति लुहार पता सैरवासा 024 त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 165/1/2 | 0.016 | 0.016 | 0.000 |
| | | | 171 | 0.219 | 0.015 | 0.204 |
| | | | 172/2 | 0.074 | 0.074 | 0.000 |
| | | | 187/2 | 0.021 | 0.021 | 0.000 |
| 65 | सरदारसिंह पुत्र हीरासिंह जाति राजपूत पता सैरवासा 024 त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 167/1 | 0.047 | 0.047 | 0.000 |
| | | | 169/1 | 0.062 | 0.062 | 0.000 |
| 66 | रतीबाई पुत्र हीरासिंह जाति राजपूत पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 167/2 | 0.047 | 0.047 | 0.000 |
| | | | 169/2 | 0.063 | 0.063 | 0.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | सरदारसिंह पुत्र हीरासिंह जाति राजपूत पता सैरवासा 024 त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 176/1 | 0.015 | | |
| 68 | रतीबाई पुत्र हीरासिंह जाति राजपूत पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 176/2 | 0.016 | | |
| | योग | | | 0.031 | 0.015 | 0.016 |
| 69 | घूमनसिह व कमलाबाई पुत्र पुत्री नरायणसिह प्रेमबाई बेवा नारायणसिह हि. 1.775 हि. समान अरविन्द व रीनेशबाई, विमलेशबाई पुत्र पुत्रीया विजयसिह, पुष्पाबाई बेवा विजयासिह हि. 0.592 हि. समान गजरासिह जाति दागी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 186 | 0.073 | 0.005 | 0.068 |
| 70 | घासीराम पुत्र उदेतसिंह जाति काछी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 197 | 0.230 | 0.031 | 0.199 |
| 71 | तुलसीराम लाखन नाबा. पुत्रगण मोहन निर्मला राजकुमारी नाबा. पुत्रियां मोहन सुकवतीबाई विधवा मोहन सर.माता स्वयं जाति सहरिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 302/1/1 | 1.000 | | |
| 72 | पानबाई वेवा देवीसिंह भगवानसिंह बा. तुलसीराम घनश्याम कमलेश ना.बा. पुत्र देवीसिंह सर, माँ स्वयं अनीताबाई पुत्री देवीसिंह जाति सहरिया पता निवासी ग्राम साहबा भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 302/1/2 | 1.000 | | |
| 73 | मुन्नीबाई पत्नी बुद्धा जाति सहरिया पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 302/1/3 | 1.000 | | |
| 74 | पानबाई पुत्री सुमंत्राबाई पत्नी देवी जाति सहरिया पता साहबा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 302/1/4 | 0.947 | | |
| 75 | जग्गू पुत्र तरवरिया जाति चमार पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 302/2/1 | 1.254 | | |
| 76 | जुक्खा पुत्र खिलान जाति चमार पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 302/2/2 | 1.045 | | |
| 77 | मुन्ना पुत्र खिलान जाति चमार पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 302/2/3 | 1.045 | | |
| | योग | | | 7.291 | 2.162 | 5.129 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | हीराबाई पत्नी बाबूलाल जाति सहरिया पता साहबा विदिशा मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय | भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय | 304/1 | 1.000 | | |
| 79 | गज्जू पुत्र मूलचंद जाति सहरिया पता साहबा विदिशा मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय | भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय | 304/2 | 1.000 | | |
| 80 | रन्धीरसिंह हरिराम बुन्देलसिह पुत्रगण श्यामलाल लीलाबाई रामसखीबाई पुत्रियॉ श्यामलाल कलाबाई वेवा श्यामलाल जाति पता निवासी ग्राम साहबा भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय | भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय | 304/6 | 1.000 | | |
| 81 | हीरालाल पुत्र सुखलाल जाति चमार पता साहबा विदिशा मध्यप्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय | भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय | 304/8 | 0.703 | | |
| | योग | | | 3.703 | 2.124 | 1.579 |
| 82 | लाखनसिंह पुत्र रूपसिंह जाति दागी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 399 | 1.086 | 0.542 | 0.544 |
| 83 | गोविन्दसिंह पुत्र लाखनसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 401 | 1.036 | 0.593 | 0.443 |
| 84 | शिवेंद्र पुत्र गोविंदसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 405/1 | 0.460 | | |
| | | | 405/4/2 | 1.327 | | |
| | | | 405/5 | 0.754 | | |
| | | | 405/6 | 0.754 | | |
| 85 | घूमनसिंह व कमलाबाई पुत्र पुत्री नरायणसिह प्रेमबाई बेवा नारायणसिह हि. 1.775 हि. समान अरविन्द व रीनेशबाई, विमलेशबाई पुत्र पुत्रीया विजयसिह, पुष्पाबाई बेवा विजयासिह हि. 0.592 हि. समान गजराजसिह जाति दागी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 405/2 | 1.108 | | |
| 86 | जमनाबाईवेवाचित्तरसिंह हेमवतीबाईशिववातीबाईदुर्गाबाई पुत्री चित्तरसिंह समान भाग जाति दांगी पता उकायला विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 405/3/1 | 0.500 | | |
| 87 | दशोदाबाई रामकलीबाई शांतिबाई पुत्री अमोलसिंह समान भाग जाति दांगी पता उकायला विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 405/3/2 | 0.033 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | राजोरसिंह पुत्र हरीसिंह जाति दांगी पता त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी अनीताबाई पुत्री हरीसिंह जाति दांगी पता त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी विनीताबाई पुत्री हरीसिंह जाति दांगी पता त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी लक्ष्मीबाई बेवा हरीसिंह जाति दांगी पता त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 405/4/1 | 0.909 | | |
| 89 | हिमतसिंह पुत्र पंचा जाति सहरिया पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 405/7 | 0.754 | | |
| 90 | गोरेलाल पुत्र कल्लू जाति सहरिया पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 405/8 | 0.754 | | |
| 91 | गोरेलाल पुत्रकलुआभूरीबाईराजकुमारीपुत्रियॉकलुआ कोसाबाई बेवा कलुआ सामान भग जाति सहरिया पता विदिशा मध्य प्रेदश भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 405/9 | 0.077 | | |
| | योग | | | 7.430 | 1.127 | 6.303 |
| 92 | अंशुल पुत्र प्रीतमसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 406/1 | 3.255 | 0.353 | 2.902 |
| 93 | महेशसिंह पुत्र लाखनसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 406/2/1 | 2.200 | | |
| 94 | वकीलसिंह पुत्र लाखनसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 406/2/2 | 1.055 | | |
| | योग | | | 3.255 | 0.255 | 3.000 |
| 95 | ओमकार पुत्र भगवानसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 415/1 | 0.941 | 0.180 | 0.761 |
| 96 | राजा पुत्र रूपसिह जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 415/2 | 0.919 | 0.183 | 0.736 |
| | | | 417 | 0.178 | 0.158 | 0.020 |
| | | | 418/2 | 0.188 | 0.054 | 0.134 |
| 97 | सोनाबाई यशोदाबाईपुत्रियॉरूपसिंह चम्पाबाई बेवा रूपसिंह समान भाग जाति दॉगी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 418/1 | 0.564 | 0.070 | 0.494 |
| 98 | संतोष पुत्र रूपसिह जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 419 420 रकबा 0. 794 | 1.034 | 0.291 | 0.743 |
| | | | 423 | 0.251 | 0.140 | 0.111 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | मोहन पुत्र धीरा जाति काछी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 425/1 | 0.303 | 0.216 | 0.087 |
| 100 | सावित्रीबाई पुत्री धीरा जाति काछी पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी कुसुमबाई पुत्री धीरा जाति काछी पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी पुत्रीबाई बेवा धीरा जाति काछी पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 425/2 | 0.084 | 0.039 | 0.045 |
| 101 | कडोरी पुत्र नत्थू जाति काछी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 427 | 0.826 | 0.005 | 0.821 |
| 102 | राजोरसिंह पुत्र हरीसिंह जाति दांगी पता त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी अनीताबाई पुत्री हरीसिंह जाति दांगी पता त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी विनीताबाई पुत्री हरीसिंह जाति दांगी पता त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी लक्ष्मीबाई बेवा हरीसिंह जाति दांगी पता त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 428/1/1 | 0.087 | 0.087 | 0.000 |
| | | | 428/2 | 0.261 | 0.177 | 0.084 |
| 103 | खेतसिह पुत्र छमाधर जाति दागी पता पता त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी निरपतसिह पुत्र छमाधर जाति दागी पता त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 428/1/2 | 0.174 | 0.174 | 0.000 |
| 104 | रघुराजसिह पुत्र गनेशराम जाति दागी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 429 | 1.066 | 0.205 | 0.861 |
| 105 | रघुराजसिह शिवराजसिह, बाबूसिह पुत्रगण गनेशराम जाति दागी पता नि.ग्राम 1/3 भाग भूमि स्वामी राजपाल बा.नीरज व कान्ता रीना ना. बा. पुत्र पुत्रियाँ राजेन्द्रसिंह व चन्दाबाई वेवा राजेन्द्र सिंह सर. माँ स्वयं जाति 1/4 भाग भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 433/1/1 | 1.045 | | |
| 106 | रणवीरसिंह पुत्र भुगंतसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 433/1/2 | 1.045 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | हरनामसिंह पुत्र खुमानसिंह जाति दागी पता सैरवासा 024 त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 433/1/3 / क | 0.671 | | |
| 108 | गोरेलाल पुत्रकलुआभूरीबाईराजकुमारीपुत्रियॉकलुआ कोसाबाई बेवा कलुआ सामान भग जाति सहरिया पता विदिशा मध्य प्रेदश भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 433/1/3 / ख | 0.677 | | |
| 109 | जशवंतसिंह,वीरेन्द्रसिंह पुत्र गण गनेशराम समान भाग जाति दागी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 433/2 | 0.794 | | |
| | योग | | | 4.232 | 0.032 | 4.200 |
| 110 | मिठ्ठू लख्खू पुत्रगण कुन्जा भँवरबाई फूलबाई पुत्रियॉ कुन्जा जाति धोबी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 435/1 | 0.157 | | |
| 111 | धनसिंह मुल्ला रन्जीता पुत्र गण हल्का समान भाग जाति रावत पता वन्द्रावली विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 435/2 | 0.418 | | |
| 112 | हीरालाल पुत्र सुखलाल जाति चमार पता साहबा विदिशा मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय | भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय | 435/3/1 | 0.297 | | |
| 113 | बाबूलाल पुत्र हरिराम जाति चमार पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 435/3/2 | 1.182 | | |
| 114 | रामचरण पुत्र सोमत जाति चमार पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय | भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय | 435/3/3 | 0.195 | | |
| 115 | गप्पू पुत्र रघूवर जाति धोवी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 435/4 | 0.157 | | |
| | योग | | | 2.406 | 0.582 | 1.824 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | पप्पू पुत्र ग्यापसद सुखवतीबाई पुत्री ग्याप्रद व सुन्दरबाई बेवा ग्याप्रसाद पता नि.ग्राम 1/3 भाग भूमि स्वामी तरवर पुत्र भूरा हि. 0.279 रामगोपाल पुत्र भगवानसिह जाति दांगी हि. 0.487 नीलेश ना. बा. पुत्र करोडी हि. 0.209 सर. मां कमलाबाइ जाति खगार पता नि.ग्राम 2/3 भाग भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 436 | 1.463 | 0.366 | 1.097 |
| 117 | खयाली पुत्र भूग्गा जाति रावत पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 437 | 0.418 | 0.418 | 0.000 |
| 118 | **N.A** | | 446/1/1 | 0.810 | | |
| 119 | जाहरसिंह पुत्र हरीसिंह जाति दागी पता त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी महेश पुत्र हरीसिह जाति दांगी पता सैरवासा 024 त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी रजोरसिंह पुत्र हरीसिह जाति दागी पता सैरवासा 024 त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश दांगी 1/6 भाग भूमि स्वामी अनीताबाई पुत्री हरीसिह जाति दागी पता सैरवासा 024 त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी विनीताबाई पुत्री हरीसिह जाति दांगी पता सैरवासा 024 त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी लक्ष्मीबाई बेवा हरीसिह जाति दागी पता सैरवासा 024 त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 446/1/2/1 | 0.202 | | |
| 120 | खेतसिह पुत्र छमाधर जाति दांगी पता त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी निरपतसिंह पुत्र छमाधर जाति दांगी पता त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी रघुवीरसिंह पुत्र छमाधर जाति दांगी पता त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी | | 446/1/2/2 | 0.608 | | |
| 121 | गजराजसिंह पुत्र इन्दरसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 446/2/1 | 0.889 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | गुलाबबाई सियाबाई मोहरबाई सियाबाई मोहरबाई पुत्र मर्दनसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश 1221/1635 भाग भूमि स्वामी गोमतीबाई रामकलीबाई रामकलीबाई पुत्री मर्दनसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश 12/1635 भाग भूमि स्वामी मीराबाई शांतिबाई शांतिबाई पुत्री इन्दरसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश 103/1635 भाग भूमि स्वामी भगवानसिंह पुत्र मर्दनसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश 299/1635 भाग भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 446/2/2 | 0.104 | | |
| 123 | कडोरी पुत्र नत्थू जाति काछी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी | भूमि स्वामी | 446/3 446/4 रकबा 0. 815 | 1.233 | | |
| | योग | | | 3.846 | 0.005 | 3.841 |
| | कुल योगः– | | 186 | 113.803 | 40.166 | 73.637 |

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक–एफ 16–15–(7)2014–सात–शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक–2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू–अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को,जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशा के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू–अर्जन शाखा विदिशा को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशत किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गंजबासौदा एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर प्रभारी अधिकारी, भू–अर्जन शाखा जिला विदिशा के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक–एफ 16–15–(7)2014–सात–शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक–2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू–अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को,जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी भू–अर्जन शाखा जिला विदिशा अधिनियम की धारा 16 के तहत पुर्नर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेगें। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गंजबासौदा एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर समुचित सहयोग करगें एवं प्रबधंक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करगें।

अधिनियम की धारा 11(4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा। या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकरी (राजस्व) गंजबासौदा में) आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेगें।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गंजबासौदा एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**उमाशंकर भार्गव,** कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय कलेक्टर, जिला आगर–मालवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र. क्र / जा.क्र–927–भू–अर्जन–2021 आगर मालवा दिनांक 10 दिसम्बर 2021

(अंतर्गत धारा – 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्र. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमाक 1 में कुण्डलिया परियोजना के डुब प्रभावित ग्राम गोठडा तहसील नलखेडा जिला आगर–मालवा,कुण्डालिया बांध क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन , पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

| ग्राम –गोठडा | | तहसील – नलखेडा जिला आगर मालवा | |
|---|---|---|---|
| क्रं. | विवरण | अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हैक्टर में) | |
| | | कुल रकबा | अर्जित रकबा |
| 1 | निजी भूमि<br>1. कुण्डलिया बॉध परियोजना के निर्माण में डुब क्षेत्र में प्रभावित होने से | 4.420 | 2.350 |
| | योग | 4.420 | 2.350 |

## अनुसूची (2)

### (1) कुण्डलिया बॉध परियोजना में प्रभावित होने से

| क्र. | प्रभावित कष्क का नाम पता सहित | खसरा न. | रकबा हेक्टेयर | अर्जित रकबा हेक्टेयर में | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गणपत पिता भेरूलाल, गीताबाई वि. भेरूलाल, सूरज पिता जगदीश जाति भील नि. ग्राम भूमि स्वामी | 1322 | 0.670 | 0.350 | |
| | | 1328 | 1.330 | 0.450 | |
| | योग | | 2.000 | 0.800 | |
| 2 | राजेन्द्र सिंह यसवंतसिंह जुगराजसिंह पिता भंवरसिंह सजनसिंह बलदेवसिंह सकरामसिंह भारतसिंह सोदानसिंह पिता भैरुसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | 1377 | 1.110 | 0.280 | |
| | योग | | 1.110 | 0.280 | |
| 3 | प्रेमसिंह मोहनसिंह महेन्द्रसिंह पिता सोनारसिंह, मानकुंवरबाई वि. सोनारसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी | 1379 | 0.070 | 0.030 | |
| | योग | | 0.070 | 0.030 | |
| 4 | भगवतसिंह पिता अर्जूनसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भूमिस्वामी | 1419 min 6 | 0.200 | 0.200 | |
| | योग | | 0.200 | 0.200 | |
| 5 | आनन्दीलाल भारत ईश्वर पिता घीसा प्रेमबाई नि. घीसा जाति भील पता नि. ग्राम भूमि स्वामी | 1423 | 1.040 | 1.040 | |
| | योग | | 1.040 | 1.040 | |
| | TOTAL :- | | 4.420 | 2.350 | |

प्र. क्र / जा.क्र ए–929–भू–अर्जन–2021–22

(अंतर्गत धारा – 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्र. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमाक 1 में कुण्डलिया परियोजना के डुब प्रभावित ग्राम सामरी तहसील नलखेडा जिला आगर–मालवा,कुण्डालिया बांध क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन , पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

## अनुसूची (1)

| ग्राम –सामरी | | तहसील – नलखेडा जिला आगर मालवा | |
|---|---|---|---|
| | | अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हैक्टर में) | |
| क्रं. | विवरण | कुल रकबा | अर्जित रकबा |
| 1 | निजी भूमि<br>1. कुण्डलिया बॉध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से | 21.964 | 6.889 |
| | योग | 21.964 | 6.889 |

## अनुसूची (2)

### (1) कुण्डलिया बॉध परियोजना में प्रभावित होने से

| क्र. | प्रभावित कष्क का नाम पता सहित | खसरा न. | रकबा हेक्टेयर | अर्जित रकबा हेक्टेयर में | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | उमराव बंशी पिता नार. आदि जाति गुर्जर पता निवासी ग्रम भूमि स्वामी | 584/1 | 0.784 | 0.200 | |
| | योग | | 0.784 | 0.200 | |
| 2 | नारायणसिंह हिंदुसिंह रमेश पिता भागीरथ व कमलाबाई पारुबाई पुत्रिया भागीरथ बालुसिंह पिता प्रभुलाल भुरीबाई विधवा प्रभुलाल हि. 1/2 समभाग तुलाराम निर्भयसिंह पिता गंगाराम गीताबाई सीताबाई भुलीबाई शारदाबाई पुत्रिय गंगाराम हि. 1/4 समभाग धीशु पिता दौला शंकुबाई लीलाबाई पिता दोला हि. 3/8 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | 319/1 | 2.644 | 0.700 | |
| | | 326/1 | 4.526 | 0.500 | |
| | | 327 | 0.460 | 0.460 | |
| | योग | | 7.630 | 1.660 | |
| 3 | बापूलाल उकार पिता धन्ना बरजुबाई पिता धन्ना हि.20 पैसे रामलाल हरलाल कमलाबाई दरयाबबाई पिता मन्ना भूरीबाई नंदुबाई धापुबाई पिता देवा हि.20 चौपार | 576/2 | 0.300 | 0.300 | |
| | | 580/1 | 0.481 | 0.250 | |
| | योग | | 0.781 | 0.550 | |

| क्र. | प्रभावित व्यक्ति का नाम पता सहित | खसरा न. | रकबा हेक्टेयर | अर्जित रकबा हेक्टेयर में | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | घीसू पिता दौला हि 1/2 नारासिंह हिंदुसिंह रमेश पिता भागीरथ कमलाबाई पारुबाई पिता भागीरथ आदि जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | 329 | 0.428 | 0.428 | |
| | योग | | 0.428 | 0.428 | |
| 5 | संकुबाई लीलाबाई पिता दौला हि.3/4 समानुपात दौलाराम निर्भयसिंह पिता गंगाराम गीताबाई सीताबाई मुरीबाई शारदाबाई पुत्रिया गंगाराम हि. 1/4 समान भाग होकमसिंह धनसिंह गोकुलसिंह सीरमबाई शांताबाई मानुबाई सरजुबाई पिता घिसु फुंदीबाई वि. घिसु जाति गुर्जर नि.ग्राम भुमि स्वामी | 332 | 0.794 | 0.450 | |
| | योग | | 0.794 | 0.450 | |
| 6 | दिलीपकुमार पिता भंवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 542/2/1 | 0.418 | 0.418 | |
| | | 592/2 593/1,594 | 0.418 | 0.418 | |
| | | 595 | 0.627 | 0.627 | |
| | योग | | 1.463 | 1.463 | |
| 7 | नारायणसिंह हिंदुसिंह रमेश पिता भागीरथ व कमलाबाई पारुबाई पुत्रिया भागीरथ बालुसिंह पिता प्रभुलाल भुरीबाई विधवा प्रभुलाल हि. 1/2 समभाग तुलाराम निर्भयसिंह पिता गंगाराम गीताबाई सीताबाई भुलीबाई शारदाबाई पुत्रिय गंगाराम हि. 1/4 समभाग घीसु पिता दौला शंकुबाई लीलाबाई पिता दोला हि. 3/8 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | 331 | 1.129 | 0.500 | |
| | योग | | 1.129 | 0.500 | |
| 8 | हरलाल शंकरलाल पिता प्रताप जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | 386/1 | 0.366 | 0.020 | |
| | योग | | 0.366 | 0.020 | |
| 9 | नयाजबाई वि. गुलाबनबी हि.8 पैसे पल्ली मो पिता गोदाखा हि. 82 पैसे जाति विलायती | 386/2 | 0.251 | 0.020 | |
| | योग | | 0.251 | 0.020 | |
| 10 | सुनिल पिता पृहलाद जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | 631 | 0.941 | 0.400 | |
| | योग | | 0.941 | 0.400 | |
| 11 | भंवरलाल शंकुबाई पिता गंगाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | 400/2/1 | 2.174 | 0.281 | |
| | योग | | 2.174 | 0.281 | |
| 12 | हरलाल पिता प्रताप जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी | 380 | 2.571 | 0.506 | |
| | | 371 | 0.060 | 0.060 | |
| | | 402/2,400/4 | 2.174 | 0.259 | |
| | | 427/2,429/366 | 0.418 | 0.092 | |
| | योग | | 5.223 | 0.917 | |
| | TOTAL :- | | 21.964 | 6.889 | |

प्र. क्र/ए. –941–भू–अर्जन–2021–22 आगर मालवा, दिनांक 16 दिसम्बर 2021

(अंतर्गत धारा – 19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमाक 1 में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील नलखेड़ा जिला आगर–मालवा कुण्डलिया बॉध निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भवनों का सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भवन अर्जन , पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भवनों की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

| ग्राम – लटुरीउमठ | | तहसील – नलखेड़ा जिला आगर मालवा म.प्र. | | |
|---|---|---|---|---|
| क्रं. 1 | विवरण | अर्जित की जाने भवनों का क्षेत्रफल वर्गमीटर | | |
| 1 | निजी भवनों के लिये 1. कुण्डालिया बांध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से | कुल भवन 24 | कुल क्षैत्रफल वर्गमीटर | अर्जित भवन का क्षैत्रफल वर्गमीटर |
| | | 24 | 2458.14 | 1956.43 |
| | योग | 24 | 2458.14 | 1956.43 |

अनुसूची (2)

| स.क्र. | मकान नं. | भवन के मुखिया का नाम एवं पिता का नाम | मकान का प्रकार | मकान का नाप | | | क्षेत्रफल वर्गमीटर में |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 4 | गीता बाई पति रमेश चंद्र | आर सी सी | 10.95 | x | 9.05 | 99.10 |
| | | | | | | | **99.10** |
| 2 | 5 | चंदर सिह पिता धुला जी | आर सी.सी. | 13.55 | x | 9.85 | 133.47 |
| | | | | | | | **133.47** |
| 3 | 6 | देवी सिह पिता नारायण सिह | टीनशेड | 10.00 | x | 5.40 | 54.00 |
| | | | टीनशेड | 7.95 | x | 3.10 | 24.65 |
| | | | टीनशेड | 6.85 | x | 1.10 | 7.54 |
| | | | टीनशेड | 6.65 | x | 3.65 | 24.27 |
| | | | कवेलू | 6.65 | x | 3.80 | 25.27 |
| | | | शोचालय फर्सी | 1.10 | x | 1.10 | 1.21 |
| | | | | | | | **136.94** |
| 4 | 7 | अंबाराम पिता बंशीलाल | कवेलू | 5.00 | x | 4.00 | 20.00 |
| | | | टीनशेड | 5.60 | x | 4.60 | 25.76 |
| | | | टीन शेड | 4.50 | x | 3.70 | 16.65 |
| | | | आंगन | 8.20 | x | 2.40 | 19.68 |
| | | | आंगन | 12.90 | x | 5.65 | 72.89 |
| | | | | | | | **154.98** |
| | | | कवेलु | 4.50 | x | 3.00 | 13.50 |

| स.क्र. | मकान नं. | भवन के मुखिया का नाम एवं पिता का नाम | मकान का प्रकार | मकान का नाप | | | क्षेत्रफल वर्गमीटर में |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | 8 | रामसिह पिता बंशीलाल | आंगन | 4.65 | x | 3.30 | 15.35 |
| | | | टीनशेड | 6.85 | x | 3.60 | 24.66 |
| | | | | | | | **53.51** |
| 6 | 8/1 | सोहनसिह पिता बंशीलाल | कवेलु | 5.00 | x | 3.10 | 15.50 |
| | | | टीन शेड | 5.70 | x | 3.40 | 19.38 |
| | | | आंगन | 11.30 | x | 5.60 | 63.28 |
| | | | | | | | **98.16** |
| 7 | 8/2 | प्रभुलाल पिता बंशीलाल | कवेलु | 6.30 | x | 3.30 | 20.79 |
| | | | टीनशेड | 6.30 | x | 3.50 | 22.05 |
| | | | टीनशेड | 12.70 | x | 4.85 | 61.60 |
| | | | | | | | **104.44** |
| 8 | 8/3 | मानसिह पिता बंशीलाल | टीनशेड | 3.30 | x | 3.10 | 10.23 |
| | | | टीनशेड | 3.50 | x | 3.10 | 10.85 |
| | | | टीनशेड | 10.30 | x | 3.20 | 32.96 |
| | | | शोचालय फर्सी | 1.15 | x | 1.10 | 1.27 |
| | | | | | | | **55.31** |
| 9 | 9 | बाबुलाल पिता मांगीलाल | टीनशेड | 8.55 | x | 3.00 | 25.65 |
| | | | टीनशेड | 5.45 | x | 2.40 | 13.08 |
| | | | | | | | **38.73** |
| 10 | 10 | भगवानसिह पिता छीता जी | टीनशेड | 7.80 | x | 2.80 | 21.84 |
| | | | टीनशेड | 7.00 | x | 2.65 | 18.55 |
| | | | आंगन | 4.70 | x | 3.90 | 18.33 |
| | | | | | | | **58.72** |
| 11 | 11 | तोलाराम पिता बोंदा जी | घास फूस टापरी | 7.50 | x | 3.20 | 24.00 |
| | | | टीनशेड | 7.50 | x | 3.20 | 24.00 |
| | | | | | | | **48.00** |
| 12 | 12 | मांगीलाल पिता भग्गा जी | टीन शेड | 4.10 | x | 7.10 | 29.11 |
| | | | टीन शेड | 4.20 | x | 5.00 | 21.00 |
| | | | कवेलु | 8.00 | x | 6.00 | 48.00 |
| | | | | | | | **98.11** |
| 13 | 13 | चंदर सिह पिता नानुराम | कवेलु | 5.15 | x | 7.00 | 36.05 |
| | | | टीनशेड | 2.90 | x | 5.20 | 15.08 |
| | | | टीनशेड | 5.00 | x | 1.80 | 9.00 |
| | | | | | | | **60.13** |
| 14 | 14 | मेहरबानसिह पिता प्रहलादसिह | कवेलु | 8.00 | x | 4.80 | 38.40 |
| | | | कवेलु | 2.50 | x | 3.50 | 8.75 |
| | | | टीन शेड | 2.50 | x | 1.30 | 3.25 |

| स.क्र. | मकान नं. | भवन के मुखिया का नाम एवं पिता का नाम | मकान का प्रकार | मकान का नाप | | | क्षेत्रफल वर्गमीटर में |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | **50.40** |
| 15 | 15 | मेहरबानसिह पिता धुला जी | आर सी सी | 11.25 | x | 4.10 | 46.13 |
| | | | आर सी सी | 11.00 | x | 11.25 | 123.75 |
| | | | | | | | **169.88** |
| 16 | 16 | लीला बाई पति रमेश | आर सी सी | 8.30 | x | 4.20 | 34.86 |
| | | | टीनशेड | 10.00 | x | 8.30 | 83.00 |
| | | | टीनशेड | 14.20 | x | 4.65 | 66.03 |
| | | | | | | | **183.89** |
| 17 | 17 | विक्रमसिंह पिता मांगीलाल | टीन शेड | 11.00 | x | 7.70 | 84.70 |
| | | | टीनशेड | 8.40 | x | 7.00 | 58.80 |
| | | | आर सी सी | 7.20 | x | 3.95 | 28.44 |
| | | | | | | | **171.94** |
| 18 | 21 | पारस पिता अनार सिह | टीनशेड | 13.60 | x | 6.00 | 81.60 |
| | | | | | | | **81.60** |
| 19 | 22 | मोडसिंह पिता अमरसिंह जाति गुर्जर | कवेलु | 13.60 | x | 4.00 | 54.40 |
| | | | कवेलु | 4.00 | x | 5.30 | 21.20 |
| | | | टीनशेड | 13.60 | x | 3.70 | 50.32 |
| | | | टीनशेड | 8.30 | x | 4.00 | 33.20 |
| | | | | | | | **159.12** |
| | | | | | | कुल योग | **1956.43** |

नोट– (1) भूमि/भवन के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी सुसनेर जिला आगर–मालवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कुछ क्रियाएं परियोजना के अधिकारी और उसके कर्मचारीवृद्ध को भूमि/भवन में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षक करने किसी भी भूमि अवभूमि में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कोई कीउचितमनेयुजन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है ।

(3) अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारिख से भूमि/भवन का कोई भी संव्यवहार नही करेगा या कोई भी संव्यक्तता नही होने देगा अर्थात क्रय/विक्रय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि/भवन पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा ।

(4) अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनो के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि/भवन अर्जन के बारे में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुसनेर के समक्ष आपेक्ष यदि कोई हो फाइल किए जा सकेंगे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अवधेश शर्मा**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र.क्र. 03–अ–82–भू–अर्जन–उ.म.रे–2018–20–21 मुरैना, दिनांक 16 दिसम्बर 2021

(भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर–श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम जौरा प0ह0क0–55 रा0नि0 वृत–4 तहसील –जौरा उपखण्ड– जौरा जिला–मुरैना में कुल 0.668 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम– जौरा प0ह0क0–55 रा0नि0 वृत–4 तहसील–जौरा उपखण्ड– जौरा जिला–मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला मुरैना

ख. तहसील जौरा

ग. ग्राम जौरा

घ. लगभग क्षेत्रफल 0.668 हैक्टेयर

| क्र. स. | सर्वे नंबर | स्वामित्व का प्रकार | भूमि का प्रकार | अर्जन का क्षेत्रफल | हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 117 | भूमिस्वामी | कृषिभूमि | 0.097 | मिल्कीयत सरकार चबूतरा पुख्ता श्री महादेव जी बांके देह हाजा नि0 ग्राम षासकीय पट्टा ओकाफ डिपार्टमेन्ट प्रबंधक कलेक्टर मण्डल मुरैना। |
| 2 | 118 | भूमिस्वामी | कृषिभूमि | 0.123 | मिल्कीयत सरकार चबूतरा पुख्ता श्री महादेव जी बांके देह हाजा नि0 ग्राम शासकीय पट्टा ओकाफ डिपार्टमेन्ट प्रबंधक कलेक्टर मण्डल मुरैना। |
| 3 | 124 | भूमिस्वामी | भूखण्ड/ पडत | 0.065 | रोशनलाल रमेशचन्द्र मुन्नालाल कल्याणसिंह पुत्र पतिराम कलावती पुत्री पतिराम स भाग 3375 वर्गफीट जाति रावत, सुनील पुत्र प्रभूदयाल भाग 875 वर्गफीट जाति त्यागी नि0 ग्राम जैतपुर, मुन्नी पत्नी सूरेश भाग 2075 वर्गफीट जाति रावत सोनू बंसल पुत्र रामप्रकाश बंसल भाग 1600 वर्गफीट जाति |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | वैश्य नि0 जौरा रामकली पत्नी नवावसिंह भाग 1000 वर्गफीट जाति राठौर नि0 जौरा भूमि स्वामी प्रेमवती पत्नी पातिराम भाग 1100 वर्गफीट जाति त्यागी नि0 जैतपुर रामो पत्नी बाबूलाल भाग 1200 वर्गफीट नि0 सकतपुर लालसिंह विशम्भर पुत्रान प्रभूदयाल स भाग 875 वर्गफीट नि0 शेखपुर रामो पत्नी कुअरपाल भाग 875 वर्गफीट नि0 चिन्नोनी मंगलिया पत्नी मातादीन भाग 1600 वर्गफीट नि0 जैतपुर मीरा पत्नी रामलखन भाग 875 वर्गफीट सभी जाति त्यागी उम्मेदी पत्नी सुरेन्द्र भाग 900 वर्गफीट जाति त्यागी नि0 चिन्नोनी पता नि0 ग्राम भूमि स्वामी व्रजभूशन पुत्र हरिओम भाग 6677 वर्गफीट जाति ब्राम्हण नि0 बंसल विहार कालोनी ग्वालियर अंगूरी देवी पत्नी सुरेश जोशी भाग 600 वर्गफीट नि0 सिगंलपुरा गिरीश शैलन्द्र लक्ष्मीनारायण पुत्रान बाबूलाल स0 भाग 4183 वर्गफीट जाति ब्राम्हण नि0 सकतपुर सुल्तान पुत्र फैलीराम भाग 1120 वर्गफीट जाति जाटव नि थरा आंनन्द पुत्र बृजेश भाग 1120 वर्गफीट जाति ब्रा0 नि0 मुरैना सियावेटी पत्नी श्रीनिवास भाग 1000 वर्गफीट जाति राठौर नि0 पता नि0 ग्राम सकतपुर भूमि स्वामी सीमा पत्नी उत्तम भाग 1000 वर्गफीट जाति ब्राम्हण नि0 जौरा जनकश्री पत्नी रामप्रकाश भाग 1200 वर्गफीट जाति त्यागी नि0 सकतपुर प्रहलाद पुत्र प्रभूदयाल भाग 1100 वर्गफीट जाति ब्राम्हण नि0 बदरपुरा नवावसिंह पुत्र सोना भाग 750 वर्गफीट बजाति तेली कमलेश हरीशंकर पुत्रान नवावसिंह स0 भाग 1100 वर्गफीट जाति तेली नाहरसिंह पुत्र रामप्रसाद रामदुलारी वेवा रामप्रसाद स0 भाग 750 वर्गफीट सोनू बंसल पुत्र रामप्रकाश बंसल भाग 750 वर्गफीट जाति वैश्य पता नि0 जौरा भूमि स्वामी रेखा पत्नी वनवारीलाल भाग 750 वर्गफीट जाति ब्राम्हण ममता पत्नी बदनसिंह भाग 750 वर्गफीट जाति रावत पता नि0 ग्राम सिकरौदा भूमि स्वामी विकमसिंह पुत्र रोशनलाल भाग 750 वर्गफीट जाति रावत नि0 जौरा करनसिंह पुत्र भगवानसिंह भाग 800 वर्गफीट जाति त्यागी नि0 सकतपुर भूमि स्वामी भू–राजस्व 9.80 |
| 4 | 129 | भूमिस्वामी | कृषिभूमि / पडत | 0.094 | रामश्री पुत्री सुन्दरलाल जाति रावत पजा निवासी ग्राम भूमिस्वामी। |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 130 | भूमिस्वामी | भूखण्ड / पडत | 0.023 | ओमप्रकाष पुत्र बदनसिंह भाग 6900 वर्गफीट जाति रावत वीरवल दीनदयाल पुत्रान रामसिंह स0 भाग 1000 वर्गफीट जाति त्यागी नि0 निमांस गुड्डी पत्नी राजंन्द्र राठौर भाग 1000 वर्गफीट नि0 डोंगरपुर लोकेन्द्र पुत्र नेतराम भाग 1200 वर्गफीट दंवेन्द्रसिंह पुत्र रामस्वरूप भाग 1250 वर्गफीट नि0 विजौली मुन्नी पत्नी रामविलास भाग 3400 वर्गफीट जाति शाक्य नि0 डोंगरपुर प्रदीप, जगदीश पुत्रान दुर्गाप्रसाद स0 भाग 1000 वर्गफीट जाति त्यागी पता नि0 ग्राम निमांस भूमिस्वामी। |
| 6 | 465 / 1 | भूमिस्वामी | कृषिभूमि / पडत | 0.014 | रामश्री पुत्री सुन्दरलाल पत्नी बाबूलाल जाति रावत पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी। |
| 7 | 465 / 2 | भूमिस्वामी | कृषिभूमि / पडत | 0.014 | रामश्री पुत्री सुन्दरलाल पत्नी बाबूलाल जाति रावत पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी। |
| 8 | 466 / 1 | भूमिस्वामी | कृषिभूमि / पडत | 0.079 | रामश्री पुत्री सुन्दरलाल जाति रावत पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी। |
| 9 | 469 | भूमिस्वामी | कृषिभूमि / पडत | 0.052 | रामश्री पुत्री सुन्दरलाल जाति रावत पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी। |
| 10 | 470 | भूमिस्वामी | भूखण्ड / पडत | 0.003 | रामश्री पुत्री सुन्दर भाग 7039 वर्गफीट जाति रावत शारदा पत्नी मुकेशकुमार भाग 2414 वर्गफीट प्रमोदकुमार पुत्र राजाराम मनीशा पत्नी राकेशकुमार भाग 990 वर्गफीट जाति त्यागी नि0 चिन्नोनी दिनेशकुमार सुनील कुमार पुत्रान महेश स0 भाग 675 वर्गफीट जाति ब्राम्हण नि0 दीपैरा कैलाशी पत्नी गणेशराम कुशवाह भाग 604 सही 1/2 वर्गफीट राजाबेटी पत्नी रामसनेही कुशवाह भाग 505 सही 1/2 वर्गफीट शारदा पत्नी मुकेश त्यागी भाग 980 वर्गफीट मातादीन ज्वालाप्रसाद पुत्रान काशीराम स0 भाग 1250 वर्गफीट गिर्राज पुत्र द्वारिकाप्रसाद नावा0 सर0 रामकली मां खुद भाग 750 वर्गफीट राजकुमारी पत्नी सतीशकुमार भाग 940 वर्गफीट अंगुरीदेवी पत्नी बैजनाथ त्यागी भाग 650 वर्गफीट जसमन्त पुत्र पूरनचन्द्र भाग 750 वर्गफीट महावीर प्रसाद, गिर्राज, राकेश पुत्रान मातादीन स0 भाग 840 वर्गफीट जाति ब्राम्हण नि0 वघेल अंगद पुत्र हरीप्रसाद भाग |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 682 वर्गफीट जाति काछी नि0 ग्राम तालपुरा सुरेश पुत्र रामसिंह भाग 776 वर्गफीट राकेश पुत्र जण्डेल सिंह भाग 1000 वर्गफीट जाति ब्राम्हण नि0 जौरा सुमन पत्नी भरतकुमार त्यागी भाग 750 वर्गफीट नि0 चिन्नोनी, राजवेटी पत्नी रामसनेही, देवसिंह, दिनेशसिंह पुत्रान रामसनहेही स.भाग 1000 वर्गफीट जाति काछी नि0 तालपुरा महेन्द्रप्रसाद पुत्र गिरवरलाल भाग 750 वर्गफीट जाति ब्राम्हण प्रेमवती पत्नी चन्दनलाल भाग 1/2 रामवती पत्नी पुरूषोत्तम भाग 1/2 दरभाग 9/19 धर्मेन्द्र सुरेश नाबां0 पुत्रान देवीराम सर0 पिता खुद स0 भाग 7/19 मनोजकुमार योगेन्द्रकुमार पुत्रान रामभजन नावा0 सर0 पिता खुद स0 भाग 3/19 दर भाग 4750 वर्गफीट रामेश्वंर दयाल नारायणलाल पुरूषोत्तम पूरनलाल पुत्रान रघूनाथप्रसाद स0 भाग 1800 वर्गफीट जयप्रकाश उमेश प्रमोद पुत्रान सुरेश फूलवती बेवा सुरेश रामलता निर्मला पुत्रियान सुरेश स0 भाग 450 वर्गफीट जाति ब्राम्हण नि0 खेरिया रामदीन वनवारी वा श्रीराम नावां पुत्रान राजाराम नावा0 सर0 मां बैजन्ती खुद स0 भाग 1/2 दर भाग 1125 वर्गफीट प्रभूदयाल मुरारीलाल राधेश्याम गौरीशंकर अनिलकुमार पुत्रान राजाराम स0 भाग 2304 वर्गफीट जाति बैश्य रामदीन वालिग श्रीराम राकेश नावा0 पुत्रान राजाराम सर0 मां बैजन्ती स0 भाग 450 वर्गफीट नि0 चिन्नोनी श्रीनिवास पुत्र उदयसिंह भाग 1650 वर्गफीट जाति त्यागी रामजीलाल पुत्र रूपचन्द भाग 421 वर्गफीट दिलीप प्रदीप पुत्रान बाबूलाल मधू बेवा बाबूलाल स भाग 1250 वर्गफीट जाति त्यागी नि0 बदरपुरा वासुदेव कृपाल पुत्रान रूपचन्द स भाग 148 वर्गफीट छत्रपालसिंह भोगीराम पुत्रान भगवानलाल स भाग 1131 वर्गफीट विनोद पुत्र भगवानलाल 9 वर्गफीट अंगुरी पत्नी बैजनाथ भाग 750 वर्गफीट जाति त्यागी नि वघेल प्रकुल कपिलदेव नावा पुत्रान धर्मेन्द्रकुमार पुत्रान भगवानसिंह नावा0 सर0 धर्मेन्द्रसिंह पुत्रान भगवानसिंह स भाग 2180 वर्गफीट जाति त्यागी नि0 जौरा, हेमराज पुत्र कुंअरपाल जाति त्यागी ब्रा. निवासी स्यारू भाग 1012 वर्गफीट भूमिस्वामी। |
| 11 | 481 | भूमिस्वामी | कृषिभूमि | 0.056 | मिल्कीयत सरकार चबूतरा पुख्ता श्री महादेव जी बांके देह हाजा ओकाफ डिपार्टमेन्ट |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | शासकीय पटटा औकाफ डिपार्टमेन्ट प्रबंधक कलेक्टर मण्डल मुरैना। |
| 12 | 482 | भूमिस्वामी | कृषिभूमि | 0.035 | मिल्कीयत सरकार चबूतरा पुख्ता श्री महादेव जी बांके देह हाजा ओकाफ डिपार्टमेन्ट षासकीय पट्टा ओकाफ डिपार्टमेन्ट प्रबंधक कलेक्टर मण्डल मुरैना। |
| 13 | 483 | भूमिस्वामी | कृषिभूमि | 0.013 | मिल्कीयत सरकार चबूतरा पुख्ता श्री महादेव जी बांके देह हाजा ओकाफ डिपार्टमेन्ट षासकीय पट्टा ओकाफ डिपार्टमेन्ट प्रबंधक कलेक्टर मण्डल मुरैना। |
| कुल रकवा | किता व कुल अर्जित 13 | | | 0.668 | |

1. यह घोषणा हितबद्व सभीं व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अंधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू–अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजो के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यक नही है।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विषेष :–धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू–अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाषन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र.क्र. 07–अ–82–2020–21–भू–अर्जन–उ.म.रे–अलापुर मुरैना, दिनांक 16 दिसम्बर 2021

(भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 {सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर–श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन) ग्राम अलापुर प0ह0क0– 62 रा0नि0 वृत–04 तहसील –जौरा उपखण्ड– जौरा जिला–मुरैना में कुल 2.830 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम– अलापुर प0ह0क0–62 रा0नि0 वृत–04 तहसील– जौरा उपखण्ड– जौरा जिला–मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला मुरैना
ख. तहसील जौरा
ग. ग्राम अलापुर
घ. लगभग क्षेत्रफल 2.830 हैक्टेयर

| स. क्र. | सर्वे नंबर | स्वामित्व का प्रकार | भूमि का प्रकार | अर्जन का क्षेत्रफल | हितबद्व व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 424 | भूमिस्वामी | पडत | 0.124 | ईदगाह। |
| 2 | 425 | भूमिस्वामी | पडत | 0.061 | हरगोविन्द नरोत्तम नवल किशोर कोशल किशोर पुत्रान तेजसिंह समान भाग 4/10 मनोरमा वेवा महेश भक्त वत्सल पुत्र महेश समान भाग 1/10 राधा मीरा रजनी नीलम रीता पुत्रियां तेजसिंह समाग 1/2 दर भाग 3317 व0फू0 जाति शिवहरे कलावती बेवा कुढरी निर्मला पुत्री कुढेरी समान भाग 3318 व0फू0 जाति महाजन राजेश कुमार पुत्र रामकृष्ण भाग 2365 व0फु0 जाति स्वर्णकार पता निवासी जौरा भूमि स्वामी । |
| 3 | 590/2 | भूमिस्वामी | पडत | 0.036 | चम्बल कालौनी, आबादी |
| 4 | 591 | भूमिस्वामी | पडत | 0.119 | चम्बल कालौनी, आबादी |
| 5 | 592 | भूमिस्वामी | पडत | 0.063 | औकाफ डिपार्टमेन्ट अन्नी 1.31 प्रवन्धक |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | कलेक्टर मुरैना । |
| 6 | 594 | भूमिस्वामी | पडत | 0.091 | चम्बल कालौनी, आबादी |
| 7 | 595 | भूमिस्वामी | पडत | 0.031 | चम्बल कालौनी, आबादी |
| 8 | 596 | भूमिस्वामी | पडत | 0.052 | चम्बल कालौनी, आबादी |
| 9 | 597 | भूमिस्वामी | पडत | 0.077 | चम्बल कालौनी, आबादी |
| 10 | 598 | भूमिस्वामी | पडत | 0.108 | चम्बल कालौनी, आबादी |
| 11 | 599 | भूमिस्वामी | पडत | 0.106 | चम्बल कालौनी, आबादी |
| 12 | 1032 | भूमिस्वामी | पडत | 0.010 | औकाफ डिपार्टमेंट प्रबन्धक कलेक्टर महोदय मुरैना |
| 13 | 1033 | भूमिस्वामी | कृषिभूमि | 0.139 | मो0 असगरखां, मो0 एहसानखां पुत्रान रामजानखां 1/3 समान, सूलतान अहम्मद पुत्र दायमखां 1/3 खेरून पुत्री बुन्दू खां 1/3 जाति मुसलमान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी। |
| 14 | 1034 | भूमिस्वामी | कृषिभूमि | 0.069 | औकाफ डिपार्टमेंट प्रबन्धक कलेक्टर महोदय मुरैना |
| 15 | 1035 | भूमिस्वामी | कृषिभूमि | 0.066 | ग्यासीराम दर्शनलाल पुत्रान रमले जाति कोरी पता नि0 ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 4.90। |
| 16 | 1036/2 | भूमिस्वामी | कृषिभूमि | 0.054 | अहमद हुसैन खां पुत्र वावूखां जाति मुसलमान निवासी ग्राम भूमिस्वामी – |
| 17 | 1037/2 | भूमिस्वामी | कृषिभूमि | 0.068 | राजकुमार जगदीश पुत्रगण बेदरिया उर्फ वेदराम स भाग जाति किरार नि ग्राम भूमिस्वामी। |
| 18 | 1212 | भूमिस्वामी | पडत/ कृषिभूमि | 0.133 | आशाराम पुत्र मुल्ला भाग 7568 वर्गफीट जाति नाई नि0 जौरा विनीता सिंघल पत्नी दिलीप भाग 10500 वर्गफीट जाति वैश्य नि0 जौरा पुष्पा यादव पत्नी सिकन्दर भाग 3025 वर्गफीट जाति किरार नि0 जौरा लक्ष्मीकान्त संतकुमार अरबिन्द कुमार पुत्रगण लालजीत समान भाग 11250 वर्गफीट जाति ब्रा0 नि0 मुदावली मुकेश वशिष्ट पुत्र द्वारिकाप्रसाद भाग 6750 वर्गफीट जाति ब्रा0 पता नि0 ग्राम मुदावली भूमिस्वामी। |
| 19 | 1214/1<br>1214/2 | भूमिस्वामी | पडत/ कृषिभूमि | 0.004 | रामदयाल पुत्र नन्दराम भाग 1/2 सुनीता बेवा राजेश चाहत नाबा पुत्री राजेश आयुष नाबा पुत्र राजेश सर मा खुद समान भाग 1/6 भीकम पुत्र रामदयाल भाग 1/6 जाति किरार नि गिरजा पत्नी दिनेश शर्मा जाति ब्राम्हण हि0 1/6 निवासी मुंदावली भूमिस्वामी। |
| 20 | 1215/2 | भूमिस्वामी | कृषिभूमि | 0.088 | सुल्तानसिंह पुत्र रामभजन 1/12 भूरी पुत्री रामभजन भाग 1/12 पता नि0 ग्राम दर भाग 1/6 भाग भूमि स्वामी नबाब सिंह पुत्र बालकिशान भाग 1/3 रहमान खां नबाब खां अरमान खां नावा0 पुत्रान फरीद खां सर0 भाई रहमान खां जाति मुसलमान पता नि0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ग्राम स0 भाग 1/2 भूमि स्वामी। |
| 21 | 1219/2 | भूमिस्वामी | कृषिभूमि | 0.060 | सुलतानसिंह पुत्र रामभजन 1/12 भूरी पुत्री रामभजन भाग 1/12 पता नि0 ग्राम दर भाग 1/6 भाग भूमि स्वामी नबाबसिंह पुत्र बालकिशन भाग 1/3 रहमान खां नबाब खां अरमान खां नाबा0 पुत्रान फरीद खां सर0 भाई रहमान खां जाति मुसलमान पता नि0 ग्राम स0 भाग 1/2 भाग भूमि स्वामी |
| 22 | 1220 | भूमिस्वामी | कृषिभूमि | 0.092 | सुलतानसिंह पुत्र रामभजन 1/12 भूरी पुत्री रामभजन भाग 1/12 पता नि0 ग्राम दर भाग 1/6 भाग भूमि स्वामी नबाबसिंह पुत्र बालकिशन भाग 1/3, रहमान खां नबाब खां अरमान खां नाबा0 पुत्रान फरीद खां सर0 भाई रहमान खां जाति मुसलमान पता नि0 ग्राम स0 भाग 1/2 भाग भूमि स्वामी |
| 23 | 1222/1 | भूमिस्वामी | कृषिभूमि | 0.051 | सूबेदारसिंह सरदारसिंह जगदीशसिंह मुन्नासिंह महेन्द्रसिंह पिस0 बाबूसिंह अनीता पुत्री बाबूसिंह स0 भाग 5/8 लक्ष्मी पत्नी रामजीलाल भाग 1/8 प्रीतम पिस0 हरमोहन समान भाग 1/8 जाति किरार पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी नेतराम राजेन्द्र कल्याण सिंह पुत्रान भोगीराम कमला चन्द्रकला उर्मिला पुत्रियां भोगीराम जाति किरार पता नि0 ग्राम समान 1/8 भाग भूमिस्वामी मू–राजस्व 1.56 |
| 24 | 1223 | भूमिस्वामी | कृषिभूमि | 0.086 | रामभरोषी पुत्र बीधाराम जाति किरार पता नि0 ग्राम भूमि स्वामी मू–राजस्व 5.81 |
| 25 | 1225 | भूमिस्वामी | कृषिभूमि | 0.102 | दशरथ राघवेन्द्र पुत्रान मूरली नावा0 अनीता पुत्री मुरली नावा0 नावा0 सरप मां0 खुद अंगुरी बेवा मुरली स0 भाग 4/5 अतुल पुत्र रामवीर सोनू पत्नी रामवीर समान भाग 1/5 जाति किरार पता नि0 ग्राम भूमि स्वामी मू–राजस्व 2.31 |
| 26 | 1226 | भूमिस्वामी | कृषिभूमि | 0.010 | अमृतलाल रमेश बाबूलाल दर्शनलाल पुत्रान छिद्दीराम व देवश्री बेवा छिद्दीराम जाति किरार पता नि0 ग्राम समान भाग भूमि स्वामी मू–राजस्व 0.15 |
| 27 | 1227 | भूमिस्वामी | कृषिभूमि | 0.080 | अमृतलाल रमेश बाबूलाल दर्शनलाल पुत्रान छिद्दीराम व देवश्री बेवा छिद्दीराम जाति किरार पता नि0 ग्राम समान भाग भूमि स्वामी मू–राजस्व 0.15 |
| 28 | 1228 | भूमिस्वामी | कृषिभूमि | 0.085 | मंदिर पुख्ता श्रीपारसनाथ कस्बा जौरा माफी अतीफ सरकार प्रबन्धक कलेक्टर महोदय मुरैना पता नि0 ग्राम औकाफ डिपार्टमेन्ट |
| 29 | 1229 | भूमिस्वामी | कृषिभूमि | 0.187 | मंदीर पुख्ता श्री पारसनाथ कस्बा जौरा माफी अतीफ सरकार प्रबन्धक कलेक्टर महोदय मुरैना। |
| 30 | 1231 | भूमिस्वामी | कृषिभूमि | 0.106 | गुड्डी पुत्री चिन्टू जाति धोबी पता नि0 ग्राम |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | भूमि स्वामी भू–राजस्व 15.94 |
| 31 | 1241 | भूमिस्वामी | कृषिभूमि | 0.020 | दशरथ राघवेन्द्र पुत्रान मूरली नावा0 अनीता पुत्री मुरली नावा0 नावा0 सरप मां0 खुद अंगुरी बेवा मुरली स0 भाग 4/5 अतुल पुत्र रामवीर सोनू पत्नी रामवीर समान भाग 1/5 जाति किरार पता नि0 ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 10.00 |
| 32 | 1297/1 | भूमिस्वामी | कृषिभूमि | 0.057 | रमेशचन्द रामहेत पुत्रगण मंगलिया बसन्ती उर्मिला बाई मित्ता बाई नर्मदा पुत्रियां मंगलिया समान भाग जाति धोबी पता नि0 ग्राम भूमि स्वामी। |
| 33 | 1297/2 | भूमिस्वामी | कृषिभूमि | 0.052 | बैजनाथ पुत्र कमला जाति धोबी पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी। |
| 34 | 1298/2 | भूमिस्वामी | कृषिभूमि | 0.058 | रामजीलाल पुत्र हीरालाल जाति किरार पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी भू–राजस्व 2.28 |
| 35 | 1298/1 | भूमिस्वामी | कृषिभूमि | 0.053 | सूबेदार सिंह, सरदार सिंह, जगदीश सिंह, मुन्ना सिंह, महेन्द्र सिंह पुत्रान बाबूसिंह हिस्सा स.भाग 35/36, अनीता पुत्री बाबूसिंह हिस्सा 1/36 जाति किरार निवासी ग्राम भूमिस्वामी |
| 36 | 1306 | भूमिस्वामी | कृषिभूमि | 0.066 | नेतराम रामदयाल रामचरन पुत्रगण चौखरिया स0 भग 3/4 रामनिवास नरेन्द्र संजय अजय पुत्रगण मोतीराम स0 भाग 1/4 जाति कोरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी। |
| 37 | 1307 | भूमिस्वामी | कृषिभूमि | 0.040 | विनोद पुत्र भगवानलाल भाग 3/4 राजकुमारी पुत्री भगवानलाल भाग 1/4 |
| 38 | 1310 | भूमिस्वामी | कृषिभूमि | 0.126 | आशा पत्नी वीरेन्द्र कुमार जाति ब्रा0 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू–राजस्व 1309/1 |
| योग | कुल किता 38 | | | 2.830 | |

1. यह घोषणा हितबद्व सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू–अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजो के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यक नही है।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विषेष :–धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू–अर्जन की अत्यावष्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाषन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

बी. कार्तिकेयन, कलेक्टर एवं पदने उपसचिव.

## राजस्व विभाग
### मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2022

क्र. एफ 01-44-2018-सात-7.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (3) के अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, संभाग उज्जैन के जिला आगर-मालवा की वर्तमान तहसील सुसनेर की सीमाओं को परिवर्तित करने, नवीन तहसील सोयतकलां का सृजन करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विर्निदिष्ट किये गए अनुसार उसकी सीमाओं को पारिभाषित करना प्रस्तावित करती है.

''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस का अवसान होने के पश्चात प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा तथा उसके संबंध में कोई भी आपत्तियाँ या सुझाव, लिखित में उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को अग्रेषित किये जा सकेगें:—

| क्र. | विद्यमान तहसील का नाम तथा उसका मुख्यालय | प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात तहसील में सम्मिलित किये जाने वाले या उससे अपवर्जित किये जाने वाले क्षेत्रों के विवरण | प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात तहसील एवं उसके मुख्यालय का नाम | प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात तहसील में समाविष्ट किये किये गये क्षेत्रों के विवरण | प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात तहसील की सीमाऐं | अभियुक्तियाँ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | तहसील-सुसनेर मुख्यालय-सुसनेर | वर्तमान तहसील सुसनेर के रा.नि.मं. सोयतकलां के पटवारी हल्का नंबर 1 से 24 तक कुल 24 पटवारी हल्कों के कुल 48 ग्राम अपवर्जित होगें. | तहसील-सुसनेर मुख्यालय-सुसनेर | वर्तमान तहसील सुसनेर के रा.नि.मं. मंडल श्यामपुर के प.ह.नं. 25 से 35 रा.नि.म. सुसनेर के प.ह.नं. 36 से 49 तथा रा.नि.मंडल मोडी के प.ह.नं. 50 से 59 इस प्रकार कुल 35 पटवारी हल्कों के कुल 76 ग्राम समाविष्ट होंगे. | **पूर्व में:**—तहसील जीरापुर, जिला राजगढ़. **पश्चिम में**—राजस्थान राज्य. **उत्तर में:**—प्रस्तावित नवीन तहसील सोयतकलां. **दक्षिण में:**—तहसील बड़ौद एवं तहसील नलखेड़ा. | |
| 2 | — | — | तहसील-सोयतकलां मुख्यालय सोयतकलां | वर्तमान तहसील सुसनेर के रा.नि.मं. सोयतकलां के प.ह.नं. 1 से 24 तक कुल 24 प. हल्कों के कुल 48 ग्राम समाविष्ट होंगे. | **पूर्व में:**—तहसील जीरापुर, जिला राजगढ़. **पश्चिम में**—राजस्थान राज्य. **उत्तर में:**—राजस्थान राज्य. **दक्षिण में:**—शेष सुसनेर तहसील. **दक्षिण में:**—शेष सुसनेर तहसील. | |

2. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके.

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2022

क्र. एफ 01-10-2020-सात-7.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (3) के अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में एतद्द्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, जिला ग्वालियर की वर्तमान तहसील डबरा की सीमाओं को परिवर्तित करने, नवीन तहसील पिछोर का सृजन करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विर्निदिष्ट किये गए अनुसार उसकी सीमाओं को पारिभाषित करना प्रस्तावित करती है.

"मध्यप्रदेश राजपत्र" में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस का अवसान होने के पश्चात प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा तथा उसके संबंध में कोई भी आपत्तियाँ या सुझाव, लिखित में उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को अग्रेषित किये जा सकेंगे:—

| क्र. | विद्यमान संभाग/जिले/ उपखण्ड/ तहसील और उसका मुख्यालय | प्रस्तावित परिवर्तन (विद्यमान संभाग/ जिले/उपखण्ड/तहसील में सम्मिलित किये जाने वाले या उससे अपवर्जित किये जाने वाले क्षेत्रों के विवरण) | प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात संभाग/ जिले/उपखंड/ तहसील एवं उसके मुख्यालय का नाम | प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात संभाग/ जिले/उपखण्ड/ तहसील में समाविष्ट किये गये क्षेत्रों का विवरण | प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात संभाग/ जिले/ उपखण्ड/ तहसील की सीमाऐं | अभियुक्तियाँ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | तहसील-डबरा (मुख्यालय-डबरा) | वर्तमान तहसील डबरा के वीरमढ़ाना धई, अर्रूसी, बडेरा बुजुर्ग, सरनागत, भगेह, जंगीपुर, जरगांव, लखनोती, सकतपुरा, जनकपुर, पिछोर, छपरा, अजयगढ़, लिधोरा, कैठोदा, सहोना, पुटटी, गिजौरा, मेहगांव, किरोल, किटोरा, देवगढ़, कुम्हर्रा, शुक्लहारी, सिसगांव, हथनौरा, कुल 27 पटवारी हल्के अपवर्जित होंगे. | मुख्यालय-डबरा | वर्तमान तहसील डबरा में 27 प. हल्के अपवर्जित होकर जौरासी, गंगापुर, बिलौआ, चिरपुरा, गढ़ी, धमनिका, इकोना, लदेरा, सूखापठा, कल्याणी, मकोड़ा, चिरूली, पठा पनिहार, अकबई बड़ी, समूदन, टेकनपुर, बोना, बेरू बरगंवा, सुल्तानपुर, इटायल, सिमिरिया, अरूं, गेडोलकला, डबरा, रामगढ़, बुजुर्ग, कर्रा, चांदपुर, मगरोरा, बरोठा, लोहगढ़, सालबई, मिलधन, सर्वा, घिरोरा, झांडोली, करियावटी, जतरथी, जरावनी, नुन्हारी, विजकपुर, भैसनारी, चौमो, खडबई, बारोल, चितावनी, महाराजपुर, रजियावर, अकबईछोटी, छीमक, सिरसा, खेड़ी, रायमल, गोबरा, देवरा, कौसा कुल 56 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे. | **पूर्व में**-पिछोर **पश्चिम में**- भितरवार **उत्तर में**- ग्वालियर **दक्षिण में**- जिला दतिया. | |
| 2. | — | — | तह. पिछोर मुख्यालय-पिछोर | वर्तमान तहसील डबरा के वीरमढ़ाना, धई, अर्रूसी, बडेराबुजुर्ग, सरनागत, भगेह, जंगीपुर, जरगांव,लखनोती, सकतपुरा, जनकपुर, पिछोर, छपरा, अजयगढ़, लिधोरा, कैठोदा, सहोना, पुटटी, गिजौरा, मेहगांव, किरोल, किटोरा, देवगढ़, कुम्हर्रा, शुक्लहारी, सिसगांव, हथनौरा कुल 27 पटवारी हल्के नवीन तहसील पिछोर में समाविष्ट होंगे. | **पूर्व में**-सेवढ़ा **पश्चिम में**- डबरा **उत्तर में**- ग्वालियर **दक्षिण में**- जिला दतिया. | |

2. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**चन्द्रशेखर वालिम्बे**, उपसचिव.

# विभाग प्रमुखों के आदेश

## मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग

पंचम तल, मैट्रो प्लाजा बिट्टन मार्केट, ई-5 अरेरा कालोनी, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2022

क्रमांक 31, मप्रविनिआ, 05/ 01/2022 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 87(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 252–मप्रविनिआ–2018 दिनांक 9 फरवरी, 2018 को विलोपित करते हुए मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतदद्वारा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन होने की दिनांक से राज्य सलाहकार समिति का पुनर्गठन करता है।

2. राज्य सलाहकार समिति का उद्देश्य आयोग को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 88 में सूचीबद्ध विषयों पर सलाह देना होगा।

3. राज्य सलाहकार समिति की कार्यप्रणाली आयोग द्वारा बनाये गये "मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (राज्य परामर्श–दात्री समिति का गठन एवं उसकी कार्यप्रणाली) विनियम, 2004" एवं समय–समय पर उसमें किये गये संशोधन द्वारा शासित होगी।

4. राज्य सलाहकार समिति के सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से तीन वर्ष का होगा।

5. आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यगण, राज्य सलाहकार समिति के क्रमशः पदेन अध्यक्ष एवं सदस्य होंगे तथा राज्य सरकार के प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, म.प्र. शासन, भोपाल भी समिति के पदेन सदस्य होंगे। राज्य सलाहकार समिति के अन्य सदस्य निम्नानुसार होंगे–

| स क्र. | नाम | पता | वर्ग |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री विवेक अग्रवाल | अध्यक्ष, विंध्य चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, सर्किट हाउस चौक के पास, गली नंबर 3, राजेन्द्र नगर, सतना (म.प्र.)–485001 | वाणिज्य |
| 2 | श्री महेन्द्र पी. खंते | उपाध्यक्ष, (ई एण्ड आई), वर्धमान फेब्रिक्स, ग्राम पीलीकरार, तालपुरा, रेहटी रोड, तह. बुदनी, जिला–सीहोर (म.प्र)–466445 | उद्योग |
| 3 | श्री प्रहलाद सिंह | ग्राम नोनिया कलां, पोस्ट सिंगोड,तहसील पनागर, जिला जबलपुर (म.प्र.) | कृषि |
| 4 | श्री दयाराम पाटीदार | उप सभापति, भारतीय किसान संघ, मालवा क्षेत्र, ग्राम– बुदियाखेड़ी, पोस्ट – सिधाना, तह. मनावर जिला – धार (म.प्र.)–454446 | कृषि |
| 5 | श्री के.के. तिवारी | मध्यप्रदेश बिजली कर्मचारी महासंघ, परदेशीपुरा, इन्दौर (म.प्र.)–452011 | श्रमिक / मजदूर |
| 6 | सुश्री स्मिता सक्सेना | अध्यक्ष, आशा स्मिता फाउण्डेशन, सी–99, न्यू मिनाल रेसीडेन्सी, जिला – भोपाल (म.प्र.)–462023 | गैर सरकारी संगठन |
| 7 | श्रीमति अर्चना भटनागर | मध्यप्रदेश एसोसिशन ऑफ वीमेन एण्ड इण्टरप्रेनर, 433/2, नेपियर टाउन, हाउबाग रेलवे स्टेशन रोड, नियर मंगनी हॉस्पिटल के समीप, जबलपुर (म. प्र.)–462008 | गैर सरकारी संगठन |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | श्री बी.ए. सावले | निदेशक, सेन्ट्रल पॉवर रिसर्च इंस्टीट्यूट, गोविन्दपुरा, भोपाल (म.प्र.)–462023 | शैक्षणिक एवं अनुसंधान |
| 9 | श्री विपिन कुमार जैन | मध्यप्रदेश लघु उद्योग संघ, ई–2/30, अरेरा कालोनी, महावीर नगर, भोपाल (म.प्र.)– 462016 | उद्योग |
| 10 | श्री सी.बी. मालपानी | सचिव, एसोसिएशन ऑफ ऑल इण्डस्ट्रीज, मण्डीदीप, जिला–रायसेन–462046 | उद्योग |
| 11 | श्री डी.एल. मीना | मुख्य विद्युत अभियन्ता/ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली, पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर–482001 | ट्रांसपोर्ट |
| 12 | श्री राकेश कुमार गौर | ग्राम कुलहाड़ा (डोलरिया), जिला होशांगाबाद–461116 | कृषि |
| 13 | श्री रवि गुप्ता | 445, कोतवाली मिलोनीगंज, जबलपुर–482002 | वाणिज्य |
| 14 | श्री एस.एन. गोयल | अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (आई.ई.एक्स.) कॉरपोरेट ऑफिस, प्लाट न. सी–001/ए/1, 9 वी मंजिल, मैक्स टॉवर, सेक्टर 16 बी, नोएडा (उ.प्र.)–201301 | वाणिज्य |
| 15 | डॉ. प्रवीण कुमार पानिग्रही | प्राध्यापक, इन्फॉरमेशन सिस्टम्स एरिया, भारतीय प्रबंध संस्थान (आई.आई.एम.), प्रबंध शिखर, राऊ–पीथमपुर रोड, इन्दौर (म. प्र.)–453556 | शैक्षणिक |
| 16 | श्री राहुल चौधरी | मुख्य सलाहकर, (सेन्टर फॉर इकोनोमिक सेक्टर), अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, सुशासन भवन, भदभदा चौराहा, टी.टी. नगर, भोपाल–462003 | शैक्षणिक |
| 17 | प्रोफेसर (डॉ.) गयूर आलम | वरिष्ठ प्राध्यापक, नेशनल लॉ इन्स्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, केरवा डैम रोड, भोपाल–462044 | शैक्षणिक |

6. आयोग के सचिव राज्य सलाहकार समिति के पदेन सचिव होंगे।

आयोग के आदेशानुसार,
**गजेन्द्र तिवारी,** सचिव.

Bhopal the 5th January 2022

No.31 -MPERC- 05 /01/2022- In exercise of powers under Section 87(1) of the Electricity Act, 2003 and in supersession of earlier notification No. 252/MPERC/2018 dated 9th February, 2018, the Commission hereby re-constitutes the State Advisory Committee from the date of publication of this notification in the M.P. Official Gazette.

2. The object of the State Advisory Committee shall be to advise the Commission on the matters mentioned under Section 88 of the Electricity Act, 2003.
3. The functioning of the State Advisory Committee shall be governed by the MPERC (Constitution of State Advisory Committee and its functioning) Regulations, 2004 and its amendments.
4. The term of Members of the State Advisory Committee shall be three years from the date of publication of the notification in the official gazette.
5. The Chairman and the Members of the Commission shall be ex-officio Chairman and Members of the State Advisory Committee respectively. Principal Secretary Food, Civil Supplies and Consumers Protection, Govt. of M.P. shall also be the ex-officio member of the Committee. The rest of the Members of the State Advisory Committee shall be as follows:

| S.No. | Name | Address | Category |
|---|---|---|---|
| 1 | Shri Vivek Agrawal | President, Vindhya Chamber of Commerce & Industries, Near Circuit House Chowk, Gali No. 3, Rajendra Nagar Satna(M.P.) – 485001 | Commerce |
| 2 | Shri Mahendra P. Khante | Vice President (E&I), Vardhman Fabrics, Vill. Pillikarar, Talpura, Rehti Road, Teh. Budhni, District-Sehore (M.P.) – 466445 | Industry |
| 3 | Shri Prahlad Singh | Village Nonia Kalan, Post Singod, Tahsil Panagar, Distt. Jabalpur (M.P) | Agriculture |
| 4 | Shri Dayaram Patidar | Deputy Chairman, Bharatiya Kisan Sangh, Malwa Region, Gram- Budiyakhedi, Post- Sidhana, Tehsil Manawar, Distt. Dhar (M.P.) – 454446 | Agriculture |
| 5 | Shri K.K. Tiwari | Madhya Pradesh Bijli Karmchari Mahasangh, Pardeshipura, Indore (M.P.) – 452011 | Labour |
| 6 | Ms. Smita Saxena | Chairperson, Asha Smita Foundation, C-99, New Minal Residency, District Bhopal (M.P.) – 462023 | NGO |
| 7 | Smt. Archana Bhatnagar | Madhya Pradesh Association of Women & Entrepreneur, 433/2, Napier Town, Howbag Railway Station Road, Near Mangni Hospital, Jabalpur (M.P.)- 462008 | NGO |
| 8 | Shri B.A. Sawale | Director, Central Power Research Institute, Govindpura, Bhopal (M.P.) – 462023 | Academic and Research bodies |

| S.No. | Name | Address | Category |
|---|---|---|---|
| 9 | Shri Vipin Kumar Jain | M.P. Laghu Udyog Sangh,<br>E-2/30, Arera Colony, Mahavir Nagar,<br>Bhopal (M.P.) – 462016 | Industry |
| 10 | Shri C.B. Malpani | Secretary, Association of all industries,<br>Mandi deep, Raisen – 462046 | Industry |
| 11 | Shri D.L. Meena | Chief Electrical Engineer/Electrical Energy Management,<br>West Central Railway,<br>Jabalpur – 482001 | Transport |
| 12 | Shri Rakesh Kumar Gaur | Gram Kulhada (Dolriya),<br>District – Hoshangabad – 461116 | Agriculture |
| 13 | Shri Ravi Gupta | 445, Kothwali Miloniganj Jabalpur- 482002 | Commerce |
| 14 | Shri S.N. Goyal, | Chairman & MD,<br>Indian Energy Exchange (IEX) , Corporate office:<br>Plot no. – C-001/A/1, 9th floor, Max Towers,<br>Sector 16B, Noida, (UP)–201301 | Commerce |
| 15 | Dr. Prabin Kumar Panigrahi | Professor, Information Systems Area,<br>Indian Institute of Management (IIM),<br>Prabandh Shikhar, Rau-Pithampur Road,<br>Indore (M.P.) – 453556 | Academic |
| 16 | Shri Rahul Choudhari | Principal Advisor, (Center for Economic Sector),<br>Atal Bihari Vajpayee Institute of Good Governance and Policy Analysis,<br>Sushasan Bhawan, Bhadbhada Chouraha,<br>T.T. nagar, Bhopal- 462003 | Academic |
| 17 | Prof. (Dr.) Ghayur Alam | Senior Professor,<br>National Law Institute University,<br>Kerwa Dam Road, Bhopal – 462044 | Academic |

6. Secretary to the Commission shall be the ex-officio Secretary to the State Advisory Committee.

By order of the Commission,
GAJENDRA TIWARI, Secy.

## कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, जबलपुर, नरसिंहपुर

जबलपुर, दिनांक 5 जनवरी 2022

**प्रारूप-पांच**

**(नियम-11 देखिए)**

**वर्तमान भूमि परियोजना नक्शे के अंतिम प्रकाशन का प्रारूप**

क्रं. ..07...../नग्रानि/डी.पी.आर-455/2021-जबलपुर, निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा-15 की उपधारा (1) के अधीन राजपत्र दिनांक 01 अक्टूबर 2021 को प्रकाशित किया गया था एवं उक्त धारा की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन जनता से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किये गये, समस्त ऐसे व्यक्तियों को जिन्होनें आपत्ति एवं सुझाव उपांतरण प्रस्तुत किए है, अपेक्षित विचारण उसमें किया गया है।

अत: एतद् द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15(3) के अधीन जबलपुर निवेश क्षेत्र के उक्त ग्रामों का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र का तदानुसार सम्यक् रूप से दिनांक 07 जनवरी 2022 को अंगीकृत किया जाता है तथा अधिनियम की धारा 15(4) के अनुसरण में इस सूचना को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजा जा रहा है, जो इस बात का साक्ष्य होगा कि, उक्त मानचित्र सम्यक् रूप से तैयार कर लिया गया है.

अब उपरोक्त योजना क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (3) के अधीन एतद् द्वारा अंगीकृत किया जाता है और उसकी प्रति दिनांक 07 जनवरी, 2022 से 14 जनवरी, 2022 तक कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण हेतु निम्न कार्यालय में उपलब्ध रहेगी :-

(1) संभागीय आयुक्त, जबलपुर मध्यप्रदेश,

(2) कलेक्टर, जिला जबलपुर,

(3) आयुक्त, नगर पालिक निगम जबलपुर,

(4) मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद पनागर, जिला जबलपुर,

(5) संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जबलपुर,

**आर. के. सिंह**, संयुक्त संचालक.

# राजस्व विभाग

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 7 अप्रैल 2021

प्र. क्र. 8-अ-82-19-20-हरदू-4313.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान होगा या है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि के कालम नमबर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमि स्वामियों का, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची– 1

| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हें0में) | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| बैतूल | शाहपुर | हरदू | 13.095 | मोखा लघु जलाशय |

अनुसूची– 2

( प्रभावित धारको की सूची )

| क्र. | भूमि स्वामी का नाम | खसरा नम्बर | कुल रकबा हे0 | अर्जित रकबा हे0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | छोटेलाल, रामदीन, लखनलाल व. जगना जाति कंतिया पता सा.मालीसिलपटी भू–स्वामी | 44 | 0.688 | 0.130 |
| | | 92/2 | 0.503 | 0.503 |
| | | 51 | 1.255 | 0.075 |
| योग | | | 2.446 | 0.708 |
| 2 | मुनिया पिता पन्ना जाति कतिया पता सा. मालीसिलपटी भू–स्वामी | 45/2 | 0.446 | 0.325 |
| | | 74/2 | 1.198 | 1.198 |
| योग | | | 1.644 | 1.523 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | बाबूलाल, बनवारी वल्द गोपाल जाति कतिया पता सा.मालीसिलपटी भू–स्वामी | 67 | 0.214 | 0.150 |
| 4 | लक्ष्मण, मनोहर वल्द टन्टू, केरा, संतरा, सुनिता पिता टन्टू जाति कतिया पता सा. मालीसिलपटी भू–स्वामी | 72/1 | 0.364 | 0.320 |
| | | 73/1 | 0.364 | 0.334 |
| योग | | | 0.728 | 0.654 |
| 5 | भग्गो बेवा गोपाल, बाबूलाल, बनवारी, अनार, संतोष वल्द गोपाल जाति कतिया पता सा.मालीसिलपटी भू–स्वामी | 72/2 | 0.365 | 0.250 |
| | | 73/2 | 0.334 | 0.334 |
| योग | | | 0.699 | 0.584 |
| 6 | मंगता वल्द गिरधारी जाति कतिया पता सा.मालीसिलपटी भू–स्वामी | 74/1 | 1.178 | 1.178 |
| 7 | बीरबल व. जोहरीलाल जाति कतिया पता सा.मालीसिलपटी भू–स्वामी | 75/1 | 0.440 | 0.440 |
| 8 | भग्गी व. जुगलाल, बजेश व. साबूलाल, गुलाबाई सरस्वती पिता साबूलाल , मुकेश, नान्हू व. धीरज जाति कतिया पता सा. मालीसिलपटी भू–स्वामी | 31/1 | 0.168 | 0.000 |
| | | 76/1 | 0.372 | 0.372 |
| | | 102 | 0.260 | 0.226 |
| | | 107 | 0.267 | 0.165 |
| | | 113/1 | 0.488 | 0.244 |
| योग | | | 1.555 | 1.007 |
| 9 | ब्रजलाल व. मौजी कतिया पता सा. मालीसिलपटी भू–स्वामी | 77/1 | 0.063 | 0.063 |
| | | 105 | 0.316 | 0.290 |
| | | 112/1 | 0.448 | 0.118 |
| योग | | | 0.827 | 0.471 |
| 10 | भजना ब्रजलाल व. मौजी जाति कतिया पता सा.मालीसिलपटी भू–स्वामी | 77/2 | 0.185 | 0.185 |
| | | 33 | 0.384 | 0.384 |
| योग | | | 0.569 | 0.569 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | कलावती जौजे शोभाराम जाति कतिया पता सा.मालीसिलपटी भू–स्वामी | 92/1 | 0.298 | 0.120 |
| | | 99/1 | 0.209 | 0.209 |
| योग | | | 0.507 | 0.329 |
| 12 | जंगलसिंह वल्द बुकलू जाति कतिया पता सा.मालीसिलपटी भू–स्वामी | 95/2 | 0.381 | 0.381 |
| 13 | शोभाराम वल्द जियालाल जाति कतिया पता सा.मालीसिलपटी भू–स्वामी | 98/2 | 0.755 | 0.755 |
| | | 106 | 0.328 | 0.328 |
| योग | | | 1.083 | 1.083 |
| 14 | लालसिंग व. जियालाल जाति कतिया पता सा.देह भू–स्वामी | 98/3 | 0.152 | 0.152 |
| | | 111/2 | 0.476 | 0.180 |
| | | 32/1 | 0.138 | 0.138 |
| योग | | | 0.766 | 0.470 |
| 15 | नान्ही बे. परसू, राधे, सीताराम, धनश्याम व. परसू, सुक्कन, बुधराम व. कात्या, कलावती पुत्री परसू चंद्रकला कैलाश आनिक व. सुक्कन लता सुनिता अनिता अंजू पिता सुक्कन जाति कतिया पता सा. मालीसिलपटी भू–स्वामी | 100/1 | 1.243 | 0.968 |
| 16 | महेश व. जोहरीलाल जाति कतिया | 101/1 | 0.301 | 0.230 |
| 17 | पिन्टू उर्फ दिनेश व. जोहरीलाल जाति कतिया | 101/3 | 0.300 | 0.300 |
| 18 | भंगी व. बूकलू भागराम डालूरा रामपाल व. सहजा भागवती रामबाई समोती पिता सहजा जाति कतिया | 114 | 0.057 | 0.057 |
| 19 | नन्हा व. जियालाल जाति कतिया | 116/1 | 0.699 | 0.294 |
| 20 | जुंगी वल्द बूकलू जाति कतिया | 8/2 | 0.122 | 0.122 |
| | | 34/2 | 0.731 | 0.731 |
| योग | | | 0.853 | 0.853 |
| 21 | प्रहलाद वर्मानंद व. गेंदलाल महेश पिता गेंदलाल राजेश वल्द बलीराम जाति मेहरा | 34/3 | 0.796 | 0.796 |
| 22 | रामू वल्द रामदयाल जाति कतिया | 46 | 4.853 | 0.050 |
| महायोगः– | | | 22.139 | 13.095 |

2— चूकि मोखा जलाशय का हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उप धारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही हैं ।

3— भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू—अर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में किया जा सकता है।

4— समुचित सरकार की वेबसाई**www.betul.nic.in** पर भी अपलोड किया गया।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अमनबीर सिंह बैंस,** कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

---

## कार्यालय, कलेक्टर, एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश

जा. क्र.13466–67 राजगढ़, दिनांक 24 दिसम्बर 2021

### अनुसूची—1

क्रमांक 01–अ–82–2017–18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित मकानों की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.

प्रकरण क्रमांक 01–अ–82–2017–18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ के ग्राम मंगतपुर के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित मकानों जिसका नामवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की मकानों की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है. चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रस्तावित है इस कारण धारा 19(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

| क्र. | ग्राम का नाम | कुल कृषक | रकबा (वर्ग मी.) |
|---|---|---|---|
| 1 | मंगतपुर | 41 | 2261.53 |

### —: अनुसूची — 2 :—

**पार्वती परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम मंगतपुर के आबादी में स्थित मकानों के अर्जन का विवरण**

तहसील :- नरसिंहगढ जिला :- राजगढ

| स.क्र. | नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम | सर्वे नंबर | मकान नं. | रकबा (वर्ग मी. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | बाबूलाल पिता रामचरण | 52/1/2 | 4 | 70.36 |
| 2 | कालूराम पिता काशीराम | 52/1/2 | 5 | 30.80 |
| 3 | आत्माराम पिता कालूराम | 52/1/2 | 6 | 30.80 |
| 4 | रामप्रसाद पिता काशीराम | 52/1/2 | 7 | 46.40 |
| 5 | देवीसिंह पिता रामप्रसाद | 52/1/2 | 8 | 12.72 |
| 6 | मांगीलाल पिता काशीराम | 52/1/2 | 9 | 15.34 |
| 7 | बद्रीलाल पिता मांगीलाल | 52/1/2 | 10 | 57.20 |
| 8 | सोनू पिता बद्रीलाल | 52/1/2 | 11 | 7.80 |
| 9 | हरीप्रसाद पिता रोडजी | 52/1/2 | 12 | 54.60 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | केलाश पिता नन्नूलाल | 52/1/1 | 15 | 57.12 |
| 11 | बबलू पिता नन्नूलाल | 9/2 | 22 | 28.40 |
| 12 | गोकुल पिता नन्नूलाल | 9/2 | 23 | 28.40 |
| 13 | पर्वतसिंह पिता नारायण | 4 | 25 | 36.00 |
| 14 | कमलसिंह पिता रामप्रसाद | 4 | 26 | 27.00 |
| 15 | जगदीश पिता रामप्रसाद | 4 | 27 | 23.85 |
| 16 | रामनारायण पिता कुंजीलाल | 4 | 28 | 66.55 |
| 17 | दिनेश पिता कुंजीलाल | 4 | 29 | 66.55 |
| 18 | ललीताबाई पति आत्माराम | 4 | 30 | 61.48 |
| 19 | लक्ष्मणसिंह पिता देवीलाल | 4 | 31 | 43.20 |
| 20 | संजय पिता रमेश | 4 | 32 | 64.61 |
| 21 | मोहनलाल पिता कुंजीलाल | 4 | 33 | 65.88 |
| 22 | अरविन्दसिंह पिता लक्ष्मणसिंह | 4 | 40 | 35.51 |
| 23 | रमेश पिता देवीलाल | 4 | 41 | 36.85 |
| 24 | शिवनारायणसिंह पिता किशनलाल | 4 | 42 | 89.82 |
| 25 | मांगीलाल पिता प्रेमनारायण | 4 | 43 | 58.10 |
| 26 | लाडसिंह पिता देवीलाल | 4 | 46 | 89.21 |
| 27 | भारतसिंह पता देवीलाल | 4 | 47 | 147.15 |
| 28 | रेखाबाई पति शिवनारायण | 4 | 48 | 78.12 |
| 29 | लाखनलाल पिता प्रेमनारायण | 4 | 49 | 78.12 |
| 30 | देवकरण पिता किशनलाल | 4 | 50 | 193.55 |
| 31 | राधाबाई पति देवकरण | 4 | 51 | 35.88 |
| 32 | राजेश पिता धीरप | 4 | 52 | 134.86 |
| 33 | विक्रम पिता धीरप | 4 | 53 | 33.66 |
| 34 | शान्तीबाई पति मथरालाल | 4 | 54 | 11.88 |
| 35 | धीरप पिता दयाराम | 4 | 55 | 18.00 |
| 36 | बब्लू पिता मथरालाल | 4 | 56 | 25.08 |
| 37 | महेश पिता मथरालाल | 4 | 57 | 25.08 |
| 38 | सीताराम पिता रामप्रसाद | 4 | 58 | 91.23 |
| 39 | दिनेश पिता रामप्रसाद | 4 | 59 | 91.23 |
| 40 | भागमल पिता रामप्रसाद | 4 | 60 | 57.72 |
| 41 | धर्मेन्द्र पिता भागमल | 4 | 61 | 35.42 |
| | | | | **2261.53** |

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

**हर्ष दीक्षित**, कलेक्टर.

# उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

## उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2021

क्र. D-6054-दो-2-12-2017.—श्री अवनीन्द्र कुमार सिंह, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (I. L. R. & Exam), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
**यू. एस. दुबे,** ओ.एस.डी.

---

जबलपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2021

क्र. D-6013-दो-2-63-2017.—श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, धार को दिनांक 25 से 26 अक्टूबर 2021 तक दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, धार को धार पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-5595-दो-2-36-2021.—श्री आनंद कुमार तिवारी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सतना को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 06 अक्टूबर 2019 से दिनांक 05 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. D-5597-दो-2-56-2021.—श्रीमती सविता सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, देवास को दिनांक 23 नवम्बर से 06 दिसम्बर 2021 तक चौदह दिन का संतान पालन अवकाश (Child Care Leave), स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 01 से 06 दिसम्बर 2021 तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती सविता सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है. संतान पालन अवकाश (Child Care Leave), काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सविता सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. D-5599-दो-2-9-2012.—श्री नवीन कुमार सक्सेना, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. D-6001-दो-2-56-2016.—श्री प्रेमनारायण सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. D-6015-दो-2-55-2021.—श्री शिवकांत पाण्डेय, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. D-6003-दो-2-4-2021.—श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. D-6005-दो-2-35-2020.—श्री पी. सी. गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राजगढ़-ब्यावरा को दिनांक 23 से 30 अक्टूबर 2021 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री पी. सी. गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राजगढ़-ब्यावरा को राजगढ़-ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. सी. गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-6007-दो-2-50-2018.—डॉ. रमेश साहू, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 20 से 29 अक्टूबर 2021 तक दस दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 से 19 अक्टूबर 2021 तक के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर डॉ. रमेश साहू, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. रमेश साहू, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-6009-दो-2-52-2021.—श्रीमती आशिता श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सागर को दिनांक 24 नवम्बर से 04 दिसम्बर 2021 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 05 दिसम्बर 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती आशिता श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती आशिता श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. D-6011-दो-2-75-2018.—श्री बी. पी. शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. D-1017-दो-2-57-2015.—श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

जबलपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2021

क्र. B-7352-दो-2-42-2020.—श्री एच. के. कौशिक, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, दतिया को दिनांक 21 से 23 अक्टूबर 2021 तक तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 24 अक्टूबर 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एच. के. कौशिक, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच. के. कौशिक, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-7354-दो-2-35-2020.—श्री पी. सी. गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राजगढ़-ब्यावरा को दिनांक 23 से 30 अक्टूबर 2021 तक आठ दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 31 अक्टूबर से 01 नवम्बर 2021 तक दो दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री पी. सी. गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राजगढ़-ब्यावरा को राजगढ़-ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. सी. गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-7349-दो-2-28-2018.—श्री आर. सी. वार्ष्णेय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1)

के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

जबलपुर, दिनांक 26 नवम्बर 2021

क्र. A-4412-दो-2-70-2021.—श्री अतुल्य सराफ, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को दिनांक 22 से 24 नवम्बर 2021 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 नवम्बर 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अतुल्य सराफ, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अतुल्य सराफ, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-4414-दो-2-4-2019.—श्री दीपक कुमार त्रिपाठी, तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सतना को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2017 से दिनांक 31 अक्टूबर 2019 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है..

क्र. A-4416-दो-2-72-2018.—श्री अनिल कुमार अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सीहोर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. D-6030-दो-2-37-2020.—श्री व्ही. के. गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 13 से 17 दिसम्बर 2021 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 दिसम्बर 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. के. गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री व्ही. के. गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-6032-दो-2-64-2014.—श्री आर. के. गुप्त, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्ययालय बालाघाट को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. D-6034-दो-2-139-2006.—श्री एच. एस. यादव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. D-6036-दो-2-16-2020.—श्री विनोद कुमार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. D-6038-दो-2-39-2021.—श्री आर. एस. शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. D-6040-दो-2-41-2017.—श्री राजेश कुमार गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1)

के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. D-6042-दो-2-41-2017.—श्री देव नारायण मिश्र, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

जबलपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2021

क्र. D-6044-दो-3-420-80-भाग-बारह.—श्री राजेश कुमार कोष्टा, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. 195-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 31 मार्च 2018 समसंख्यक पत्र क्रमांक-4346-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 19 सितम्बर 2018 समसंख्यक आदेश क्रमांक 3(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3), मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1-2018-नियम-चार, दिनांक 08 मार्च 2019 के अनुसार श्री कोष्ठा को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अक्टूबर 2021 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1. अर्जित अवकाश . . 226
   अर्द्धवेतन अवकाश . . 74
   योग : 300 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:—

(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 226 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

(ii) अर्द्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान. = $\frac{\text{सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता}}{30} \times 74$

क्र. D-6046-दो-2-19-2020.—श्री सुरेश कुमार चौबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय डिण्डौरी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. D-6048-दो-2-37-2020.—श्री विवेक कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय उज्जैन को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. D-6050-दो-2-75-2017.—श्री रत्नेशचन्द्र सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. D-6052-दो-2-5-18.—श्री देव नारायण शुक्ल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, होशंगाबाद को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. D-6056-दो-2-11-2015.—श्री प्रभात कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को दिनांक 08 से 17 दिसम्बर 2021 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 एवं 19 दिसम्बर 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री प्रभात कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रभात कुमार मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-6058-दो-2-15-2020.—श्री विजय कुमार पाण्डेय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित

अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. D-6060-दो-2-29-2020.—श्री व्ही. पी. सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. D-6062-दो-2-23-2018.—श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय नरसिंहपुर को दिनांक 22 से 27 नवम्बर 2021 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 19 से 21 नवम्बर 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय नरसिंहपुर को नरसिंहपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-6064-दो-2-16-2019.—श्री वाचस्पति मिश्र, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, रीवा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. D-6066-दो-2-31-2021.—श्री पी. एल. दिनकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सिंगरौली को दिनांक 06 से 17 दिसम्बर 2021 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 05 दिसम्बर 2021 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 एवं 19 दिसम्बर 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री पी. एल. दिनकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. एल. दिनकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-6068-दो-2-102-2017.—श्री हृदेश, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को दिनांक 30 नवम्बर से 06 दिसम्बर 2021 तक, सात दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के पूर्व के अनुक्रम में दिनांक 27 से 29 नवम्बर 2021 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री हृदेश, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री हृदेश, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
**यू. एस. दुबे,** ओ. एस. डी.

# राज्य शासन के आदेश

## राजस्व विभाग

### कार्यालय कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र– भू–अर्जन–04 (अ–82) 2020–21–67 मण्डला, दिनांक 13 अक्टूबर 2021

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) एवं (6) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:–

(1) भूमि का वर्णन

(क) जिला – मण्डला

(ख) तहसील – नारायणगंज

(ग) ग्राम–

| क्र. | ग्राम एवं प.ह.न. | भूमि का क्षेत्रफल हे. में |
|---|---|---|
| 1 | देहरा प.ह.नं–23/24 | 4.14 |
| 2 | सिंगौधा प.ह.नं–34 | 0.81 |
| 3 | देवगांव रै. प.ह.नं–40 | 0.50 |
| 4 | बोरिया प.ह.नं–41 | 3.97 |
| 5 | टिकरिया प.ह.नं–27/42 | 0.68 |
| 6 | देवगांव माल प.ह.नं–40 | 0.84 |
| 7 | देवहार प.ह.नं–40 | 3.21 |
| 8 | मानेगांव प.ह.नं–24/36 | 1.87 |
| 9 | बीजेगांव प.ह.नं–24/36 | 3.27 |
| | **कुल योग** | **19.29** |

**1. ग्राम–देहरा प.ह.नं–23/24**

| खसरा नंबर | रकवा |
|---|---|
| 149/1 | 0.05 |
| 150,152,494 | 0.21 |
| 151 | 0.09 |
| 154/3 | 0.09 |
| 155/1,109 | 0.16 |
| 144/3 | 0.02 |
| 144/2 | 0.04 |
| 144/1 | 0.05 |
| 203/1 | 0.09 |
| 202 | 0.07 |
| 203/5,203/2,205/7,205/2 | 0.12 |
| 205/9,205/3,122/3 | 0.08 |
| 205/5,205/1 | 0.07 |
| 124/1 | 0.02 |
| 210/1 | 0.04 |
| 122/2 | 0.02 |
| 121/1,120/1 | 0.09 |
| 117/1 | 0.04 |
| 114/1 | 0.03 |

| खसरा नंबर | रकवा |
|---|---|
| 115/3,115/1,213 | 0.11 |
| 113 | 0.04 |
| 214 | 0.04 |
| 215 | 0.02 |
| 108 | 0.07 |
| 107/3 | 0.03 |
| 106/1,106/3 | 0.09 |
| 105/1 | 0.03 |
| 103/1,103/3 | 0.06 |
| 76/1,77/2 | 0.05 |
| 77/3 | 0.04 |
| 100/1 | 0.04 |
| 100/2 | 0.03 |
| 264 | 0.04 |
| 267/1 | 0.03 |
| 455/1,455/3,456/3,456/1 | 0.12 |
| 450,452 | 0.08 |
| 453/3,453/1 | 0.13 |
| 448/1,496 | 0.05 |

| खसरा नंबर | रकवा |
|---|---|
| 487/2,487/4 | 0.14 |
| 488/1 | 0.08 |
| 493/1 | 0.06 |
| 495 | 0.04 |
| 496 | 0.02 |
| 498/3,498/1 | 0.31 |
| 497/3 | 0.06 |
| 489/1,454/1 | 0.22 |
| 449/1,497/1 | 0.15 |
| 487/1 | 0.02 |
| 484/1 | 0.09 |
| 486/1 | 0.09 |
| 491 | 0.05 |
| 492/2 | 0.04 |
| 492/1 | 0.10 |
| 501 | 0.03 |
| 498/1 | 0.16 |
| **योग** | **4.14** |

2. ग्राम–सिंगौधा प.ह.नं.–34

| खसरा नंबर | रकवा |
|---|---|
| 10/1,61 | 0.16 |
| 64,11 | 0.14 |
| 62 | 0.16 |
| 12/1 | 0.04 |
| 12/3 | 0.03 |
| 12/5 | 0.03 |

| खसरा नंबर | रकवा |
|---|---|
| 67 | 0.13 |
| 20 | 0.07 |
| 21 | 0.05 |
| **योग** | **0.81** |

3. ग्राम–देवगांव रैयत प.ह.नं.–40

| खसरा नंबर | रकवा |
|---|---|
| 146,148 | 0.34 |
| 53 | 0.03 |
| 122 | 0.04 |
| 124/1 | 0.05 |
| 147 | 0.04 |
| **योग** | **0.50** |

4. ग्राम–बोरिया प.ह.नं.–41

| खसरा नंबर | रकवा |
|---|---|
| 139/1 | 0.09 |
| 139/2 | 0.19 |
| 142 | 0.47 |
| 138/1 | 0.01 |
| 144/1 | 0.22 |
| 144/2 | 0.07 |
| 144/3 | 0.07 |
| 136/3 | 0.19 |
| 114 | 0.18 |
| 6/1,113/1 | 0.14 |
| 6/7,113/3 | 0.17 |
| 115 | 0.24 |

| खसरा नंबर | रकवा |
|---|---|
| 16 | 0.28 |
| 7/1 | 0.09 |
| 6/6 | 0.02 |
| 5/1 | 0.50 |
| 5/3 | 0.02 |
| 140/2 | 0.19 |
| 118/1 | 0.05 |
| 118/2 | 0.05 |
| 118/4 | 0.05 |
| 3/1 | 0.41 |
| 4 | 0.27 |
| **योग** | **3.97** |

5. ग्राम–टिकरिया प.ह.नं.–27/42

| खसरा नंबर | रकवा |
|---|---|
| 10/4 | 0.04 |
| 11/1 | 0.11 |
| 11/2 | 0.11 |
| 14 | 0.12 |
| 15 | 0.07 |
| 66/1 | 0.02 |

| खसरा नंबर | रकवा |
|---|---|
| 66/2 | 0.05 |
| 69 | 0.06 |
| 80/2 | 0.05 |
| 80/4 | 0.01 |
| 59 | 0.04 |
| **योग** | **0.68** |

6. ग्राम–देवगांव माल प.ह.नं.–40

| खसरा नंबर | रकवा |
|---|---|
| 25 | 0.13 |
| 145 | 0.09 |
| 127 | 0.05 |
| 30 | 0.03 |
| 29/2 | 0.02 |
| 44 | 0.06 |
| 112 | 0.03 |
| 45 | 0.02 |
| 46 | 0.02 |

| खसरा नंबर | रकवा |
|---|---|
| 47 | 0.01 |
| 111 | 0.07 |
| 51 | 0.01 |
| 52 | 0.09 |
| 60 | 0.07 |
| 61 | 0.01 |
| 58 | 0.13 |
| **योग** | **0.84** |

7. ग्राम–देवहार प.ह.नं.–40

| खसरा नंबर | रकवा | खसरा नंबर | रकवा | खसरा नंबर | रकवा |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/1 | 0.16 | 14/2 | 0.04 | 123 | 0.02 |
| 30/1 | 0.04 | 14/1 | 0.03 | 119/1 | 0.04 |
| 30/2 | 0.06 | 17/3,17/1 | 0.10 | 120 | 0.12 |
| 26 | 0.15 | 18/1,18/3 | 0.10 | 121,201 | 0.38 |
| 21/3 | 0.01 | 19/1 | 0.05 | 135 | 0.07 |
| 21/2 | 0.02 | 19/3 | 0.07 | 134 | 0.19 |
| 21/1 | 0.06 | 58 | 0.11 | 126 | 0.07 |
| 21/4 | 0.03 | 74 | 0.28 | 204/1 | 0.43 |
| 22,59/1,122 | 0.13 | 62/1 | 0.02 | 106/1 | 0.10 |
| 14/4 | 0.08 | 63/1 | 0.06 | 206/1 | 0.01 |
| 14/3 | 0.05 | 67 | 0.13 | योग | 3.21 |

8. ग्राम–मानेगांव प.ह.नं.–27/36

| खसरा नंबर | रकवा | खसरा नंबर | रकवा | खसरा नंबर | रकवा |
|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 0.04 | 340 | 0.01 | 376 | 0.09 |
| 389 | 0.01 | 339 | 0.01 | 375 | 0.09 |
| 124 | 0.07 | 338/1 | 0.02 | 447/2 | 0.01 |
| 128 | 0.16 | 338/2 | 0.02 | 444 | 0.01 |
| 134 | 0.10 | 338/3 | 0.01 | 445 | 0.01 |
| 130 | 0.08 | 337 | 0.03 | 446 | 0.02 |
| 131 | 0.03 | 336 | 0.02 | 447/1 | 0.01 |
| 132 | 0.04 | 311 | 0.04 | 448 | 0.01 |
| 207 | 0.07 | 305 | 0.01 | 449 | 0.01 |
| 374 | 0.13 | 304 | 0.03 | 451 | 0.01 |
| 351 | 0.01 | 307 | 0.01 | 452 | 0.01 |
| 350 | 0.08 | 385/2 | 0.08 | 453 | 0.01 |
| 348 | 0.01 | 385/1 | 0.06 | 454 | 0.01 |
| 347 | 0.01 | 384 | 0.07 | 456 | 0.01 |
| 345 | 0.01 | 383 | 0.06 | 466/2 | 0.03 |
| 344 | 0.01 | 379 | 0.03 | 466/1 | 0.03 |
| 343 | 0.01 | 378 | 0.05 | 467 | 0.03 |
| 342 | 0.01 | 377 | 0.03 | योग | 1.87 |

9. ग्राम–बीजेगांव प.ह.नं.–24/36

| खसरा नंबर | रकवा | खसरा नंबर | रकवा | खसरा नंबर | रकवा |
|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 0.05 | 299 | 0.02 | 399/4 | 0.17 |
| 205 | 0.05 | 252 | 0.08 | 399/3 | 0.15 |
| 206 | 0.06 | 303 | 0.07 | 399/2 | 0.23 |
| 207 | 0.05 | 304 | 0.03 | 399/1 | 0.62 |
| 212 | 0.07 | 360/1 | 0.06 | 520 | 0.02 |
| 213 | 0.07 | 360/2 | 0.03 | 519 | 0.01 |
| 269 | 0.02 | 363 | 0.01 | 523 | 0.11 |
| 267 | 0.03 | 366 | 0.08 | 530 | 0.04 |
| 266 | 0.10 | 367 | 0.06 | 531 | 0.02 |
| 278/1 | 0.09 | 368 | 0.02 | 532 | 0.03 |
| 278/2 | 0.10 | 369 | 0.03 | 302/1 | 0.01 |
| 277/2 | 0.06 | 391 | 0.03 | 302/2 | 0.01 |
| 277/1 | 0.02 | 392 | 0.03 | 301 | 0.02 |
| 275/2 | 0.04 | 396 | 0.01 | 379 | 0.04 |
| 295 | 0.07 | 397 | 0.04 | योग | 3.27 |
| 296 | 0.09 | 398 | 0.04 | | |
| 298 | 0.02 | 399/5 | 0.16 | | |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है–टिकरिया, सिंगौधा, पाठा–चुटका मार्ग के चौड़ीकरण हेतु

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट **www.mandla.nic.in** व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट **www.mprevenue.nic.in** पर भी देखी जा सकती है।

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) निवास या कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**हर्षिका सिंह,** कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.